डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

Join Telegram Chhenal Search @rojgaraurnirman

अफवाहों पर न दें ध्यान, कोरोना से बचने का टीका ही समाधान

आपदा की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है राज्य सरकार - मुख्यमंत्री

"ग्वालियर, आपदा बड़ी है पर अपनी आंखों में आंसू मत लाना। आप सबको इस मुसीबत से पार लेकर जाएंगे। अति वृष्टि और बाढ़ से हुए सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई के साथ ही जिन लोगों के घर टूट गए हैं, गिर गए हैं या बह गए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर नए घर बनवाए जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों का दुःख-दर्द बांटने पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याएं सुनी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।"

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगभग साढ़े छः घंटे तक सड़क मार्ग से दौरा कर लगभग एक दर्जन बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से रू-ब-रू हुए। इनमें डबरा विकासखण्ड के ग्राम चांदपुर, रायपुर और हिम्मतगढ़ तथा विकासखण्ड भितरवार के ग्राम सिला, पलायछा, गधौटा, सहवई, लोहड़ी, धोबनी बेलगढ़ा, जखवार, सहारन, आदमपुर, नजरपुर, भितरवार नगर पंचायत शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम चांदपुर पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान की वस्तुस्थिति भी जानी। साथ ही लखेश्वरी माता मंदिर परिसर में बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए बनाए गए राहत शिविर में भी पहुंचे। श्री चौहान ने डबरा-झांसी मार्ग पर सिंध नदी के समीप बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई चांदपुर गौशाला के जीर्णोद्धार और लखेश्वरी माता मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल-सह-मैरिज हॉल बनवाने की घोषणा भी की।

हर प्रकार के नुकसान की करेंगे भरपाई

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार हर प्रकार के नुकसान की भरपाई करेगी। जिन लोगों के घरों का सामान, बर्तन-भाड़े, कपड़े इत्यादि नष्ट हुए हैं, उन सभी का आंकलन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आर्थिक राहत प्रदान की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनका जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराकर राहत राशि वितरित की जाएगी। जिनका कुआं और नलकूप नष्ट हुआ है उन्हें 25 हजार रुपये, गाय, भैंस, बैल इत्यादि मवेशी की मृत्यु पर 30 हजार, साथ ही छोटे जानवर की मृत्यु पर 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

जिनके आवास टूटे हैं, नए बनवाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं प्रदेश सरकार उनके लिए नया घर बनवाने के लिए एक लाख बीस हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए जल्द सर्वे कराया जाएगा।

बाढ़ प्रभावित परिवार को तुरंत दिया गया आधा क्विंटल राशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि तात्कालिक रूप से भोजन की व्यवस्था के लिये हर बाढ़ प्रभावित परिवार को आधा क्विंटल खाद्यान्न सरकार मुहैया करायेगी। साथ ही जो बर्तन-भाड़े, कपड़े-लत्ते और अनाज का नुकसान हुआ है, उसके नुकसान का आंकलन करके प्रभावितों को राहत राशि दी जाएगी।

सर्वे में कोई छूटे नहीं

श्री चौहान ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि सर्वेक्षण का काम पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। साथ ही सर्वेक्षण कार्य का पंचनामा भी तैयार कराया जाए। सर्वेक्षण में कोई छूटे नहीं। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि आरबीसी 6-4 के तहत फसल नुकसान की भरपाई करने के साथ फसल बीमा की राशि भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अति वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई बिजली की लाइनें अभियान बतौर दुरूस्त कराकर जल्द ही बिजली की सप्लाई सुचारू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं

मुख्यमंत्री ने चांदपुर और गधौटा में ट्रैक्टर की ट्रॉली पर खड़े होकर आत्मीयता के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं और कठिनाइयां सुनीं।

भारतीय हॉकी टीम

कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने पर टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने टीम में शामिल प्रदेश के युवा खिलाड़ी इटारसी के श्री विवेक सागर और मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी के नीलकांता शर्मा को सम्मान निधि के रूप में एक-एक करोड़ रुपये का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने दुनिया की श्रेष्ठ टीमों न्यूजीलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान को परास्त कर यह सम्मान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश के लिए विशेष रूप से यह गर्व की बात इसलिए भी है कि हमारे प्रदेश के इटारसी जिले के युवा खिलाड़ी श्री विवेक सागर इस टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने ओलिंपिक प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर भारतीय टीम को कई श्रेष्ठ टीमों के विरुद्ध विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीलकांता शर्मा भी मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी से चयनित होकर गए थे।

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के आवेदन 30 सितम्बर तक लिये जाएंगे

भोपाल, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिये वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदेश के शासकीय/आदर्श संस्कृत विद्यालय/अशासकीय संस्कृत विद्यालय/शासकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं परम्परागत आवासीय संस्कृत पाठशालाओं को संस्थान से नवीन संबद्धता प्राप्त करने एवं संबद्धता नवीनीकरण के लिये एम.पी.ऑनलाइन पर 30 सितम्बर 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

खास खबर

आरटीई अंतर्गत दूसरी लॉटरी चौदह अगस्त को होगी

भोपाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2021-22 में निःशुल्क प्रवेश की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत गैरअनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 4 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि पंजीकृत आवेदक 11 अगस्त 2021 तक स्कूल की च्वाइस को अपडेट कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14 अगस्त 2021 को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। आबंटित स्कूल में 16 से 25 अगस्त तक बच्चे प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित स्कूल को 25 अगस्त तक एडमिशन रिपोर्टिंग देनी होगी।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

विद्यार्थी संवाद

विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री

भोपाल, विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए धीरे-धीरे हमने कक्षाएं प्रारंभ की हैं। नवीं एवं दसवीं की कक्षाएं भी 5 अगस्त से प्रारंभ हो गई हैं। अभी ये कक्षाएं सप्ताह में दो-दो दिन ही लगेंगी। कोरोना काल में स्कूल, कॉलेज तो बंद थे, परन्तु शिक्षण कार्य निरंतर चलता रहा। फिर चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों अथवा टीवी कार्यक्रम, रेडियो, वॉट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से हों। इसमें अभिभावक और शिक्षकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 'विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम' में विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावकों से वर्चुअल चर्चा करते हुये कहीं।

विद्यार्थी लक्ष्य करें निर्धारित

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह सुनिश्चित करने के लिए कहा। जिस प्रकार तीरंदाजी के प्रशिक्षण के समय गुरु द्रोणाचार्य के यह पूछने पर कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन ने कहा था कि उसे न पेड़ दिखाई दे रहा है और न चिड़िया, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसी प्रकार छात्रों को भी एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए।

हमारा घर – हमारा विद्यालय

श्री चौहान ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में को-एजुकेटर के रूप में अभिभावकों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। आप लोग परिवार में पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल बनाएं और 'हमारा घर - हमारा विद्यालय' की परिकल्पना को साकार करें।

नवम्बर में 'नेशनल अचीवमेंट सर्वे'

श्री चौहान ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत नवम्बर में एन.ए.एस. (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) भी आयोजित किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य रखें। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को विश्व-स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'कल्चर ऑफ एक्सीलेंस' विकसित करने और फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करने की दृष्टि से प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोले जायेंगे।

मध्यप्रदेश में रोज़गार के अवसर बढ़ाना आवश्यक - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करते हुए।

भोपाल, इंदौर में विकसित होने वाले फर्नीचर और खिलौना क्लस्टर में राज्य शासन हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। क्लस्टर में स्थापित इकाइयों से प्रदेश में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए आवश्यक है। इंदौर में फर्नीचर और खिलौना क्लस्टर विकसित करना, उद्योगपतियों की सराहनीय पहल है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में इंदौर फर्नीचर क्लस्टर तथा खिलौना क्लस्टर के संबंध में भेंट करने आए उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान कहीं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, आयुक्त उद्योग एवं सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्री विवेक पोरवाल इस दौरान उपस्थित थे।

इंदौर फर्नीचर क्लस्टर

इंदौर के बेटमा में 154 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 600 करोड़ रुपये की लागत से फर्नीचर क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। क्लस्टर में 171 निवेशकों द्वारा अपनी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे लगभग 5200 लोगों को रोज़गार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्लस्टर के लिए नामांतरण के आधार पर अलॉटमेंट, क्लस्टर को तीन फेज में विकास की अनुमति और विद्युत सब स्टेशन, एक एम.एल.डी. पानी तथा 45 मीटर सड़क बनाकर देने की प्रतिनिधियों की मांग पर सहमति प्रदान की।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

31 जुलाई

भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 अगस्त तक बढ़ी

● भारत में कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दी। डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल यात्री उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेगा। यह रोक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमानों और उन उड़ानों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें डीजीसीए ने अनुमति दी है। डीजीसीए ने कहा कि कुछ चुनिंदा रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है।

● दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अब दिव्यांग सैनिक ट्रैकिंग कर सकेंगे। केन्द्र सरकार ने सेवानिवृत्त दिव्यांग सैनिकों के समूह क्लॉ ग्लोबल को सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करने की अनुमति दी है। क्लॉ ग्लोबल ने इसके लिए 20 सेवानिवृत्त दिव्यांग सैनिकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इनमें से पूर्व सैनिक सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक ट्रैकिंग करेंगे। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2019 में घोषणा की थी कि सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक का मार्ग पर्यटकों को ट्रैकिंग करने के लिये खोल दिया जायेगा।

● कोरोना महामारी का डेल्टा वैरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में सक्षम है। यह बात अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन (सीडीसी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा वैरिएंट चिकनपॉक्स की तरह आसानी से फैलता है, इसलिए आने वाले समय में इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यह वैरिएंट वैक्सीन लगवा चुके लोगों में भी तेजी से फैलता है।

01 अगस्त

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षा पैर्टन में किया गया बदलाव

● केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2021 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि सीटीईटी में जो बदलाव किये जा रहे हैं वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहे हैं। सीबीएसई ने कहा कि सीटीईटी-2021 का परीक्षा पैटर्न अलग होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सीटीईटी के नए सिलेबस में सवाल इस तरह होंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन नॉलेज परखी जा सके। अभ्यर्थी सीटीईटी का नया पैटर्न समझ सके, इसके लिए सीबीएसई नये सैंपल पेपर्स जारी करेगा। सीबीएसई ने कहा कि सीटीईटी परीक्षा दिसम्बर 2021 या जनवरी 2022 में आयोजित की जाएगी।

● भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों के लिए मानसून धमाका ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत अगस्त माह में होम लोन के लिए आवेदन करने पर ग्राहकों प्रोसेसिंग फीस में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अलावा एसबीआई ने कहा कि योनो एप से लोन की अर्जी देने पर 0.05 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर 6.70 प्रतिशत से शुरू होती है। एसबीआई होम लोन की प्रोसेसिंग फीस 0.40 प्रतिशत वसूलता है।

● भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच चीन दो विवादित क्षेत्रों से पीछे हटने को राजी हो गया है। भारत और चीन के सीनियर कमांडरों के बीच 12वीं बैठक के दौरान भारत ने चीन विवादित क्षेत्र हॉट स्प्रिंग, गोग्रा और डेपसांग में चीनी सेना की मौजूदगी पर सख्त आपत्ति जताई। बातचीत के बाद चीन हॉट स्प्रिंग और गोग्रा प्वाइंट से पीदे हटने पर सहमत हो गया है। इन दोनों इलाकों को पट्रोल प्वाइंट 15 और पट्रोल प्वाइंट 17 अल्फा के नाम से जाना जाता है।

02 अगस्त

वर्ष 2023 में आयोजित होगी पहली एक्जिट परीक्षा

● देश की पहली एक्जिट परीक्षा वर्ष 2023 में आयोजित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल. मांडविया ने कहा कि वर्ष 2023 की पहली छमाही में नेशनल एक्जिट टेस्ट को सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप बनाया गया है। वर्ष 2022 में इस परीक्षा के मॉक रन की भी योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ समीक्षा बैठक में मेडिकल एजुकेशन को लेकर कई अहम मामलों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे देश के सभी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को यह परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आने वाले विद्यार्थियों के लिए भारत में प्रैक्टिस करने के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी होगी। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन इसी के आधार पर होगा।

● केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए दुबई और कुवैत में नये परीक्षा केंद्रों की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से खाड़ी देशों में रह रहे अप्रवासी भारतीय विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अफरातफरी और दबाव से राहत मिलेगी। अब ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए विदेश यात्रा नहीं करनी होगी।

● इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने सीएस परीक्षा-2021 के लिए ऑप्ट आउट विंडो खोल दी है। यह विंडो 20 अगस्त, 2021 तक खुली रहेगी। जो विद्यार्थी जून की जगह दिसम्बर माह की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वह आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

03 अगस्त

सीबीएसई की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 16 अगस्त को होगी शुरू

● केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बारहवीं कक्षा के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो विद्यार्थी बोर्ड रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है या अंक सुधार करना चाहते हैं, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितम्बर 2021 तक आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी बोर्ड की ओर से जारी 19 विषयों में अंक सुधार परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द शुरू किया जायेगा। इस परीक्षा में प्रश्नपत्र वैसे ही होंगे, जैसा कि वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर अपलोड किए गए थे।

● ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोरोना से बचाव के लिए 100 प्रतिशत टीकारण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर नगर निगम के दक्षिण-पूर्व क्षेत्रीय उपायुक्त अंशुमान रथ ने बताया कि भुवनेश्वर में 100 प्रतिशत आबादी को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया है, इसके अलावा शहर के एक लाख प्रवासी कामगारों को भी वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर में अब तक 18 वर्ष के अधिक आयु के कुल 9 लाख से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए 55 टीकाकरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

04 अगस्त

ई-वाहनों का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण होगा निःशुल्क

● केन्द्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और उनके नवीनीकरण निःशुल्क कर दिया है। केंन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ई-वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन मार्क जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सरकार के इस फैसले से ई-स्कूटर या बाइक खरीदने की लागत कम से कम एक हजार रुपये कम हो जायेगी, वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहक को कम से कम 4 हजार रुपये का फायदा होगा।

● युवाओं में सेना और सुरक्षा बलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार अब सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अनिवार्य एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) प्रशिक्षण से जोड़ने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में सभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में एनसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्कूलों में एनसीसी प्रशिक्षण विंग के विस्तार की यह योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिश के बाद बनाई गई है। इस योजना में रक्षा मंत्रालय की मदद से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

● अफगानिस्तान में तालिबान और सुरक्षा बलों के बीच जारी संघर्ष के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा बम धमाका हुआ। यह धमाका शिरपुर इलाके में हुआ। इस स्थान पर अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक लोग रहते हैं। यह इलाका भीड़-भाड़ वाला है। यहां कई देशों को दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दफ्तर हैं।

05 अगस्त

एनटीए ने नीट के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

● नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट) यूजी 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एनटीए द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार नीट यूजी परीक्षा के लिए अब 10 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। पहले यह समय सीमा 6 अगस्त 2021 तक थी। एनटीए ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त तक है। आवेदन सुधार की विंडो 11 अगस्त से 14 अगस्त तक खुली रहेगी।

● सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से अधिक ऊंचाई पर किया है। यह सड़क 19 हजार 300 फीट की ऊंचाई पर बनी है। अब इस सड़क से सेना के टैंक और तोप उमलिंगला दर्रे को पारकर आसानी से चीन से लगी एलएसी पर चुमार सेक्टर तक पहुंच सकेंगे। दुर्गम इलाके में बनी यह सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था।

06 अगस्त

इब्राहिम रईसी ने ली ईरान के राष्ट्रपति पदक की शपथ

● इब्राहिम रईसी ईरान के आठवें राष्ट्रपति बन गए हैं। रईसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। रईसी ने जन 2021 में देश में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की थी। रईसी पूर्व जज हैं। वे वर्ष 1988 में तेहरान रेवॉल्यूशनरी कोर्ट में जज था। रईसी ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने वाली कूटनीति अपनाने और पड़ोसी देशों के साथ मतभेदों को दूर करने पर जोर दिया।

● अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए 303 तालिबानियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने देश के कई प्रांतों में तालिबान के खिलाफ अभियान तेज किया है। अफगान वायुसेना ने कंधार के बाहरी इलाकों में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। इस हमले में कई तालिबानी मारे गए हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

रोज़गार और निर्माण की एजेंसी

भोपाल शहर में निम्न स्थानों पर रोज़गार और निर्माण की एजेंसी देना है। समाचार पत्र व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति ही संपर्क करें।

क्षेत्र : 1. न्यू मार्केट, 2. अरेरा कॉलोनी, 3. बी.एच.ई.एल., 4. कोलार रोड

संपर्क

प्रबंधक (प्रसार और विज्ञापन)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश
फोन : 0755-2760006

वर्ष 38, अंक 32 09.08.2021 से 15.08.2021

रोज़गार और निर्माण

rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
- सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
- कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार बनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (रु. पाँच सौ) का डी.डी., मनी ऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर, रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें:-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011, फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

स्व-सहायता समूहों की कारगर पहल

ग्रामीण अंचलों में महिलाओं द्वारा छोटी-छोटी बचत और घर पर बनायी गई वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी पहल मध्यप्रदेश में हुई है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर मदद का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब जहां ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर को बढ़ाकर अपनी आय का स्थायी जरिया कायम कर रही हैं, वहीं साहूकारों के भारी-भरकम ब्याज के कर्जजाल से भी मुक्त हो रही हैं। राज्य-शासन ने महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन के साथ न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों को साहूकारों के कर्ज और उसके ब्याज के जाल में बचाने में संजीवनी साबित हो रही है। आर्थिक संबल मिलने से समूह सदस्यों ने अपनी जमीन तथा गहने साहूकारों के यहां गिरवी रखना बंद कर दिए और पुराने कर्जे को चुका कर अपनी जमीन भी मुक्त करायी है। इस तरह के कई उदाहरण अनेक जिलों में हैं। विशेष रूप से अलीराजपुर, शहडोल एवं हरदा जिले में व्यापक पैमाने पर बंधक जमीनें मुक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में एक महती कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में महिला-सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कार्य-योजना को अमल में लाया गया है। इस वर्ष महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपये की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर 4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। इसके ऊपर का ब्याज राज्य सरकार देगी। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्म-निर्भरता के पथ पर अग्रसर करने, समूहों की गतिविधियों और उनके उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाया जा रहा है। विपणन के लिए स्व-सहायता पोर्टल के माध्यम से समूहों के उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 37 लाख 70 हजार से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3 लाख 30 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। अब तक 2 लाख 92 हजार स्व-सहायता समूहों को लगभग 29 सौ करोड़ रुपये की बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस राशि से कृषि एवं गैर-कृषि आधारित लगभग 1 सैकड़ा से अधिक प्रकार की आजीविका गतिविधियां एवं सूक्ष्म उद्यम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य-शासन द्वारा कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए लॉक-डाउन एवं जनता कर्फ्यू के समय भी लगातार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहा है। आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से लगभग 12 लाख 23 हजार परिवारों को जोड़ा गया है। इनमें से लगभग 5 लाख 2 हजार व्यवसायी सब्जी उत्पादन, 1 लाख 72 हजार उन्नत कृषि और 1 लाख 55 हजार महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर कार्य कर रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित "मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन" के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के बेहतर मौके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी से रोज़गार उपलब्ध हो रहा है।

तकनीक मनुष्य के सोचने के तरीके को बेहतर बना रही है

कई बार लोग इस तरह की चर्चा करते देखे जाते हैं कि आधुनिक उपकरण जैसे - मोबाइल, कम्प्यूटर मनुष्य के सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, इसी विषय पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी में एक शोध पर काम हुआ है। शोध में कहा गया है कि स्मार्ट डिजिटल तकनीकें हमारे सोचने समझने की क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, हालांकि वे हमारे सोचने समझने और अनुभव करने के तरीकों में बदलाव जरूर ला रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के सामाजिक व्यवहार विशेषज्ञ और इस शोध से जुड़े शोधकर्ता एंथनी केमेरो ने बताया कि सुर्खियों के बावजूद इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं, जो यह दर्शाते हों कि स्मार्ट फोन और डिजिटल तकनीकें हमारी सोचने समझने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती हैं। शोध में केमेरो और उनके सहयोगियों ने डिजिटल युग के विकास के बारे में बताया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह स्मार्ट तकनीकें सोच को पूरक बनाती हैं, जो हमें उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती हैं। केमेरो बताते हैं कि यह सही है कि कम्प्यूटर, मोबाइल जैसे उपकरणों से निकलने वाली किरणों से गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं जरूर होती हैं, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि तकनीकों की मदद से हम जटिल कार्यों को कर पाने में सक्षम हैं, जिन्हें शायद हम इनके बिना नहीं कर पाते, हालांकि हो सकता है, यह किसी और तरह से हमें प्रभावित कर रही हों, पर यह हमें मूढ़ बना रही हैं, यह सही नहीं है।

- देवेश तिवारी
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

भारत छोड़ो आन्दोलन 09 अगस्त

आन्दोलन जो आज़ादी के लिये साबित हुआ निर्णायक

भारत की आज़ादी के लिये वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भारत छोड़ो आन्दोलन तक जो संघर्ष हुआ उसका लम्बा इतिहास है और इस संघर्ष गाथा में कई मुकाम ऐसे आये जब लगा कि बस अब देश सल्तनत-ए-बरतानिया के औपनिवेशिक साम्राज्य से आज़ाद होने को ही है। इस लम्बे और शहादत की गौरव गाथाओं से भरे स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में लड़ा गया -'भारत छोड़ो आन्दोलन' आज़ादी के लिये सबसे निर्णायक लड़ाई थी। इस आन्दोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आन्दोलन महात्मा गाँधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद 09 अगस्त, 1942 को गाँधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ यह भारत छोड़ो आन्दोलन आरम्भ हुआ था। भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा सविनय अवज्ञा आन्दोलन था ।

भारत छोड़ो आन्दोलन की पृष्ठभूमि जिससे यह आन्दोलन अपरिहार्य हो गया

क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीयों द्वारा नकारे जाने और क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिये कह दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने आपको सख्त-से-सख्त कानूनों से सुरक्षित कर लिया था और शांतिपूर्ण गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया था। स्थितियाँ अत्यंत विकट हो चुकी थीं और भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी यह पता था कि उस समय विद्रोह का नतीजा जनता के कठोर दमन के रूप में आएगा, परंतु फिर भी यह संघर्ष छेड़ा गया। इस संघर्ष के अपरिहार्य हो जाने के कारण थे - संवैधानिक गतिरोधों को हल करने में क्रिप्स मिशन असफल हो गया था और यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ किसी सम्मानजनक समझौते के लिये तैयार नहीं है। युद्ध के कारण रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव के चलते मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के कारण सरकार के प्रति जनता में तीव्र आक्रोश था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा, बंगाल व असम में दमनकारी भू-नीति का इस्तेमाल किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण असंतोष व्यक्त करने की भारतीयों की इच्छाशक्ति जागृत हो गई। ब्रिटिश सत्ता में उनकी आस्था समाप्त हो गई और सत्ता के स्थायित्व के प्रति उनके मन में संदेह पैदा हो गया फलस्वरूप जनता डाकघरों और बैंकों से अपने रुपये निकालने लगी। बर्मा और मलाया को खाली करवाने के तरीकों से भी जनता में काफी क्षोभ व्याप्त था। भारतीयों को लगने लगा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ यहाँ भी इसी प्रकार विश्वासघात करेंगे। लोगों में निराशा फैल रही थी और यह आशंका पैदा हो गई थी कि यदि जापानी आक्रमण हुआ तो जनता हताशा के चलते प्रतिरोध ही न करे, अतः यह समय राष्ट्रीय नेताओं को एक बड़ा संघर्ष शुरू करने के लिये उचित लगा। भारत छोड़ो आन्दोलन भारत के लिये एक युगांतरकारी आन्दोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। 'करो या मरो' नारे के साथ ग्वालिया टैंक मैदान से गाँधीजी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि- 'जब भी सत्ता मिलेगी, भारत के लोगों को मिलेगी और तब जनता ही तय करेगी कि इसे किसके हाथों में सौंपा जाना है। सही मायनों में भारत छोड़ो आन्दोलन में ही आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व वहम भारत के लोगों को प्राप्त हुआ। 'भारत छोड़ो' का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी

नेताओं में से एक थे।

ब्रिटिश शासन के खिलाफ गाँधीजी का यह तीसरा सबसे बड़ा आन्दोलन था

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आन्दोलन छेड़ने का फैसला लिया था। अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में इसे 08 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में - 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नाम दिया गया था। इस आन्दोलन की घोषणा के बाद ही गाँधीजी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आन्दोलन चलाते रहे। जयप्रकाश नारायण जैसे सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आन्दोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लगा। यह भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का आखिरी बड़ा आन्दोलन था, जिसमें सभी भारतवासियों ने एक साथ बड़े स्तर पर भाग लिया था। कई जगह समानान्तर सरकारें भी बनाई गईं। स्वतंत्रता सेनानी भूमिगत होकर भी लड़े। यह आन्दोलन ऐसे समय में प्रारंभ किया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और औपनिवेशिक देशों के नागरिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो रहे थे और कई देशों में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के खिलाफ आन्दोलन तेज होते जा रहे थे। ऐसे समय में भारत में ऐसे एक आन्दोलन ने देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया।

करेंगे और करके रहेंगे के नारे से पुनर्जीवित होगी भारत छोड़ो की भावना

इस वर्ष भारत छोड़ो आन्दोलन को उन्यासी साल पूरे हो जायेंगे। गत वर्ष भारत छोड़ो आन्दोलन से प्रेरणा लेते हुए तथा भारत छोड़ो आन्दोलन की भावना को पुनर्जीवित करते हुए देश के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के - 'करो या मरो' के नारे के स्थान पर एक नया नारा' करेंगे और करके रहेंगे' दिया था जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तो वर्ष 1857 में ही हो चुकी थी, लेकिन गाँधीजी के आने के बाद यह स्वतंत्रता संग्राम बेहद शांतिपूर्ण और अहिंसक बनकर आगे चला। गाँधीजी ने कई मोर्चों पर देश को स्वाधीनता के लिए एक करने की कोशिश की और अंत में उन्होंने आखिरी बार 09 अगस्त, 1942 को 'भारत छोड़ो आन्दोलन' शुरू किया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

भारत छोड़ो आन्दोलन को भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अन्तिम महान प्रयास कहा गया। वर्ष 1942 के आन्दोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया था कि उन्होंने शासन का वैध अधिकार खो दिया है।

इस आन्दोलन को 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है

भारत छोड़ो आन्दोलन को - 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है। विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज को 'दिल्ली चलो' का नारा दिया, गाँधीजी ने मौके की नज़ाकत को भाँपते हुए 08 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को 'भारत छोड़ो' व भारतीयों को 'करो या मरो' का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खाँ पैलेस में चले गये। इसी दिन अर्थात 09 अगस्त, 1942 को लालबहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने इसे प्रचण्ड रूप दे दिया और 19 अगस्त, 1942 को शास्त्रीजी गिरफ्तार हो गये। इस आन्दोलन के सत्रह साल पहले 09 अगस्त, 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से रामप्रसाद 'बिस्मिल' के नेतृत्व में हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ के दस जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी काण्ड किया था जिसकी यादगार ताजा रखने के लिये पूरे देश में प्रतिवर्ष 09 अगस्त को 'काकोरी काण्ड स्मृति-दिवस' मनाने की परम्परा भगतसिंह ने प्रारम्भ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गाँधीजी ने एक सोची-समझी रणनीति के अन्तर्गत ही 09 अगस्त, 1942 का दिन चुना था।

आन्दोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्राणोत्सर्ग भी किया था

भारत छोड़ो आन्दोलन, विश्व इतिहास में सबसे सशक्त जन आन्दोलन के रूप में जाना जाता है जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आन्दोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। युवा अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाने लगे। इस आन्दोलन से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार घबरा गई और 09 अगस्त, 1942 को दिन निकलने से पहले ही काँग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और काँग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गाँधीजी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खाँ पैलेस में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबन्द किया गया था। सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस जनान्दोलन में 940 लोग मारे गये थे, 1630 घायल हुए थे और 18,000 डी.आई.आर. में नजरबन्द हुए तथा 60,229 लोग गिरफ्तार हुए थे। इस आन्दोलन को कुचलने के ये आँकड़े दिल्ली की सेन्ट्रल असेम्बली में ऑनरेबुल होम मेम्बर ने पेश किये थे।

आन्दोलन के लिये दिया था गाँधीजी ने एक मंत्र

भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में गाँधीजी ने कहा कि - 'एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ' इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर साँस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है-'करो या मरो'। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस तरह भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 'भारत छोड़ो' एवम् 'करो या मरो' भारतीयों का नारा बन गया। यह आन्दोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये किये गये प्रयासों के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गाँव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानान्तर सरकारों के गठन से जनता काफी उत्साहित हुई। इसमें महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया जो राष्ट्रीय आन्दोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। इस आन्दोलन के दौरान पहली बार राजाओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया।

राजा दुबे
(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

क्रमांक : 166/परीक्षा/2021 जबलपुर, दिनांक : 04.08.2021

उच्च न्यायालय में Personal Assistant के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष-2021

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : 17.08.2021 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30.09.2021 (11.55 PM)
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की दिनांक : बाद में अधिसूचित की जावेगी।
ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की दिनांक : - " -

निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों (भारतीय नागरिक) से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड - "अ"

(एक) नियमित पदों की संख्या :-

Name of post	Category				Total Post
	UR	OBC	SC	ST	
Personal Assistant	11	03	03 (1 PH)	05	22 (1 PH)

*उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

(दो) पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमा :-

High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control And Appeal) Rules, 2017" की "अनुसूची-एक" के "कॉलम क्र.-5, 6 & 7" के अनुसार निम्नानुसार है :-

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक - 01.01.2021 से
Personal Assistant 9300-34800 + ग्रेड पे 3600/-	1. Graduate from Any recognized University. 2. Shorthand Examination in English from A recognized Board of Shorthand And Typewriting Examination @ 80 words per minute. 3. 1 year Diploma in Computer Application from the Institution recognized by the Government of Madhya Pradesh	18-40 वर्ष

***सातवे वेतनमान के अनुसार उक्त पद का पे-मैट्रिक्स 36200-114800 होगा।**

(तीन) संबंधित पद हेतु टीप :-

1. उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी.ए., बी.कॉम. या बी.एस.सी. में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं. 1925/2010 (S) जबलपुर-राकेश यादव विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. तथा अन्य आई.एल.आर. (2011) म.प्र. 1847 (डी.बी.) में अभिनिर्धारित किया गया हैं)

(चार) आरक्षण संबंधी टीप :-

(1) म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। केवल म.प्र. के मूल निवासी आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(पांच) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :-

(1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित वर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो-
(क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
(ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
(ग) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाएं।
(घ) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
(ड) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है)।

(3) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरुद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(6) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय-पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म.प्र. उच्च न्यायालय को होगा।

(8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन फार्म बहुत सावधानी से भरें, तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि श्रेणी/जन्मतिथि/विकलांगता/लिंग एवं आपराधिक प्रकरण के संबंध में की गई त्रुटि संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

(छः) अनर्हतायें -

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
(2) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
(4) चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
(5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
(6) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
(7) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
(8) आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।
(9) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
(10) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या ऑनलाइन परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या कंप्यूटर या किसी तार, उससे जुड़े परिधीय या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य चीज, या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या कंप्यूटर स्क्रीन, टेबल या अन्य उम्मीदवारों के कम्प्यूटर में झाँकना इत्यादि।
(11) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर ब्लूटूथ डिवाईस, लिस्निंग डिवाईस, रिस्ट वॉच, अलार्म वॉच, रिकार्डिंग डिवाईस, इलेक्ट्रानिक गैजेट आदि प्रतिबंधित हैं और परीक्षा परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है, इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई की जायेगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है, अथवा
(12) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

खण्ड - "ब"

(क) आवेदन शुल्क :-

श्रेणी	परीक्षा शुल्क (अ)	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब)	योग (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु (दिव्यांग को छोड़कर)	रु. 200/-	रु. 722.16/-	रु. 922.16/- (नौ सौ बाइस रुपये सोलह पैसे)
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी) एवं/अथवा **दिव्यांग (विकलांग)** आवेदकों हेतु	रु. 0/-	रु. 722.16/-	रु. 722.16/- (सात सौ बाइस रुपये सोलह पैसे)

नोट :- (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रैंजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(ख) ऑनलाइन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।
आवेदन पत्र म.प. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर **"Recruitment/Result"** की बटन में क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् **"Click on-Online Application Forms/Admit Cards"** पर **Click** करें जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 03 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है :-
1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application
Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है, बाद में त्रुटि-सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।
2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड (Visa/Master debit card) अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :- कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022-61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

नोट :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड - ''स''

(क) परीक्षा की योजना :-

Personal Assistant पद की भर्ती 02 चरणों में आयोजित की जावेगी,

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (100 अंक) एवं
2. ऑनलाइन मुख्य परीक्षा (100 अंक)।

(ख) प्रवेश पत्र :- ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** में जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति-आवश्यक है, व्यतिक्रम में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(ग) परीक्षा केन्द्र :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर के परीक्षा (सभी या आवश्यकतानुसार एक से अधिक) केन्द्रों में आयोजित की जा सकेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
2. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम -

Part	Syllabus	No. of Questions	Marks
A	(1) Basic GK, including MP State	20	20
	(2) English Grammar	30	30
	(3) General Computer knowledge	20	20
B	(4) Questions related to English Shorthand	30	30
	Total	**100**	**100**

नोट :- (1) परीक्षा की तिथि(यों) एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित (अपलोड) की जावेगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** का अवलोकन करते रहें।

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट) -** आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न-पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(सात) आवश्यक सूचना :-

(1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय पाली मे होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नही दी जावेगी।

(3) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी पूर्व अनुमति परीक्षार्थी को परीक्षा के पूर्व परीक्षा सेल से प्राप्त करनी होगी।

(4) परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(आठ) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :-

1. उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति/स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के सात (07) दिनों के अंदर लिखित रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं श्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्व-हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। ई-मेल द्वारा आपत्तियों पर विचार नहीं करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
2. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:10 (प्रति पद के लिये लगभग 10 अभ्यर्थी) के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिये सफल घोषित किया जावेगा परंतु परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग मात्र होने से इसके प्राप्तांक को अंतिम परिणाम के समय विचार में नहीं लिया जावेगा।

(नौ) ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का शुल्क :- वे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये जावेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये रु. 577.02/- (पोर्टल शुल्क) सेवा प्रदाता को ऑनलाइन देय करना अनिवार्य होगा, जिसके लिये एक वेब लिंक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अनिच्छुक माना जावेगा एवं संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(दस) आवेदन पत्र एवं दस्तावेज :-

1. सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन व दस्तावेज मंगाये जावेंगे, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मलित होने के लिये सेवा प्रदाता को मुख्य परीक्षा के लिये दिये गये पोर्टल चार्ज की रसीद संलग्न किया जाना अति आवश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं अथवा पोर्टल चार्ज की पावती नहीं लगाते है, उन्हें अपात्र किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित **लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा**। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन अथवा ई-मेल पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति-आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

खण्ड - ''द''

(क) ऑनलाइन मुख्य परीक्षा - ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 100 अंको की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।

(ख) मुख्य परीक्षा केन्द्र - ऑनलाइन मुख्य परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किन्ही कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर प्रकाशित की जावेगी।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

Subject	Marks	Time
English Stenography Dictation (Approx. 400 words)	100	5 Min. (Dictation) + 25 (For Transcription) = 30 Min.

नोट :- (1) अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जावेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 25 मिनिट का समय दिया जावेगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कम्प्यूटर में टाईप कराया जावेगा, जिसका प्रिंट-आउट अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में नहीं निकालना है।

(2) डिक्टेशन के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को डिक्टेशन की आवाज सही व स्पष्ट सुनाई दे रही है, मॉक डिक्टेशन दिया जायेगा, तत्पश्चात मूल डिक्टेान दिया जायेगा, मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात् अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नही होगा, किसी अभ्यर्थी द्वारा अनावश्यक विवाद करने या बाधा उत्पन्न करने की दशा में उसे परीक्षा भवन से निष्कासित कर दिया जायेगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट-बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट-बुक में डिक्टेशन Long Hand में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।

(3) उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि (गलत शब्द, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि) पर 1/2 (0.50) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं, तो उसे शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।

(4) मुख्य परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की-बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।

(ग्यारह) अंतिम चयन सूची/परिणाम :-

उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात् श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावेगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

नोट- सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(बारह) अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड/मार्कशीट म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

टीप : 1. ऑनलाइन परीक्षा व मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक व त्रुटियों के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. भर्ती के किसी भी चरण में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(तेरह) प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :-

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र. F6-07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक-14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(चौदह) नियुक्ति संबंधी टीप :-

(1) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(2) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(पन्द्रह) यात्रा व्यय का भुगतान :-

ऑनलाइन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सोलह) शुद्धिपत्र :-

उक्त रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन ''शुद्धिपत्र'' के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट पर प्रकाशित ''शुद्धिपत्र'' को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। ''शुद्धिपत्र'' की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(सत्रह) सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :-

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक व उत्तर पुस्तिका संबंधी जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से आवेदन क्रमांक व पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेगा। इसके बावजूद यदि अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है, तब विहित शुल्क अदा करने व नियमानुमत होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से 3 माह तक आवेदक अभ्यर्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता है। मुख्य परीक्षा के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परिणाम घोषित होने के पहले पोषणीय नहीं होगा।

(अठारह) विनष्टीकरण :-

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर-पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन-पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(उन्नीस) कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश :-

परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा इत्यादि के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

आर-45781/2021 रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेण्डरिंग/406/1268

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

ई-मेल : mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in
फोन : 0755-2553402, फैक्स : 0755-2552406

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक - 468/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग भोपाल, दिनांक 26.07.2021

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 13.08.2021 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1.	2021_WRD_141942	गांधी सागर संभाग के विभिन्न लघु जलाशयों के जलद्वारों का मरम्मत कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	उज्जैन	2.67
2.	2021_WRD_141943	नीमच संभाग, के विभिन्न लघु जलाशयों के जलद्वारों का मरम्मत कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	उज्जैन	3.52
3.	2021_WRD_142139	भगवंत सागर परियोजना की पंधाना वितरिका की मोहनपुर माइनर की आर.डी. 1020 मी. पर साइफन का निर्माण कार्य।	खण्डवा	4.89
4.	2021_WRD_142144	अर्दला, करोंद, नावली एवं बामझर लघु सिंचाई योजना के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	खण्डवा	19.85
5.	2021_WRD_145364	गिरबी जलाशय योजना के मुख्य नहर के आर.डी. 400 मी. पर निर्मित एक्वाडक्ट का विशेष मरम्मत कार्य।	अनुपपूर	4.08
6.	2021_WRD_148562	परकुल मध्यम परियोजना, टिकारी लघु जलाशय, हिलगन लघु जलाशय एवं वीला फीडर नहर का वॉच एवं वार्ड मॉनिटरिंग का कार्य।	सागर	4.89
7.	2021_WRD_151879	उपसंभाग, शमशाबाद के स्टाप डेम एवं बैराजों के गेट्स खोलने एवं लगाने का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	विदिशा	0.86
8.	2021_WRD_151930	महान नहर संभाग, सीधी हेतु लेखन सामग्री का प्रदाय।	सीधी	3.10
9.	2021_WRD_152370	तवा बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 77.69 से 77.75 कि.मी. तक सी.सी. लाइनिंग का मरम्मत कार्य।	होशंगाबाद	7.38
10.	2021_WRD_152371	तवा बांयी तट मुख्य नहर की भिलाड़िया वितरणी की बासनिया माइनर, चंदपुर माइनर एवं गाजनपुर उपनहर का बैंक रेजिंग मिट्टी का कार्य।	होशंगाबाद	3.45
11.	2021_WRD_152372	तवा बांयी तट मुख्य नहर की रायगढ़ वितरणी की 07 नं. माइनर्स का बैंक रेजिंग मिट्टी का कार्य।	होशंगाबाद	3.34
12.	2021_WRD_152373	तवा बांयी तट मुख्य नहर की सतवासा वितरणी की 14 नं. माइनर्स का बैंक रेजिंग मिट्टी का कार्य।	होशंगाबाद	3.39
13.	2021_WRD_152374	मकड़ाई उपनहर की लोधड़ी माइनर 1, 2 आर 5 आर, 9 आर एवं रेहडा माइनर का बैंक रेजिंग मिट्टी का कार्य।	होशंगाबाद	4.13
14.	2021_WRD_152632	उपसंभाग, हटा के स्टापडेमों के शटर लगाने एवं खोलेन का कार्य।	दमोह	2.97
15.	2021_WRD_152633	उपसंभाग, हटा के स्टापडेमों के शटर लगाने एवं खोलेन का कार्य।	दमोह	8.32
16.	2021_WRD_152634	उपसंभाग, तेंदुखेड़ा/जेबरा के स्टापडेमों के शटर लगाने एवं खोलेन का कार्य।	दमोह	2.74
			कुल योग	79.58

मुख्य अभियंता
(प्रोक्योरमेंट)

जी-15078/45774/2021

कोरोना से बचने की तीन बातें बहुत जरूरी, टीका लगवाना, मास्क पहनना और अपनाना दो गज दूरी।

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : dme12001@yahoo.com, दूरभाष क्रमांक : 0755-2551719
वेबसाइट : www.medicaleducation.mp.gov.in, फैक्स : 0755-2578844

क्रमांक :- 2356/मे.का./स्थापना/2021 भोपाल, दिनांक 28.07.2021

NOTICE FOR REQUEST FOR PROPOSALS

"Request for Proposal for providing PMU services to Madhya Pradesh Medical Council"

Madhya Pradesh Medical Council, intends to engage Consultants/Consultancy agencies for knowledge Partner, Strategic Support, Data Analysis & management services, as defined in this RFP and invites proposals from suitable agencies meeting the criteria mentioned in this RFP.
The salient features of the scope of work, eligibility criteria and prescribed formats for submission are provided in this RFP document as uploaded on the Madhya Pradesh Government eProcurement System website https://mptenders.gov.in
Interested bidders are requested to submit their technical and financial proposals in response to the RFP online on the Madhya Pradesh Government eProcurement System **website : https://mptenders.gov.in.**

Published Date	23.07.2021; 06.00 pm	Bid Opening Date	17.08.2021; 05.00 pm
Document Download/Sale Start	24.07.21; 11.00 am	Document Download/Sale End	**16.08.2021**; 05.00 pm
Clarification Date	NA	Clarification End Date	NA
Bid Submission Date	24.07.2021; 12.00 pm	Bid Submission End Date	**16.08.2021**; 05.00 pm

Director
Department of Medical Education

G-15090/45776/2021

कार्यालय संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद

(पता - कार्यालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग परिसर, होशंगाबाद)
ईमेल : jdwcdhos@mp.gov.in, दूरभाष क्रमांक : 07574-253251

क्रमांक/788/मबावि/नियुक्ति/2021 होशंगाबाद, दिनांक 30.07.2021

विज्ञप्ति
मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति

म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र/3440/1784/2019/50-2 (ए.एन.) भोपाल दिनांक 21.08.2019 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के जिले बैतूल, हरदा, होशंगाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई (मानसेवी) एवं मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं के जिलेवार निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंतित किए जाते हैं -

स. क्र.	जिले का नाम एवं जिले का संपर्क नंबर	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या			आगामी 06 माह में रिक्त होने वाले पदों की संख्या		
		कार्यकर्ता	सहायिका	मिनी कार्यकर्ता	कार्यकर्ता	सहायिका	मिनी कार्यकर्ता
1.	बैतूल 07141-230305	09	10	0	09	15	0
2.	हरदा 07577-225973	01	01	0	05	02	0
3.	होशंगाबाद 07574-253254	03	06	01	06	04	0
	योग	**13**	**17**	**01**	**20**	**21**	**0**

- आंगनवाड़ी केन्द्रवार/ग्रामवार/वार्डवार वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी एवं नियम निर्देश शर्तें आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित जानकारी रिक्त पदों एवं अन्य जानकारी के संबंध में संबंधित जिला कार्यालय के दूरभाष पर जो विज्ञप्ति के कॉलम 2 में अंकित है, से संपर्क किया जा सकता है।
- जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम/निर्देश आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल, जिला कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है।
- जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है। उनके संबंध में यदि कलेक्टर/अपर कलेक्टर/संभाग आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद निर्मित होता है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा अर्थात् चयन एवं नियुक्ति न्यायालय के निर्णय के अध्ययाधीन रहेगी।
- संबंधित महिला अपने आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित जिले की बाल विकास परियोजना कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से **दिनांक 16.08.2021 तक** कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में जमा कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
- संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पते पर प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
नर्मदापुरम संभाग, होशांगाबाद

जी-15152/45773/2021

अब किस बात का इंतजार, टीके से करो कोरोना पर वार।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग अलीराजपुर (म.प्र.)

सिनेमा चौराहा कुक्षी रोड अलीराजपुर फोन नं. : 07394-233548, ई-मेल : eepwdali@mp.gov.in

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 03/व.ले.लि./वर्ष-2021-22/ अलीराजपुर, दिनांक 22.07.2021

नीचे दिये गए भवन एवं सड़क कार्य की निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम - 1. जिला न्यायालय अलीराजपुर में अतिरिक्त फाइलिंग काउण्टर का निर्माण कार्य।

पोर्टल पर टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी	जिला	आमंत्रण क्र.	भौतिकरूप में एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज)
2021_PWDRB_152064_1	4.45	8904/-	2000/-	06 माह	केन्द्रीयकृत वर्षाकाल सहित	अलीराजपुर पी.डब्ल्यू.डी. पंजीकरण	द्वितीय	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग अलीराजपुर

क्र. एवं कार्य का नाम - 2. तहसील स्थित न्यायालय जोबट में वकीलों/पक्षकारों का अलग से सेपरेट प्रवेश गेट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।

2021_PWDRB_152165_1	1.22	2440/-	1000/-	03 माह	केन्द्रीयकृत वर्षाकाल सहित	अलीराजपुर पी.डब्ल्यू.डी. पंजीकरण	प्रथम	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग अलीराजपुर

क्र. एवं कार्य का नाम - 3. चाँदपुर मोरधी सोरवाकेल चांदरमुली आँधारकाच गुजरात सीमा मार्ग लम्बाई 7.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।

2021_PWDRB_152185_1	481.31	481310/-	15000/-	12 माह	केन्द्रीयकृत वर्षाकाल सहित	अलीराजपुर पी.डब्ल्यू.डी. पंजीकरण	प्रथम	कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (पश्चिम परिक्षेत्र) इंदौर
योग	**486.98**	**492654/-**	**18000/-**	-	-	-	-	-

1. उपरोक्त वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन पेमेंट करने के पश्चात बिड डाक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है। 2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1. बिड डाक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण, 2. अर्नेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3. चेक लिस्ट, 4. एफिडेविट विस्तृत जानकारी बिड डाटाशीट में देखी जा सकती है। 3. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की तिथि दिनांक 22.07.2021 सुबह 10.30 बजे से दिनांक 06.08.2021 सायं 17.30 बजे तक निर्धारित है। 4. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि दिनांक 22.08.2021 17.30 बजे तक** निर्धारित है। 5. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पेपर पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग अलीराजपुर

जी-15148/45771/2021

बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग इंदौर (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 03/2021-22/का.य. सेतु **इंदौर, दिनांक 27.07.2021**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	भौतिकरूप में एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज)
1.	2021_PWDRB_152784_1	धार	पुल निर्माण कार्य	धार जिले में बीड़ धनियाखेड़ी मार्ग में चामला नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण।	प्रथम	425.86	Envelope-A Submission Online only
2.	2021_PWDRB_152779_1	धार	पुल निर्माण कार्य	धार जिले में सांदलपुर गोविन्दपुरा मार्ग में बाघेरी नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण।	प्रथम	292.95	Envelope-A Submission Online only

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक 16.08.2021 सायं 17.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज **दिनांक 16.08.2021** सायं 17.30 बजे तक वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर केवल ऑनलाइन प्राप्त किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण
संभाग इंदौर (म.प्र.)

जी-15082/45775/2021

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
ऑफिस कॉम्प्लेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./सीपीसी/2021-22/1176 **भोपाल, दिनांक 29.7.2021**

वर्ष 2021-22 के लिये निजी क्षेत्र में कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण हेतु सूचना का प्रकाशन
संशोधन-2

वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना विज्ञापन क्रमांक जी-14653/21 द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.08.2021 थी। योजनांतर्गत अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाकर **4 अगस्त 2021** के स्थान पर **11 अगस्त 2021** किया जाता है। अतः अब दिनांक **11 अगस्त 2021** तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन उपरांत आवेदकों के मूल अभिलेखों के सत्यापन एवं अन्य तिथियों की जानकारी विभागीय वेबसाइट **www.chc.mpdage.org** पर देखी जा सकती है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

जी-15150/45772/2021

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
म.प्र. लोक निर्माण विभाग संभाग अशोकनगर (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 02/वर्ष 2021-22/का.यं. **अशोकनगर, दिनांक 27.07.2021**

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	1. धरोहर राशि 2. निविदा प्रपत्र की राशि
1.	2021_PWDRB_153058_1	वार्षिक मरम्मत	**मुख्यालय अशोकनगर** के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	10.00	1. रु. 20000/- 2. रु. 2000/-
2.	2021_PWDRB_153059_1	वार्षिक मरम्मत	**मुख्यालय अशोकनगर** के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **गैर आवासीय भवनों** का साधारण मरम्म, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	10.00	1. रु. 20000/- 2. रु. 2000/-
3.	2021_PWDRB_153060_1	विशेष मरम्मत	लो.नि.वि. संभाग अशोगनगर के अंतर्गत संभाग एवं उपसंभाग कार्यालय का **विशेष मरम्मत** कार्य, रेस्ट हाउस कैम्पस में पेवर ब्लॉक लगाये जाना एवं अन्य स्वीकृत कार्य।	प्रथम	20.00	1. रु. 40000/- 2. रु. 2000/-
4.	2021_PWDRB_153061_1	विशेष मरम्मत	मुख्यालय अशोकनगर के अंतर्गत शासकीय आवासीय भवनों का **विशेष मरम्मत** कार्य।	प्रथम	20.00	1. रु. 40000/- 2. रु. 2000/-
5.	2021_PWDRB_153062_1	वार्षिक मरम्मत	**उपसंभाग मुंगावली** के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	10.00	1. रु. 20000/- 2. रु. 2000/-
6.	2021_PWDRB_153063_1	वार्षिक मरम्मत	**उपसंभाग मुंगावली** के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **गैर आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	10.00	1. रु. 20000/- 2. रु. 2000/-
7.	2021_PWDRB_153064_1	वार्षिक मरम्मत	**उपसंभाग अशोकनगर** के अनुभाग शाढौरा एवं ईसागढ़ के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	5.00	1. रु. 10000/- 2. रु. 2000/-
8.	2021_PWDRB_153065_1	वार्षिक मरम्मत	**उपसंभाग अशोकनगर** के अनुभाग शाढौरा एवं ईसागढ़ के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **गैर आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	5.00	1. रु. 10000/- 2. रु. 2000/-
9.	2021_PWDRB_153066_1	वार्षिक मरम्मत	**उपसंभाग चंदेरी** के के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु शासकीय **आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	5.00	1. रु. 10000/- 2. रु. 2000/-
10.	2021_PWDRB_153067_1	वार्षिक मरम्मत	**उपसंभाग चंदेरी** के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु **गैर आवासीय भवनों** का साधारण मरम्मत, वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत व अन्य संधारण कार्य।	प्रथम	5.00	1. रु. 10000/- 2. रु. 2000/-
			Total		100.00	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 23.08.2021, (17.00) बजे** निर्धारित है। निविदा **दिनांक 25.08.2021, (12.00) बजे** को कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग अशोकनगर कार्यालय में खोली जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि., संभाग अशोगनगर

जी-15199/45779/2021

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन (म.प्र.)
(भारत निर्वाचन शाखा कम्पोजिट भवन)
दूरभाष - 07482-223486, Email - dcoraisen111gmail.com

रायसेन, दिनांक 30.07.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक/343/23-भा.निर्वा./2021 :- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र फा. क्रमांक-4/1/स्था./2009/वि.निर्वा./160 दिनांक 07.06.2016 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र फा.क्र. 4/1/स्था./2009/6399 दिनांक 02.07.2016 एवं फा.क्र. 4/1/स्था./2009/7059 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों के लिये स्वीकृत स्थायी सेटअप में नवीन पदों का सृजन किया गया है। स्वीकृत पदों को आउटसोर्स से भरा जाना है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्यालय का नाम	सहायक प्रोग्रामर	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	भृत्य	वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार
जिला निर्वाचन कार्यालय रायसेन	1	2	1	कलेक्टर दर से	आउटसोर्स
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (4 विधानसभा क्षेत्र में)	4	8	-	कलेक्टर दर से	आउटसोर्स
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (4 विधानसभा क्षेत्र में)	-	4	-	कलेक्टर दर से	आउटसोर्स
योग :-	**5**	**14**	**1**		

उपरोक्त स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से कर्मचारी प्रदाय करने हेतु भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से सीलबंद निविदाएं **दिनांक 16.08.2021 दोपहर 3.00 बजे तक** जिला निर्वाचन (सामान्य) कार्यालय, रायसेन में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 16.08.2021 को सायं 4.00 बजे** उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा हेतु आवेदन प्रपत्र तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें एवं अनुबंध प्रपत्र कार्यालयीन समय में प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय लेखा शाखा, रायसेन से रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) के जमा चालान जो 0070-अन्य प्रशानिक सेवाएं, 002-निर्वाचन, 101-निर्वाचन कार्य विवरणों की बिक्री मद में जमा किया गया हो, की प्रति देकर प्रापत किये जा सकते हैं। नियत समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा की शर्तें रायसेन जिले की वेबसाइट **www.raisen.nic.in** पर देखी जा सकती है।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन

जी-15158/45777/2021

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, जबलपुर
ई-मेल : ecphedjab@nic.in, दूरभाष क्रमांक : 0761-2344814

निविदा क्रमांक 30-37/व.ले.लि./का.यं./2021-22 **जबलपुर, दिनांक 30.07.2021**

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नानुसार कार्यों की ऑनलाइन डिजिटल मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका अवलोकन वेबसाइट में किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र केवल ऊपर उल्लेखित वेबसाइट से ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किए जा सकते हैं।

Name of Work - Survey, Investigation, Design and Construction of Piped Water Supply Scheme New & Retrofiting Under Jal Jeevan Mission at different villages of District Jabalpur.

निविदा क्र./दिनांक	सिस्टम क्र.	विकासखण्ड का नाम	निविदा की कुल लागत रु. लाख	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की अवधि
30/30.07.2021	153398	Kundam	152.30	152300/-	12500/-	09 Months
31/30.07.2021	153400	Kundam	184.45	184450/-	12500/-	09 Months
32./30.07.2021	153402	Kundam	188.95	188950/-	12500/-	09 Months

Name of Work - Retrofitting Work of Piped Water Supply Scheme to achieve the target of JJM for supplying water at every doorstep through functional household tap connection in various villages and blocks of Jabalpur District.

निविदा क्र./दिनांक	सिस्टम क्र.	विकासखण्ड का नाम	निविदा की कुल लागत रु. लाख	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की अवधि
33/30.07.2021	153405	Shahpura	134.01	134010/-	12500/-	09 Months
34/30.07.2021	153406	Jabalpur	127.31	127310/-	12500/-	09 Months
35/30.07.2021	153407	Majholi	155.50	155500/-	12500/-	09 Months

Name of Work - Supply of Stationery Items in Office of Chief Engineer and Executive Engineer, Public Health Engineering Jabalpur.

निविदा क्र./दिनांक	सिस्टम क्र.	विकासखण्ड का नाम	निविदा की कुल लागत रु. लाख	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की अवधि
36/30.07.2021	153408	Chief Engineer	3.43	6866/-	2000/-	12 Months
37/30.07.2021	153411	Executive Eng.	3.98	7966/-	2000/-	12 Months

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि - **13.08.2021 समय 17.30 बजे तक**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि - 13.08.2021 समय 17.30 बजे तक
ऑनलाइन दर खोलने की अंतिम तिथि - 16.08.2021 समय 11.00 बजे

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड-जबलपुर

जी-15225/45778/2021

SECTION 1

NOTICE INVITING E-TENDERS
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER UPPER NARMADA ZONE
BARGI HILLS, JABALPUR (1st CALL)

NIT No. 277/G/CE/2021 **Dated : 02.08.2021**

NOTICE INVITING TENDER (1st CALL)

Online tenders are invited in Percentage Basis (in Form "A") based on M.P.W.R.D. U.C.S.R. in force from 01.09.2017 with amendments upto 30.06.2021 for following works form registered contractor under centralized registration system with Engineer-in-Chief P.W.D. Bhopal and firms of repute fulfilling registration criteria :-

S. No.	Work	District (s)	Probable Amount (Rs. in Lakh)	Completion Period (months)
1.	Construction of Cement Grout Blocks for soil stabilization in the alignment of under construction sleemnabad tunnel at selected reaches between RD 107.00 km to 111.80 km.	Katni	Rs. 1161.53 (Rs. One thousand one hundred sixty one lakh and fifty three thousand only)	30 (Thirty) Months including rainy season

1. Detailed of NIT information of the tender can be obtained website https://www.mptenders.gov.in. 2. The tender document can be purchased only online form above website after making online payment using Debit Card or Internet Account. 3. Date of Purchase of tender document **03.08.2021, 17.31 hrs. to 24.08.2021, 17.30 hrs.** 4. Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and not in newspaper.

Chief Engineer
Upper Narmada Zone, Bargi Hills, Jabalpur

G-15326/45782/2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 04/05/2020, दिनांक 04.08.2021

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा - 2020

बायलर निरीक्षक ग्रेड-1 तथा बायलर निरीक्षक ग्रेड-2 के पदों को प्रतियोगी परीक्षा से विलोपित कर केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन के संबंध में सूचना

आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.08.2021 आयोग में अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि : 06.09.2021

01. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन क्रमांक 05/2020, दिनांक 29.12.2020 आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन के संदर्भ में निम्नानुसार संशोधन संसूचित किए जा रहे हैं :-

02. उक्त विज्ञापन में विज्ञापित बायलर निरीक्षक ग्रेड-1 के 3 पदों तथा बायलर निरीक्षक ग्रेड-2 के 1 पद को उक्त पदों की भर्ती नियम की व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 की प्रतियोगी परीक्षा से विलोपित कर केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 हेतु आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों से जो बायलर निरीक्षक के पदों हेतु निर्धारित पात्रता रखते हैं उनकी पात्रता से संबंधित सभी अभिलेख आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है :-

अ. बायलर निरीक्षक ग्रेड-1 तथा बायलर निरीक्षक ग्रेड-2 के पदों की पात्रता :-

पदों हेतु निर्धारित अर्हता निम्नानुसार है :-

शैक्षणिक अर्हता (दोनों पदों हेतु) :-

Mechanical Engineering, Power Engineering, Production Engineering या Metallurgical Science इंजीनियरिंग में उपाधि।

अनुभव :-

बायलर निरीक्षक ग्रेड-1 हेतु

बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव।

बायलर निरीक्षक ग्रेड-2 हेतु

बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत से दो वर्ष का अनुभव।

बायलर निरीक्षक के उक्त पदों हेतु वे अभ्यर्थी ही अभिलेख प्रेषण तथा विचारण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 हेतु आवेदन किया था तथा पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी अर्हताओं की पूर्ति करते थे। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस शुद्धिपत्र की लिंक तथा जानकारी **e-mail** तथा **SMS** द्वारा भी प्रेषित की जा रही है।

ब. उपरोक्त अर्हता के अनुक्रम में बायलर निरीक्षक के पदों हेतु विषयवार विचारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

Mechanical Engineering :- Mechanical Engineering विषय से स्नातक अभ्यर्थी जो बायलर निरीक्षक हेतु निर्धारित अनुभव भी रखते हैं बायलर निरीक्षक के पदों पर विचारण हेतु आवेदन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी राज्य अभियंत्रिकी सेवा में सम्मिलित उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.) हेतु भी पात्र रहेंगे। अतः उन्हें बायलर निरीक्षक के पदों हेतु विचारण के लिए भरे जाने वाले आवेदन का निम्नांकित अनुसार शुल्क देना होगा :

अनारक्षित श्रेणी हेतु - रुपये 500/-
आरक्षित श्रेणी हेतु - रुपये 250/-
(उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रुपये 40/- पोर्टल शुल्क भी देय होगा)

Power Engineering, Production Engineering तथा Metallurgical Science :- इन विषयों के अभ्यर्थी केवल बायलर निरीक्षक के पदों हेतु पात्र हैं इसलिए ऐसे समस्त अभ्यर्थी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 से विलग हो जाएंगे अतः उन्हें शुल्क अंतर की निम्नांकित राशि वापस की जाएगी :-

श्रेणी	अभियांत्रिकी सेवा हेतु भरा गया शुल्क	सीधी भर्ती हेतु शुल्क	शुल्क अंतर की राशि
अनारक्षित	रुपये 1200/-	रुपये 500/-	रुपये 700/-
आरक्षित	रुपये 600/-	रुपये 250/-	रुपये 350/-

(अभ्यर्थी शुल्क अंतर की वापसी हेतु आवेदन करेगा जिसके लिए उसे अपने बैंक विवरण की प्रविष्टि करनी होगी जिसके आधार पर उसे शुल्क अंतर की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा)

स. आवेदन विधि :- साक्षात्कार हेतु आवेदन **दिनांक 11.08.2021 से 26.08.2021 तक** निम्न वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे :-

- www.mponline.gov.in
- www.mppsc.nic.in

अभ्यर्थी द्वारा, उपलब्ध कराई गई लिंक पर उसके राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 के आवेदन पत्र क्रमांक तथा अपनी जन्मतिथि की प्रविष्टि करने पर उसका आवेदन-पत्र खुलेगा जिसमें अपेक्षित पूर्तियां करने के बाद सबमिट करने पर शुल्क भुगतान पश्चात् उसे उसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें उसके द्वारा भरे गए शुल्क/वापसी योग्य शुल्क का विवरण होगा।

द. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात् उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छाया प्रति करायें।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात् प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक-एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्यों कि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)
3. एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन पत्र तथा समस्त अभिलेख) बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

शुद्धिपत्र क्रमांक 04/05/2020, दिनांक 04.08.2021
बायलर निरीक्षण ग्रेड-1/बायलर निरीक्षक ग्रेड-2 हेतु आवेदन पत्र

प्रति,
सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन-452001

प्रेषक :
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

4. ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2021 को सायंकाल 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।
5. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग को प्रषित करें।**

इ. चयन प्रक्रिया :-

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत गुणानुक्रम में निम्नांकित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते अर्हताधारी उपलब्ध हों :-

पद का नाम	श्रेणीवार पद संख्या			साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या		
	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
बायलर निरीक्षक ग्रेड-1	1	1	1	10	10	10
बायलर निरीक्षक ग्रेड-2	0	0	1	0	0	10

गुणानुक्रम निर्धारण में समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त संख्या के अतिरिक्त साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे।

फ. साक्षात्कार 100 अंकों का होगा तथा उसमें उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 41 अंक तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 31 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ज. अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

ह. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

03. विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

जी-15392/45797/2021 **सचिव**

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

फार्म–डी (Pharm-D) (पूर्णकालिक 6 वर्ष), एकीकृत एम.बी.ए. (IIMBA) (पूर्णकालिक 5 वर्ष) एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA) (पूर्णकालिक 5 वर्ष), बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (BHMCT) (पूर्णकालिक 4 वर्ष)

पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं) परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु (मध्यप्रदेश में स्थित निजी संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021–22

प्रथम चरण

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन **(Registration)**	**10.08.2021** से **01.09.2021** सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार **(Edit Registration)** ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	**02.09.2021** से **03.09.2021** सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	**26.08.2021** से **05.09.2021** रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	**06.09.2021** दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**09.09.2021** से **15.09.2021** सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Registration)	**14.09.2021** से **20.09.2021**
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	**21.09.2021** से **22.09.2021**
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	**16.09.2021** से **24.09.2021** रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	**25.09.2021** दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**29.09.2021** से **08.10.2021** सायं 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
09.10.2021 से **10.10.2021** रात्रि 11:45 बजे तक	**12.10.2021** प्रातः 10:30 बजे

उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गईं सीटों के लिये

13.10.2021 से **14.10.2021** रात्रि 11:45 बजे तक	**16.10.2021** प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय–सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तद्उपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्ती करण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(कोविड–19 के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिये, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441
ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in .

म.प्र. माध्यम/101567/आर-45805/2021

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P. – 462 011
(GST No. : 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 157/MTN/2021

No. 10742/22/D-12/NIT-Maint./2021 Bhopal, Dated : 30.07.2021

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :

1. Table No. 1 :- Name of Work – Repair/ Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Agar Malwa	3	27088824.00
2	Alirajpur	1	4138588.00
3	Ashoknagar	1	13412036.00
4	Betul	11	84179388.00
5	Bhind	3	38918276.00
6	Bhopal	5	19690411.00
7	Chhatarpur	3	27000424.00
8	Chhindwara	10	185040265.00
9	Damoh	2	10927797.00
10	Datia	3	26399191.00
11	Dewas	4	16204578.00
12	Dhar	4	61793252.00
13	Dindori	6	92268223.00
14	Guna	11	95609905.00
15	Gwalior	3	12360879.00
16	Hoshangabad	5	43620872.00
17	Indore	6	35369598.00
18	Jabalpur	5	60350063.00
19	Jhabua	1	14594536.00
20	Katni	1	4091040.00
21	Khandwa	2	17303656.00
22	Mandla	1	27404788.00
23	Morena	1	15765684.00
24	Narsinghpur	10	113092577.00
25	Neemuch	3	46672358.00
26	Panna	2	10955538.00
27	Raisen	9	73193497.00
28	Rajgarh	3	24204261.00
29	Ratlam	4	62030611.00
30	Rewa	7	28822600.00
31	Sagar	4	20549298.00
32	Satna	2	11515586.00
33	Sehore	1	9808717.00
34	Seoni	5	58575165.00
35	Shahdol	2	12185343.00
36	Sheopur	3	41027589.00
37	Shivpuri	3	27240283.00
38	Sidhi	5	57787672.00
39	Singrauli	14	176588653.00
40	Ujjain	10	76986995.00
41	Umaria	1	16415099.00
42	Vidisha	3	16328434.00

2. Table No. 2 :- Name of Work – Repair/ Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Yojna (Post 10 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Agar Malwa	1	7980363.00
2	Balaghat	1	5891406.00
3	Betul	5	66692470.00
4	Bhind	2	21607657.00
5	Bhopal	5	38523673.00
6	Chhatarpur	1	5292403.00
7	Chhindwara	2	23470051.00
8	Datia	1	5919623.00
9	Dewas	1	5095831.00
10	Dhar	3	47561175.00
11	Dindori	3	25675632.00
12	Indore	1	13066753.00
13	Jhabua	6	147437764.00
14	Khandwa	1	4359000.00
15	Mandsaur	2	15925679.00
16	Morena	1	15617005.00
17	Neemuch	2	15221411.00
18	Panna	2	23298537.00
19	Raisen	4	32216202.00
20	Rajgarh	1	4552869.00
21	Ratlam	2	31734659.00
22	Rewa	2	7025854.00
23	Satna	1	8272263.00
24	Seoni	4	43158195.00
25	Sheopur	7	66254513.00
26	Shivpuri	3	29517236.00
27	Sidhi	4	24606014.00
28	Singrauli	9	77400455.00
29	Tikamgarh	1	14295434.00
30	Ujjain	6	38397708.00
31	Umaria	1	14479059.00
32	Vidisha	1	7321884.00

3. Table No. 3 :- Name of Work – Repair/ Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 15 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Agar Malwa	1	1209819.00
2	Ashoknagar	1	3410293.00
3	Betul	5	49223057.00
4	Bhind	1	20631821.00
5	Bhopal	2	11520884.00
6	Chhatarpur	4	59331538.00
7	Chhindwara	1	9472950.00
8	Datia	1	4264756.00
9	Dhar	2	30987418.00
10	Dindori	1	5344407.00
11	Guna	4	48120485.00
12	Gwalior	1	10082015.00
13	Jhabua	2	28114889.00
14	Khandwa	1	8586072.00
15	Mandla	1	58783411.00
16	Morena	2	23907645.00
17	Neemuch	2	10387405.00
18	Panna	1	5404172.00
19	Rajgarh	3	32063480.00
20	Sagar	1	2680364.00
21	Sehore	3	12776084.00
22	Seoni	1	13538341.00
23	Sheopur	3	9587873.00
24	Shivpuri	2	22346015.00
25	Ujjain	1	8145179.00
26	Vidisha	1	6829866.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **09.08.2021 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/101491/R-45791/2021 **CHIEF GENERAL MANAGER (T & e-G)**

एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर

ए प्रीमियर इंस्टिट्यूट ऑफ

पीथमपुर ऑटो क्लस्टर

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

रोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण सत्र 2021-22

प्रवेश सूचना

विज्ञापन क्रमांक पीएसी/इन्दौर/2021-22/53 दिनांक- 02/08/2021

सत्र अगस्त, 2021-22 में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रायें निम्नलिखित नियमित कोर्स हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं :-

क्र.	कोर्स का नाम	कोर्स/ व्यवसाय	न्यूनतम योग्यता	कोर्स अवधि* (वर्ष)	न्यूनतम आयु सीमा दि. 01.07.2021	छमाही शुल्क (रु.)
1.	ITI / NCVT	Machinist	10th	2	16	14000/-
2.	ITI / NCVT	Electrician	10th	2	16	10000/-
3.	ITI / NCVT	Fitter	10th	2	16	10000/-
4.	ITI / NCVT	Welder	08th	1	17	7500/-
5.	ITI / NCVT	COPA	10th	1	17	6000/-

** उपरोक्त कोर्स संपूर्णकालिक हैं (7.5 घंटा प्रतिदिन)

छात्रवृत्ति शासन के नियम/प्रक्रिया अनुसार देय।

प्रवेश प्रक्रियाः- आवेदन पत्र एवं विवरणिका (Prospectus) कार्यालयीन समय में निम्न पते पर दिनांक 31.08.2021 तक शुल्क रुपये 200/- भुगतान कर प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं अथवा वेबसाइट से डाउनलोड कर आवश्यक शुल्क सहित भेजे जा सकते हैं।

समस्त कोर्स सरकारी नौकरी अथवा अध्ययन के लिये पात्रता रखते हैं।

प्रवेश एवं प्रवेश संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें :-

प्राचार्य, एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर,
113/2-बी, ग्राम हरनियाखेड़ी, वेटरिनरी कॉलेज के सामने
ए.बी. रोड, तहसील महू, इन्दौर (म.प्र.),
फोन : 07324-276114 / मो : 9893296545/7869269713
www.pithampurautocluster.com

प्राचार्य, एटीआईटीसी बिना किसी सूचना/कारण बताये किसी भी कोर्स में परिवर्तन/निरस्त करने हेतु अधिकृत हैं।

नोट :- उपरोक्त प्रवेश 10वीं की मेरिट के आधार पर दिया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/101492/R-45792/2021 **प्राचार्य**

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

कोलार रोड, भोपाल-462016 (म.प्र.)
Tel. : 0755-2424660, 0755-2492093 & 0755-2492096
Website : http://mpbou.edu.in

क्र. 2339 **भोपाल, दिनांक 04.08.2021**

"अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण"

विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा में शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शैक्षणिक कार्य हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23.08.2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

शैक्षणिक अर्हता - भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार यथा : 1. Master's Degree with M.Ed. (Special Education) in any Category (full time course) from a RCI recognized institute with minimum of 55% marks. 2. Minimum. 05 years of experience in teaching/research in the field of rehabilitation. **Desirable :-** Ph.D. in related field of rehabilitation of persons with Disabilities.

रिक्तियों का विवरण-

पद	विशेषज्ञता	संख्या
अतिथि शिक्षक	Visual Impairment (VI)	03
	Hearing Impairment (HI)	02
	Intellectual Disability (ID)	02
	Learning Disability (LD)	03

पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है) एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://mpbou.edu.in** का अवलोकन करें।

म.प्र. माध्यम/101514/R-45793/2021 **कुलसचिव**

JIWAJI UNIVERSITY

(NAAC Accredited 'A' Grade)
Sachin Tendulkar Road, Kailash Nagar, Gwalior (M.P.)

ADMISSION NOTIFICATION 2021-22 - REVISED DATES

Jiwaji University, established in 1964, as M.P. State Govt. University has invited online applications **(http://www.jiwaji.edu)** for admission to the various academic programs being offered by the University at its Campus for the academic year 2021-22. Due to lockdown announced by M.P. Government and Covid-19 situation, University has extended the dates of admission process. The revised dates are as follows :

Last date for filling the admission form for all courses	:	August, 25, 2021
Date of declaration of first admission list for all courses	:	August, 31, 2021
Date of declaration of second admission list for all courses	:	September, 10, 2021

- University may declare further admission list(s), if seats remain vacant.
- For online admission, the candidate may apply through **mponline.gov.in** .

M.P. Madhyam/101522/R-45794/2021 **REGISTRAR**

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02, डी-16, कचनार सिटी
विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002, Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.- 02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 10/2021-22 शासकीय आर्ट एवं कामर्स कॉलेज जयसिंह नगर में निर्माण एवं उन्नयन का कार्य, जिला- शहडोल का कार्य (ऑनलाइन निविदा क्र. 2021_MPPHC_153920) एवं शासकीय नेहरू डिग्री कॉलेज बुढार में निर्माण एवं उन्नयन का कार्य जिला- शहडोल (ऑनलाइन निविदा क्र. 2021_MPPHC_153921) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 23.08.2021 तक खरीद कर सायं 18:00 बजे तक** सबमिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त अवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/101532/R-45796/2021 **परियोजना यंत्री**

एक करोड़ रुपये से अधिक के भवन के निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी से कराने के निर्देश

भोपाल, एक करोड़ रुपये से अधिक लागत के सभी शासकीय भवन लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जायेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत समस्त विभाग और उनके प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय, संस्था, निगम और मंडल द्वारा सभी ऐसे भवनों का निर्माण कार्य जिनकी लागत एक करोड़ से अधिक है, लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) से कराये जाने होंगे।

कोरोना टीकाकरण का कार्य तेज गति से किया जाए

भोपाल, मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित हुई है, परन्तु तीसरी लहर की संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। केरल एवं महाराष्ट्र राज्यों में अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। अतः पूरी सतर्कता एवं सावधानियां रखें तथा तीसरी लहर संबंधी तैयारियां पूरी मुस्तैदी से करें। कार्य में थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति, तीसरी लहर की तैयारियों तथा टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य तेज गति से किया जाए। केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मिल रही है तथा आगे भी मिलती रहेगी। कोरोना टीकाकरण में देश में प्रदेश का चौथा स्थान है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में तीसरी लहर की तैयारियों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, आईसीयू वार्ड्स, सिटी स्केन और अन्य जांच व्यवस्थाएं, आवश्यक दवाओं की व्यवस्था, विशेषज्ञ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन आदि की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करें।

कार्बन-मुक्त नवकरणीय ऊर्जा अपनाने की आवश्यकता

भोपाल, पूरे विश्व में जलवायु संकट गहराता जा रहा है। भावी पीढ़ी को स्वस्थ पर्यावरण सौंपने के लिये हमें ऊर्जा स्रोतों को 100 प्रतिशत कार्बन-मुक्त नवकरणीय ऊर्जा की ओर जल्द से जल्द स्थानांतरित करना होगा।

ये बातें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित छह दिवसीय 'सौर ऑफ-ग्रिड इंटरप्रेन्योर हेण्ड्स-ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 10 पॉलीटेक्निक के 160 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

श्री डंग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के साथ एनर्जी स्वराज फाउण्डेशन की यह पहल शैक्षणिक संस्थानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाकर इतिहास में एक अलग पहचान बनायेगी। उन्होंने प्रोफेसर चेतन सोलंकी को इस व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये धन्यवाद देते हुए कहा कि देशभर में इस तरह के प्रशिक्षण होने चाहिये, ताकि आत्म-निर्भर भारत का सपना जल्दी साकार हो सके।

र्जा की पर्याप्त उपलब्धता के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत और 'वोकल एबाउट लोकल' को अपनाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश अक्षय ऊर्जा के माध्यम से शानदार प्रगति करते हुए देश में अग्रणी स्थान की ओर बढ़ रहा है।

JIWAJI UNIVERSITY
(NAAC Accredited 'A' Grade)
Sachin Tendulkar Road, Kailash Nagar, Gwalior (M.P.)

ADMISSION NOTIFICATION FOR PARAMEDICAL COURSES

Jiwaji University, established in 1964, as M.P. State Govt. University, invites online applications (http://jiwaji.edu) for admission to the following academic programs being offered by the University at its Campus :

Degree Courses : Physiotherapy (4 Yrs.), Medical Lab. Technical (3 Yrs.), Human Nutrition (3 Yrs.).
Diploma Courses : Human Nutrition (2 Yrs.), Medical Lab. Technical (2 Yrs.), Pharmacy (Ayurved) (2 Yrs.), Yoga (2 Yrs.), Naturopathy (2 Yrs.), PG Diploma in Herbal Nanomedicine (1 Yrs.), PG Diploma in Panchkarma (1 Yrs.).
Certificate Courses : Health Inspector (1 Yrs.), Panchkarma Technician (1 Yrs.), beauty Care in Ayurveda and Herbal Cosmetics (6 Month).

- The admission rules, fee and departmental information can be seen at : **http://www.jiwaji.edu.**
- Admission will be given purely on the basis of merit in the qualifying examinations.

Last date for filling the admission form for all courses : August 25, 2021

Declaration of first admission list for all courses : August 31, 2021

Declaration of second admission list for all courses : September,10, 2021

University may declare further admission list(s), if seats remain vacant.

- The student can apply for admission by filling application form online through **http://www.jiwaji.edu** or **https://www.mponline.gov.in** Payment for the application fees can be made through Credit/Debit Card or by net-banking. The application fee is Rs.1000/- (Rs. 800/- for SC/ST/OBC). Each student can apply separately for a maximum of five courses. Separate registration fee of Rs. 200/- per course has to be deposited, in addition to application fee Rs. 1000/- along with the admission form.

Contact Numbers : 9229197619, 7566074284, 8827325600
M.P. Madhyam/101523/R-45795/2021 **REGISTRAR**

CHAMELI DEVI GROUP OF INSTITUTIONS
Gram Umrikheda, Khandwa Road, Indore-452 020
Phone: 0731-4243600 Fax: 0731-4243620

ONLINE APPLICATION INVITED FOR FACULTY POSITIONS

CDGI is an Institution with a difference. It is an initiative of the well known **Agarwal Group** which is one of the largest business and educational empires in Central India. Applications are invited from highly qualified & experienced teachers with a passion for teaching.

CHAMELI DEVI GROUP OF INSTITUTIONS
- **PROFESSORS • ASSOCIATE PROFESSORS**
- **ASSISTANT PROFESSORS**

CSE, IT, EC, ME, Civil (Engineering)
General Management, Finance, HR, Marketing, IT **(Management Course)**

CHAMELI DEVI INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
- **PROFESSORS • ASSOCIATE PROFESSORS**
- **ASSISTANT PROFESSORS**

(For UG Courses of Department of Higher Education)
Computer Science, Management, International Business/ Foreign Trade, Commerce, Physics, Mathematics, Hindi and English.
Note : Candidates having NET/ SET/ Ph.D. will be preferred.

(FOR PG Management Program of AICTE)
General Management, Finance, HR, Marketing, IT, International Business

CHAMELI DEVI INSTITUTE OF PHARMACY
- **PROFESSORS • ASSOCIATE PROFESSORS**
- **ASSISTANT PROFESSORS in Pharmacy**

Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutics, Pharmacology, Pharmacognosy

Qualification & Experience as per AICTE/ UGC/ PCI/ DAVV College Code-28/ RGPV Statute - 30 norms
• Candidates having Master Degree may only apply • Candidates with teaching experience are preferred • Salary is not a constraint for deserving candidates • Free Local Conveyance Facility • Residential Facility available on campus as per CDGI regulations • EPF and Gratuity Facility
Note: Candidates interested for Adjutant/ Visiting/ Part Time position may also apply.

Interested candidates can apply ONLY through the online application format available on our CDGI portal within 8 days from the date of publication of this advertisement.

For any assistance Email to **hr@cdgi.edu.in** or contact help line **+91-731-4243613** (CDIPS) and **+91 98267-20320** (CDIP). Applicants have to compulsorily submit their **CV** as an attachment in PDF or Doc Format along with the online application. Hard copies of application sent to the college will be summarily rejected.

- GROUP DIRECTOR

VIGILANCE

R-45787/2021

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सतर्कता जरूरी – मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कल 71 हजार 103 टेस्ट किये गये हैं। इनमें 28 पॉजिटिव आये हैं। प्रदेश में पॉजिटिव आने की संख्या घटकर 6 तक हो गई थी। अब बढ़ते-बढ़ते यह 28 तक पहुँच गई है। दमोह में 15 और सागर में 7 पॉजिटिव केस आये हैं। बुंदेलखण्ड में पॉजिटिव केस मिलना चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। प्रदेशवासी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का अनिवार्यतः पालन करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी केस बढ़ रहे हैं। केरल की स्थिति भी सामने है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER R.V.S. KRISHI VISHWA VIDYALAYA, GWALIOR

No./ IPRO/E.E./TENDER/2021/Gwalior/870 Dated:- 28/07/2021

E-Tender Notice

Online E-tenders are invited by R.V.S.K.V.V., Gwalior form 'A' from the **Registered Contractor in M.P.P.W.D. / C.P.W.D. /M.E.S.** Deptt. For the following works through the E-Tendering online ***https://www.mptenders.gov.in*** only.

S. No.	Particular of Item	Esst. Cost in (Lakhs)	E.M.D. Amounts	Cost of Tender Form+ Portal Charge	Class of Contractor \C & Above	S.O.R. Applicable with all amended upto date of NIT	Time Allowed (Including Rainy Season)
1.	Const. of Common Incubation Centre at R.A.K. College of Agriculture Sehore	99.99	99990.00	10000/-	.....do.....	.....do.....	10 Months
2.	Const. of Common Incubation Centre at College of Agriculture Gwalior	99.99	99990.00	10000/-	.....do.....	.....do.....	10 Months
3.	Const. of Common Incubation Centre at KVK Morena	99.99	99990.00	10000/-	.....do.....	.....do.....	10 Months

1. **Interested bidders can view the NIT on website https://www.mptenders.gov.in up to 20/08/2021 up to 17:30.**
2. **The Bid Documents can be purchased only online form 29.07.2021 to 20.08.2021 up to 17:30 & Bid Submission online end date 20.08.2021 Up to 17:30.**
3. **Mandatory Documents open date 25.08.2021 at Time 11:30 AM, Financial Bid open date 26.08.2021 at Time 12.30 or next working Days.**
4. **Amendments of NIT, if any, would be published on website only, & not in News paper.**

The R.V.S.K.V.V., reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons thereof, University will not responsible for any delayed.
Note:-"The person(s)/firms would not be entitled to participate in the tender process if in past there is any dispute/litigation/involvement (civil/criminal) is pending/initiated with the administration or within the premises of the university/college.
Special Note:-
1) Items left (if any) in the NIT and is essential to complete the work must incorporated by the contractor with MP PWD (Electrical/Civil) SOR w.e.f. 01 December 2020 as percentage Below or Above.
2) Rate are Applicable as per Amendments by MP PWD Building, Road, Electrical With Reference to GST.

ATUL

Executive Engineer

मेयो ग्रुप ऑफ कॉलेज
सुल्तानिया रोड, स्टेट बैंक चौराहे के पास, भोपाल–462001
इन्द्र विहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल–462032
Tel. No. 9425010770, 9425605962

म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल, म.प्र. मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, जबलपुर, इंडियन नर्सिंग कांउसिल, नई दिल्ली, म.प्र. नर्सिंग काउंसिल एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. से मान्यता प्राप्त

प्रवेश प्रारंभ सत्र 2021-22

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	मास्टर ऑफ नर्सिंग (एम.एस.सी नर्सिंग)– योग्यता बी.एस.सी. नर्सिंग	2 वर्ष
2.	मास्टर ऑफ मेडिकल लेब टेक्निशियन (एम.एम.एल.टी.) योग्यता बी.एम.एल.टी.	2 वर्ष
3.	बैचलर आफ नर्सिंग (बी.एस.सी. नर्सिंग)	4 वर्ष
4.	पोस्ट बैसिक बी.एस.सी नर्सिंग–योग्यता जी.एन.एम.	2 वर्ष
5.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.) 6 माह इंटर्नशिप	4 वर्ष
6.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्निशियन (बी.एम.एल.टी.)	3 वर्ष
7.	बी.एस.सी. इन एक्स–रे	3 वर्ष
8.	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन (डी.एम.एल.टी.)	2 वर्ष
9.	सर्टिफिकेट इन एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	1 वर्ष
10.	ओ.टी. टेक्निशियन (ऑपरेशन थ्रीएटर)	1 वर्ष
11.	एम.बी.ए.	2 वर्ष

क्रमांक 3 एवं 5 से लेकर क्रमांक 10 तक के लिए योग्यता 12वीं जीव विज्ञान विषय से। तथा क्र. 11 के लिए स्नातक किसी भी विषय से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शासन अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा। छात्राओं के लिए उत्तम भोजन युक्त छात्रावास की विशेष सुविधा उपलब्ध है।

LAKECITY

संचालक

R-45788/2021

जबलपुर जिले के 59 बेसहारा बच्चों की अभिभावक बनी सरकार

जबलपुर, कोरोना से माता-पिता की असमय मृत्यु के बाद जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे जबलपुर जिले के 59 बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी अनाथ बच्चों का अभिभावक बनकर इनके भरण-पोषण और पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम किया है।

पिता का साया और माँ के आंचल की छाया खो चुके इन बच्चों के सामने जिंदगी की जद्दोजहद, कठिनाईयों और संघर्ष का दौर मुंह बायें खड़ा था, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मामा होने का फर्ज निभाते हुए बेसहारा हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में मजबूत सहारा दिया।

बी.कॉम. प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे शांतिनगर निवासी 19 वर्षीय अर्चित अनमोल जैन के पर कोरोना का कहर टूट पड़ा, उनके पिता अरविंद जैन की 2 अप्रैल को तो माता संगीता जैन की 18 अप्रैल को कोरोना से मृत्यु हो गई। ऐसे में अर्चित और उनकी बड़ी बहन समीक्षा जैन के सामने न केवल भरण-पोषण, बल्कि आगे की पढ़ाई-लिखाई की समस्या नआ खड़ी हुई। जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अर्चित के जीवन का सहारा बनी। अर्चित की संरक्षक बनी उनकी बड़ी बहन समीक्षा ने बताया कि उन्हें 21 जुलाई को 5 हजार रुपये की सहायता राशि मिल गई है, अभी खाद्यान्न भी मिलेगा। मुख्यमंत्री मामा ने उनके जीवन में आगे बढ़ने की राह बनाई है। मुख्यमंत्री से मिली मदद की बदौलत वे अब पढ़-लिखकर माता-पिता के सपनों को पूरा कर सकेंगे। बाई का बगीचा निवासी 19 वर्षीय कर्मेश बोहरे ने बताया कि बीते 10 अप्रैल को उनके पिता राजेश बोहरे का निधन हुआ जबकि माता नमिता बोहरे की वर्ष 2015 में ही मृत्यु हो गई थी। ये बताते हुए पहले माता फिर पिता की मृत्यु के बाद तो मुझे मेरी जिंदगी में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगे।

R-45790/2021

प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करके ही चैन की सांस लेंगे : मुख्यमंत्री

भोपाल, अति वृष्टि और बाढ़ की स्थिति से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करके ही हम चैन की सांस लेंगे। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार हर बाढ़ प्रभावित के साथ है। गांवों में जब तक घरों में भोजन बनाने की स्थिति नहीं बन जाती, तब तक भोजन प्रदाय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50 किलो गेहूं तत्काल प्रदान किया जाये। बिजली व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने और मोबाइल नेटवर्क की पुनर्स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिन परिवारों के घर ढह गए हैं उनके लिए छत की व्यवस्था करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, कमिश्नर एवं कलेक्टर्स के साथ राहत के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर स्थिति की सतत् जानकारी ले रहे हैं। केंद्र से हर संभव सहयोग प्राप्त हो रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि राहत शिविरों में भोजन, पीने के पानी, पर्याप्त दवाओं, बीमार व्यक्तियों के परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राहत शिविरों में बीमारी नहीं फैले।

वीडियो कांफ्रेंस में अवगत कराया गया कि एनडीआरएफ की 3-3 टीमें क्रमशः शिवपुरी, मुरैना और भिंड में बचाव और राहत कार्य में जुटी हैं। वायु सेना के 5 हेलीकॉप्टर भी कार्यरत हैं। नावों से बचाव कार्य जारी है। 5 अगस्त को प्रातः 5.30 बजे से आरंभ हुए बचाव कार्य में 221 लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ भी जिलों में लगातार बचाव के कार्य में लगी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्योपुर में बहुत अधिक तबाही हुई है। लोगों को सहायता की जरूरत है। ग्वालियर और मुरैना कलेक्टर, श्योपुर में व्यवस्थाएं पुनः स्थापित करने और जन-सामान्य को भोजन, पेयजल, दवाएं तथा अन्य आवश्यक राहत उपलब्ध कराने में हर संभव मदद करें। हर दो घंटे में सूखी खाद्य सामग्री भेजना सुनिश्चित किया जाए। श्री चौहान ने सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की। मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अवगत कराया कि ग्वालियर से भोजन के 5 हजार पेकेट श्योपुर भेजे जा रहे हैं।

श्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों में बिजली की व्यवस्था प्रभावित हुई है, वहां आस-पड़ोस के जिलों से सहयोग लेकर व्यवस्था स्थापित की जाए। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी आवश्यकता वाले राहत शिविरों में पहुँचाया जाए। प्रभारी मंत्री इन कार्यों के लिए आवश्यक समन्वय करें।

APPOINTMENT
Gyanodaya Mahavidhyalaya B.Ed. College
(Approved by NCTE & Affiliated to DAVV)

Invites Application for B.Ed.

- PRINCIPAL
- PROFESSOR
- ASSOCIATE PROFESSOR
- ASSISTANT PROFESSOR
- HEALTH & PHYSICAL EDUCATION
- FINE ART
- PERFORMING ART (For all Pedagogy Subjects)

Eligibility: As per NCTE revised regulations. Only NET /Ph.D. candidates should apply.
Selection : Selection under college code 28. Interested candidate may apply within 7 days. With all supporting documents in person to.

DIRECTOR

F- Sector M.I.G. Colony, Indore M.P. Ph: 07314091220/ 08871262229
Email : gyanodaya.edu@gmail.com

unisgeer

R-45801/2021

कोरोना का टीका लगवाने का रखें ध्यान, समझो सुरक्षित कर ली अपनी जान

अवैध शराब कारोबार में लगे व्यक्तियों को मिलेगा कठोर दंड

भोपाल, जहरीली शराब से लोगों की जान जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा। तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। इसमें विलम्ब बर्दाश्त नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सघन रूप से हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए संबंधित राज्यों से बातचीत करें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रदेश में अवैध शराब और कानून व्यवस्था के संबंध में आयोजित बैठक में कहीं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि डिस्टलरी से निकलने वाले ओ.पी. अल्कोहल के टैंकरों का शत-प्रतिशत आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी यदि ओ.पी. अल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती है तो उसे तत्काल बंद किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार की जड़ों तक पहुंचने के लिए विशेष टीम गठित कर जांच आरंभ की जाए। इसे प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की कापी नहीं हो और इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सिक्यूरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रैक एण्ड ट्रेस की व्यवस्था के साथ होलोग्राम बनवाये जाएंगे। इसमें बीस से पच्चीस सिक्यूरिटी फीचर्स होंगे।

बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती आदत पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

श्री चौहान ने बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती आदत और इसके परिणामस्वरूप हुई आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा इसके लिए आवश्यक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत जुलाई माह में 938 लापता बच्चों को बरामद किया गया।

मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द करें दूर

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत गठित अधोसंरचना मंत्री समूह का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए।

भोपाल, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत अधोसंरचना सेक्टर में महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया गया है। जन-कल्याण से जुड़े कार्यों की तेजी से पूर्णता सुनिश्चित की जाए। कोरोना के संकट के बाद भी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक वर्ष से कम अवधि में विभिन्न समूहों ने बेहतर कार्य कर दिखाया है। वर्तमान समय की यह आवश्यकता है कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नवीन और अभिनव प्रयास किए जाएं। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के कार्य गति के साथ पूर्ण किए जाएं। मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए जल्द से जल्द सुविधा विकसित की जाए। शीघ्र ही इस संबंध में पृथक बैठक में समीक्षा की जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत गठित अधोसंरचना समूह के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट संसाधनों के अनुरूप विकास, नवीन तकनीक, नए सोच और विभागों के सेटअप में आवश्यकतानुसार वृद्धि के उपायों पर अमल किया जाए। इससे निश्चित ही अधोसंरचना से जुड़ी जन-सुविधाओं को बढ़ाना आसान होगा।

लोक निर्माण

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश में 200 सड़कों के साइंटिफिक ट्रैफिक सर्वे के लक्ष्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में अब तक 82 सड़कों के यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। टोल प्लाजा के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत 44 टोल प्लाजा का कार्य, ऑफ बजट के रूप में 500 करोड़ रुपये राशि की व्यवस्था, अनुबंधों के विवादों के त्वरित निपटारे की पहल, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, टोल से राजस्व प्राप्ति, 12 प्रमुख मार्गों के नवीनीकरण और 57 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के कार्यों को किया गया है। साथ ही 10 साल से अधिक टोल पर संचालित सभी बीओटी परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है।

जल संसाधन

विभाग द्वारा 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चरणबद्ध सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य हो रहा है। मार्च 2021 तक 1.15 लाख हेक्टेयर में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। दिसम्बर 2023 तक 3.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी। कुल 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लिए इस वर्ष के अंत तक 8 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं के कार्यों का आवंटन किया जा रहा है।

नगरीय विकास

प्रदेश के 378 शहरों में कम आय वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख आवास इकाइयों का निर्माण होना है। मार्च 2021 तक 44 हजार 418 मकान बन गए हैं। प्रदेश के 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने के लिए मार्च 2021 तक 7 शहरों में काम पूरा हो गया है। मार्च 2022 तक 9 शहरों में कार्य पूरा होगा। वर्ष 2023 के अंत तक 49 शहरों में कार्य को सम्पन्न किया जाएगा। प्रदेश के 41 शहरों में मार्च 2021 तक नल से जल प्रदाय के अतिरिक्त कार्य हुए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

समूह द्वारा प्रस्तुतीकरण में ऐसे गांव, जिन्हें बारहमासी सड़कों से अभी तक नहीं जोड़ा गया है, उनके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के भारी यातायात वाले चिन्हित मार्गों पर टोल संग्रहण प्रणाली के पायलट आधार पर अमल और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के लिए उप यंत्री और सहायक यंत्री के पदों पर नियुक्ति के सुझाव पर क्रियान्वयन किया जाएगा।

श्री चौहान ने ओंकारेश्वर में 600 मेगावॉट के फ्लोटिंग सोलर पार्क के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह आगर-शाजापुर-नीमच के सोलर पार्क के संबंध में प्रचलित कार्रवाई भी शीघ्र पूरी करने को कहा।

प्रदेश में 16 लाख 60 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित - वन मंत्री

भोपाल, वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष 16 लाख 60 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 415 करोड़ रुपये पारिश्रमिक के रूप में वितरित किए गए हैं।

डॉ. शाह ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ ने कोरोना संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कर निर्धारित लक्ष्य 16 लाख 30 हजार के विरुद्ध 16 लाख 60 हजार मानक बोरा का संग्रहण कर विशेष उपलब्धि अर्जित की है।

उन्होंने बताया कि अग्रिम निर्वतन में 872 लाटों की 15 लाख 76 हजार मानक बोरा 812 करोड़ 59 लाख रुपये के विक्रय मूल्य पर निर्वतन किये जाने के बाद शेष 65 लाटों में विभागीय संग्रहण कराया गया है।

राज्य लघु वनोपज संघ प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश में 40 लाख संग्राहकों के माध्यम से तेन्दूपत्ता संग्रहित कराया जाता है। इन तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान कराया गया है।

एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसिजन इंजीनियरिंग

दस अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

भोपाल, ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैम्पस में अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों पर आधारित दक्षता के लिए एक वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसिजन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अब 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसिजन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आईटीआई (टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिकल/इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन में डिप्लोमा अथवा बी.ई. या बी.टेक. की पात्रता मान्य होगी।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 10 अगस्त तक उपलब्ध होंगे। आवेदक www.globalskillspark.mp.gov.in पर पंजीयन कर सकते हैं।

लंबित पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें - उच्च शिक्षा मंत्री

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि विभाग में लंबित पेंशन एवं अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने का पुनरीक्षण करें। विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्षाकालीन विधानसभा सत्र के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी समय पर करें। आगामी 15 अगस्त के पूर्व समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा एक-एक गांव को गोद लेने का कार्य पूर्ण करें। वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के लंबित प्रकरण समय पर निराकृत करें। भवनों के रख-रखाव के लिये महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार राशि दी जाये।

उन्होंने कहा कि 200 महाविद्यालयों की अधोसंरचना मजबूत करने की कार्यवाही समय पर पूरी करें। विभाग के एकीकृत पोर्टल का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए।

डॉ. यादव ने कहा कि 50 महाविद्यालयों का बहु-विषयक संस्थानों और 150 महाविद्यालयों को क्वॉलिटी लर्निंग सेंटर के रूप में उन्नयन करने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें।

विभाग द्वारा 160 महाविद्यालयों में 282 सर्टिफिकेट एवं 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन की जारी की गई अनुमति के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करें। इसी तरह 100 कॉलेजों में आईटी की अधोसंरचना को कम्प्यूटर लैब के साथ सुदृढ़ करने का कार्य विश्वविद्यालयों में इन्क्यूवेशन सेंटर स्थापित करने का कार्य समय पर पूरा करें।

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जाये। विभागीय छात्रवृत्ति देने का कार्य शेष नहीं रहे। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत विभाग की सेवाएं लाई जायें।

लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बदला है नज़रिया अब सेना में जाने का हौसला है बेटियों का

भोपाल, राज्य सरकार द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। योजना से लाभान्वित हो प्रदेश की बालिकाएं अपने सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही बालिका हैं होशंगाबाद जिले के तहसील डोलरिया ग्राम खरार के जितेंद्र तथा क्षमा यादव की पुत्री अमीषा यादव। अमीषा योजना का लाभ लेकर अच्छे से अपनी शिक्षा पूरी कर रही हैं। वह आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं।

वर्तमान में अमीषा कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही हैं। योजना के तहत अमीषा का कक्षा 5वीं पास के बाद छात्रवृत्ति फार्म भरा गया। इसके बाद उन्हें कक्षा 6वीं में 2000 रुपये तथा कक्षा 9वीं में 4000 रुपये की राशि प्रदान की गई। अमीषा मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हैं। अमीषा ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि मिलने से मुझे पढ़ाई की सामग्री जैसे किताबें, कॉपी, प्रोजेक्ट वर्क के लिये सहायता प्राप्त हुई, जिससे वह अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण हो पाई। अमीषा ने बताया कि वह आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। अमीषा ने अपने सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को हृदय से धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण परियोजना होशंगाबाद अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्री प्रमोद गौर एवं पर्यवेक्षक श्रीमती सरोज कमलपुरिया योजना के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। श्री प्रमोद गौर द्वारा विगत वर्ष प्राप्त लक्ष्य अनुसार लाड़ली लक्ष्मी योजना में सतत् कार्य कर शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण कर शाला प्रवेशी बालिकाओं को अलग-अलग कक्षाओं में छात्रवृत्ति का लाभ दिलाया गया है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

कोरोना से बचने की तीन बातें बहुत जरूरी, टीका लगवाना, मास्क पहनना और अपनाना दो गज दूरी

हर नागरिक का उपचार राज्य सरकार की जिम्मेदारी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करते हुए।

भोपाल, गरीब वर्ग सहित प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के प्रति सरकार सदैव गंभीर रहेगी। पहला सुख निरोगी काया होता है, इस नाते नागरिकों को रोगों से बचाकर अच्छे से अच्छा उपचार दिलवाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पूर्व की तरह बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। कोरोना के दौर में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई आयुष्मान जैसी योजनाएं निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाती हैं। लोगों को रोगमुक्त करवाने में योजना कारगर है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आयुष्मान योजना के हितग्राही सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 23 सितम्बर 2018 से लागू योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम है, इस स्थिति को कायम रखा जाएगा। प्रदेश के ढाई करोड़ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपये का उपचार व्यय प्रदान करने वाली इस योजना का निरंतर विस्तार किया जाएगा। संबल योजना और सस्ता खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है क्योंकि सर्वाधिक आवश्यकता इस वर्ग को ही होती है। हर पात्र हितग्राही को इससे जोड़ा जाएगा। योजना में आगामी मार्च तक एक करोड़ से अधिक नवीन हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी कानून-व्यवस्था और शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। आयुष्मान योजना से अनेक परिवारों को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में सहायता मिली है।

श्री चौहान ने कोविड की दूसरी लहर के पीक समय का स्मरण करते हुए कहा कि उस कठिन दौर में ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों की समुचित व्यवस्थाएँ की गईं। अच्छे प्रबंधन से कम से कम जनहानि हुई। आयुष्मान जैसी योजना निर्धन परिवारों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें उपचार का लाभ दिलवाने का माध्यम बनी। श्री चौहान ने प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई भी दी। ग्वालियर के रामनिवास मांझी 26 हजार आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रथम स्थान पर रहे। देवास की आयुष्मान मित्र सुश्री ममता वर्मा ने 12 हजार कार्ड तैयार किए।

मुख्यमंत्री ने सागर के मोनू खान, आष्टा की सुश्री अंकिता बाई, भोपाल के हुसैन अब्बास जाफरी, भिण्ड के छोटू राम, रीवा की श्रीमती कुसुम सिंह, बालाघाट की श्रीमती सीमा मंडाले और वासुदेव मंडाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चर्चा कर आयुष्मान योजना से प्राप्त लाभ की जानकारी प्राप्त की।

जन-अभियान परिषद स्वयंसेवी संगठन की मूल भावना को हमेशा याद रखे

भोपाल, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद समाज को दिशा देने एवं रचनात्मक कार्यों का सशक्त मंच है। परिषद स्वयंसेवी संगठन की मूल भावना को हमेशा याद रखे। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कार्य-योजना बनाएं तथा समाज सेवा एवं जन-कल्याण के कार्य निरंतर जारी रखें। कोरोना काल में जन अभियान परिषद द्वारा जन सेवा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़े और उन्होंने अनुकरणीय कार्य किया। यह अभियान निरंतर जारी रहे। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की शासी निकाय की बैठक में कहीं।

अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य

बैठक में निर्णय लिया गया कि जन अभियान परिषद ऐसे सभी स्वयंसेवी संगठनों, जो कि शासकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करे। ऐसे सभी एन.जी.ओ. परिषद में पंजीयन कराएं।

अंकुर अभियान को गति दें

श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संवर्धन के लिए परिषद द्वारा चलाया जा रहा अंकुर अभियान अत्यंत उपयोगी है। इस अभियान को गति दी जाए। अभियान के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, इसकी साप्ताहिक मॉनीटरिंग की जाए। लोग पौधे लगाते हुए फोटो अपलोड करें। पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना का लाभ

बैठक में निर्णय लिया गया कि जन अभियान परिषद के अमले को कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना तथा अनुग्रह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा।

जन अभियान परिषद के प्रतिवेदन एवं पत्रिका का विमोचन किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन अभियान परिषद के प्रतिवेदन वर्ष 2005 से 2020 तथा पत्रिका का विमोचन भी किया।

विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त अवसर - उच्च शिक्षा मंत्री

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना द्वारा विद्यार्थियों के लिए निरन्तर आयोजन किये जा रहे हैं। चाहे वे उनके प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम हों या उनके व्यक्तित्व निर्माण में प्रश्न मंच, कविता पाठ, निबंध प्रतियोगिताएं हों या इस तरह के अन्य बौद्धिक आयोजन।

डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के रोज़गार, स्व-रोज़गार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जो अपने स्नातक अंतिम वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रशिक्षण देकर एक ऐसा प्रमाण-पत्र देकर भेजेगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों।

डॉ. यादव ने कहा कि एक भारत, समर्थ भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मद्देनज़र सभी विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की चिंता कर उनके व्यक्तित्व के विकास का प्रयत्न उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

आबकारी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने मृत्युदण्ड का प्रावधान

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में आबकारी सम्बन्धी अपराधों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अपराध पर अधिरोपित होने वाली शास्ति दण्ड तथा फाईन में वृद्धि करने के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया है। इसमें मुख्यतः धारा 49 (ए) के अन्तर्गत जहरीली शराब से सम्बन्धित अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। यदि जहरीली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपराध के लिए दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड और न्यूनतम 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इससे अपराधों पर नियंत्रण बढ़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णय इस प्रकार हैं -

- संशोधन विधेयक में मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति होने पर पहली बार में न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।
- इसी तरह मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा मिलने पर पहली बार में न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 6 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य निष्पादन में बाधा डाले या हमला करे, उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा।
- प्रदेश में महुआ आधारित मदिरा को मुख्य धारा में लाने के लिए उसे हैरिटेज (पारम्परिक) मदिरा का दर्जा दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके नियंत्रित निर्माण एवं विक्रय के लिए विभाग द्वारा नियम निर्धारित किये जाएंगे। इससे महुआ से निर्मित मदिरा के लघु उद्योग प्रोत्साहित होंगे। अधिनियम में पहले से प्रावधानित आदिवासियों के अधिकार यथावत सुरक्षित रखे जायेंगे।
- मंत्रिपरिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग के तहत नये शासकीय आईटीआई की स्थापना जिला सिंगरौली के विकासखण्ड चितरंगी में स्वीकृत की है।
- आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिये कुल राशि 18 करोड़ 43 लाख रुपये संभावित व्यय होगा।
- नये आईटीआई के लिए कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। चितरंगी में 6 ट्रेड्स शुरू कर आईटीआई की स्थापना होगी। अभी प्रदेश के कुल 313 विकासखण्डों में से 210 विकासखण्डों में 243 सरकारी आईटीआई संचालित हैं।
- मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के नवीन वर्गीकरण को प्रदेश में प्रभावी किये जाने के संबंध में निर्णय लिया।
- अधिसूचना में नई निवेश और कारोबार की सीमा को पूरे प्रदेश की एमएसएमई के लिये राज्य शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों/संस्थाओं/उपक्रमों के सभी प्रयोजनों के लिए इस संबंध में अधिसूचना की प्रभावशीलता के दिनांक से ग्राह्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 तथा मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 जारी की गई।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2020 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का नये सिरे से वर्गीकरण किया गया है। अब तक 10 करोड़ रुपये के निवेश प्लांट में और 5 करोड़ रुपये तक का निवेश उपकरणों में करने वाली इकाइयां एमएसएमई के दायरे में आती थी।
- नवीन वर्गीकरण अनुसार अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक के प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों में निवेश करने वाली और अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एमएसएमई के अंतर्गत आ गई हैं।
- डायल 100 की स्वीकृत कार्य योजना अवधि समाप्त के बाद समय-समय पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद अनुबंधित फर्म को वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। एक जुलाई 2021 से अनुबंधित दरों में 15 प्रतिशत की दर वृद्धि करने के बाद संचालन की स्वीकृति 6 माह के लिए दी गई है। दिनांक 12 सितम्बर 2019 की मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2020-2025 तक निरंतर रखने की अनुमति दी गई थी।
- डॉयल 100 सेवा के एफआरवी की पहुंच के विस्तार के लिए अधिकतम 1200 एफआरवी की कार्य-योजना प्रस्तुत की गई है। मंत्रिपरिषद ने 1100 करोड़ 16 लाख रुपये (प्रतिवर्ष 183 करोड़ 36 लाख) की परियोजना तथा उक्त परियोजना की अवधि एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2027 तक की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद ने भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना के सहयोग से प्लांट से लगभग 500 मीटर दूरी पर 1000 बिस्तरीय अस्थायी कोविड अस्पताल के निर्माण और संचालन के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन दिया। स्टेट लेवल एक्जीक्यूटिव कमेटी के निर्णयानुसार प्रथम चरण में 200 बिस्तरीय अस्थायी कोविड अस्पताल को 6 माह तक संचालन की अनुमति दी।
- मंत्रिपरिषद ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा में संशोधन के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 मान्य करने का निर्णय लिया।
- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 में प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति का प्रावधान है। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अन्तर्गत स्थापित 8 विश्वविद्यालयों, 5 अन्य विश्वविद्यालयों तथा 2 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के अधिनियम में कार्यपरिषद/प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कुलपति का प्रावधान है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अपनों को सुरक्षित रखने में क्या मजबूरी, मास्क पहनना और वैक्सीन बहुत जरूरी

राहत शिविरों में भोजन और दवाओं की व्यवस्था करें सुनिश्चित

भोपाल, अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को हरसंभव सहयोग तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। जीवन बचाना सर्वोत्तम प्राथमिकता है। जिला प्रशासन के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बी.एस.एफ, सेना और वायुसेना बचाव और राहत कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेश की स्थिति से निरंतर अवगत कराया जा रहा है। सेना और केन्द्र सरकार से अविलंब हरसंभव सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा का समय है। जिला प्रशासन सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बी.एस.एफ, सेना, वायुसेना द्वारा इस कठिन परिस्थिति में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम से अतिवृष्टि और बाढ़ से

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए।

प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के दौरान कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत शिविरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भोजन, पीने के स्वच्छ पानी के साथ डॉक्टर और दवाओं की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाए। वर्षाऋतु में होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकना आवश्यक है। बाढ़ और अतिवृष्टि से ध्वस्त अधोसंरचना को तत्काल पुनर्स्थापित किया जाएगा।

रेस्क्यू के दौरान महिला होमगार्ड ने कराई डिलीवरी

श्री चौहान ने श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना, भिण्ड और मुरैना के कलेक्टर और एस.पी. से राहत और बचाव कार्यों की जिलेवार जानकारी ली। कलेक्टर श्योपुर ने बताया कि जिले में कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। संचार व्यवस्था के सभी नेटवर्क डाउन हैं। राहत के लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम श्योपुर पहुंच रही है। श्योपुर में राहत कार्यों में बड़ी संख्या में महिला होमगार्ड को तैनात किया गया है। रेस्क्यू के दौरान प्लोद ग्राम में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर महिला होमगार्ड द्वारा डिलीवरी कराई गई, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कलेक्टर दतिया ने बाढ़ से घिरे मकानों, सेवढ़ा का पुल टूट जाने और हरसी नदी की ओर से ग्वालियर का सम्पर्क टूट जाने के संबंध में जानकारी दी। शिवपुरी में जल स्तर नीचे आने की सूचना भी दी गई।

मुख्यमंत्री ने नेशनल हाइवे को जल्द से जल्द रिस्टोर करने के निर्देश दिए। चंबल नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तथा कोटा-बैराज से पानी छोड़ा गया है। इससे मुरैना और भिण्ड में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए निचले इलाकों में बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने तथा अन्य आवश्यक सावधानियां अपनाने के निर्देश भी दिए।

श्री चौहान ने प्रभावित जिलों में संचार नेटवर्क जल्द से जल्द पुनर्स्थापित करने के लिए केन्द्रीय अधिकारियों से चर्चा की। केन्द्र की ओर से अवगत कराया गया कि तत्काल व्यवस्था के रूप में प्रभावित जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चरल रोमिंग की अनुमति दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि इससे किसी भी नेटवर्क से यदि सिग्नल मिलता है तो अन्य नेटवर्क के फोन भी इस नेटवर्क पर कार्य करेंगे। साथ ही राहत और बचाव कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल नम्बरों से प्रियोरिटी रूट दिया जा रहा है। इससे इन लोगों को सम्पर्क में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी।

मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिये नई पॉलिसी बनेगी

भोपाल, मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब बनाया जायेगा। इस संबंध में एक सुविचारित नीति बनायी जायेगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने यह बात लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के वर्तमान परिदृश्यों के संबंध में चर्चा के लिए आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 52 विभाग मिलकर कार्य करेंगे। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक एप बनाया जायेगा। इसके माध्यम से ट्रकों और टैंकरों का बाधारहित आवागमन सुनिश्चित होगा। परिचर्चा में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला ने प्रदेश में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित है। अतः यहां लॉजिस्टिक हब बनने पर पूरे देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने मेडेंट ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन के 14 बिन्दुओं की जानकारी दी।

ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार हमारा लक्ष्य है

भोपाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग, द्वारा आयोजित ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के छठवें बैच का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिये यथासंभव प्रयास किये जाएं।

डॉ. मोहन यादव ने वर्तमान परिस्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने एफडीपी के सफल संचालन के लिए आयोजन समिति को भी बधाई दी।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और ऑनलाइन माध्यम में भी इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने ओपन बुक से लेकर वीडियो व्याख्यान तक कई अभिनव पहल की हैं, जो विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। विभाग की ओपन बुक प्रणाली को अन्य राज्यों ने सराहा एवं अपनाया है।

अपर आयुक्त श्री चंद्रशेखर वार्लिबे ने पिछले पांच एफडीपी की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि यह एफडीपी पूर्णतः विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं और विभाग के ही विषय-विशेषज्ञों का इसमें योगदान रहा है।

कुपोषण की कमी को दूर करेगा डबल फोर्टिफाइड नमक

भोपाल, डबल फोर्टिफाइड नमक में आयोडीन एवं आयरन दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह नमक सामान्य रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसके अधिक से अधिक उपयोग के लिए हम विभिन्न विभागों द्वारा पोषण संबंधी योजनाओं के माध्यम से उपयोग में लाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में महिला बाल विकास में मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी पोषण आहार जैसी योजनाओं के लिए इस नमक के उपयोग के लिए अपनी सहमति दी है। आदिवासी क्षेत्रों में पौष्टिक खानपान नहीं मिलने के कारण गर्भवती माताएं और बच्चे दोनों ही कुपोषण का शिकार हो जाते थे। इसलिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डबल फोर्टिफाइड का वितरण प्रारंभ किया गया, जिसके बहुत उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। ये बातें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने भोपाल में डबल फोर्टिफाइड नमक के प्रदेश स्तरीय लोकार्पण करते हुए कही। श्री सिंह ने कहा कि कुपोषण एवं एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए डबल फोर्टिफाइड नमक काफी उपयोगी है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में डबल फोर्टिफाइड नमक उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

सुरक्षित स्तनपान सभी की जिम्मेदारी
विश्व स्तनपान सप्ताह 1–7 अगस्त 2021

NATIONAL HEALTH MISSION

माँ का दूध, अमृत है ये बूंद

नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत समान है। यह नवजात का पहला टीका है, जो उसे रोगों से लड़ने में और जीवनभर उसके उत्तम स्वास्थ्य तथा सही शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 पर हम हर माँ का साथ देने और शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने हेतु प्रोत्साहित करने का संकल्प लें।

आइए! अपनाएं स्तनपान के 3 मंत्र

शिशु जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान करना चाहिए।

पहले 6 महीने दिन रात शिशु को केवल स्तनपान करायें, ऊपर से दूध, घुट्टी या पानी बिल्कुल न दें।

6 माह पूरे होने पर ऊपरी आहार की शुरुआत करें। 2 साल या अधिक उम्र तक शिशु की मांग अनुसार स्तनपान जारी रखें।

किसी भी प्रकार का ऊपरी दूध, माँ के दूध की जगह नहीं ले सकता। विशेषकर बीमार, कम वजन या समय से पहले पैदा हुए कमजोर नवजात के लिए डिब्बा बंद दूध हानिकारक हो सकता है। माता के स्तनपान कराने में असमर्थ होने पर स्तन से निकाला हुआ दूध या अन्य स्वस्थ माता का दान किया दूध शिशु को पिलाएं। स्तनपान कमजोर शिशुओं को बीमारियों से बचाता है और उन्हें जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है।

माँ अथवा शिशु के बीमार होने की दशा में भी स्तनपान जारी रखें तथा इन 3 बातों का ध्यान रखें।

- संक्रमण से बचाव करें।
- साफ-सफाई का ध्यान रखें।
- डॉक्टर से सम्पर्क करें और डॉक्टर की बताई गई बातों का पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए खण्ड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

R-45780/D-11031/2021

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

सामग्री : मातृत्व शिशु/2021

वीना रेड्डी

भारतीय-अमेरिकी मिशन की पहली निदेशक बनीं

वीना रेड्डी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट

की मिशन निदेशक बन गई हैं। वीना यूएसआईडी इंडिया का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी हैं। इससे पहले वीना हेती में उप मिशन निदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी

पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त

राज्य शासन ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद

गिरी को मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश गो-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पशु पालन एवं डेयरी विभाग ने इस संबंध में ओदश जारी कर दिया है।

पॉवर फुल जनरेटर

स्कॉटलैंड में जल लहरों से बनाएगा बिजली

स्कॉटलैंड के ऑर्कने में लहरों से बिजली बनाने वाले

जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया है। ग्रीन एनर्जी में 680 टन वजनी ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ज्वारीय जनरेटर है, यानी ज्यादा ज्वार उठने पर यह ज्यादा काम करेगा। इसकी क्षमता दो मेगावॉट है। इससे 2000 घर रोशन हो सकेंगे। इसे विकसित करने में 15 साल का वक्त लगा।

तुर्की - ईरान

सीमा पर बन रही सुरक्षा दीवार

तुर्की-ईरान सीमा पर 295 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार

बनायी जा रही है। तुर्की के वान प्रांत के गवर्नर इमिन बिलमेज ने कहा कि इससे आतंकियों की घुसपैठ और प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। इस दीवार पर थर्मल कैमरे, क्लोज अप सर्विलांस कैमरे, सर्विलांस के लिए रडार, रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली और लाइन लेंथ इमेजिंग सिस्टम के अलावा इकोस्टिक सेंसर भी लगाए गए हैं। यह दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे लंबी है।

भावनगर

राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग का सामूहिक मार्च

गुजरात के भावनगर में स्थित वेणावदर काला हिरण

राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चित हो रही है। मौजूदा समय में उद्यान में करीब 7,554 काले हिरण हैं। हाल ही में वेणावदर के एक रास्ते को पार करते हुए 800 कृष्ण मृग झुंड में मौजूद थे। उसी समय का फोटो और वीडियो लगातार देखा जा रहा है।

अमेरिका के

ओरेगन में बढ़ा प्रदूषण का स्तर

अमेरिका के ओरेगन के घने जंगलों में आग लगने के

बाद आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। यहां दो सप्ताह पहले लगी आग से एक बड़े भू-भाग का जंगल धू-धूकर जल चुका है। सूर्यास्त के समय छाये धुंए से पहाड़ियों की तस्वीर धुंधली दिखायी दे रही है।

हड़प्पाकालीन धौलावीरा

यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल

यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर

धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी। इससे पहले 13वीं शताब्दी में निर्मित तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को भी विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। अहमदाबाद से करीब 350 किलोमीटर दूर भचाऊ (कच्छ) के पास खडीर बेट में स्थित धौलावीरा पांच हजार साल से भी अधिक पुरानी सभ्यता का अवशेष है।

श्रीलंका में

नीलम का 510 किलो का टुकड़ा मिला

श्रीलंका के रत्नापुर में नीलम का विशाल टुकड़ा मिला

है। इसका वजन 510 किलो है और ये 25 लाख कैरेट का है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 745 करोड़ रुपये आंकी गई है। पेज ब्लू नीलम उस वक्त मिला जब रत्न कारोबारी गेमेज के घर के पीछे कुंए की खुदाई चल रही थी।

संजीव सहोता

बुकर के दावेदारों में शामिल

भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोता उन

13 लेखकों में शामिल हैं, जिनकी किताब चाइना रूप को इस साल बुकर पुरस्कार के दावेदारों की सूची में शामिल किया गया है। सूची में अंतिम छह में जगह बनाने वाली किताबों की घोषणा 14 सितम्बर 2021 को की जाएगी। विजेता को 3 नवम्बर को लंदन में एक समारोह के दौरान पुरस्कृत किया जायेगा।

जो एलिस

जीभ से इलेक्ट्रिक पंखा रोक गिनीज रिकॉर्ड बनाया

ऑस्ट्रेलिया की जो एलिस ने हैरतअंगेज कारनामे की

वजह से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। जो एलिस अपनी जीभ की मदद से बिना हाथ लगाये चलते पंखे को रोक देती है। जो एलिस ने यह रिकॉर्ड इटली में बनाया। उन्होंने पंखे की ब्लेड को कई बार जीभ से रोक दिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।

तिब्बत

ग्लेशियर में 33 वायरस के जेनेटिक कोड मिले

बर्फ में इतिहास के कई राज दफन होते हैं। वैज्ञानिकों को तिब्बत के ग्लेशियर में 33 वायरस के जेनेटिक कोड मिले हैं। इनमें कम से कम 28 वायरस दुर्लभ हैं। ये करीब 15 हजार साल पुराने बर्फ में दबे रहने के कारण अब तक बचे रहे। इन

वायरसों के जेनेटिक कोड मिलने के बाद वैज्ञानिकों को आगे चलकर मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की खोज में मदद मिलेगी। अनुसंधानकर्ता झी-पिंग झॉन्ग का कहना है कि ये बर्फ कुनलुन शान के आइस कैप में मिली है।

जेफ बेजोस को

अंतरिक्ष यात्री का दर्जा संभव नहीं

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस को अंतरिक्ष

यात्री नहीं माना जायेगा। दरअसल नये नियमों के तहत बेजोस को या उनके जैसे कमर्शियल टूरिस्ट को अंतरिक्ष यात्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने जुलाई 2021 को नए नियम जारी किए। इनके तहत अंतरिक्ष यात्री कहलाने के लिए व्यक्ति को फ्लाइट क्रू का हिस्सा होना चाहिए और अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा में योगदान देना चाहिए।

युसूफ अली एमए

अबूधाबी के कारोबारी निकाय के उपाध्यक्ष नामित

अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद अल

नाहयान ने भारतीय कारोबारी युसूफ अली एमए को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से संचालित सभी व्यवसायों के शीर्ष सरकारी निकाय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। युसूफ अली जिस कंपनी में है वह कई देशों में हाइपर मार्केट और खुदरा कंपनियों का संचालन करती है। 29 सदस्यीय समिति में वे एकमात्र भारतीय हैं।

ट्यूनीशिया में

राष्ट्रपति ने भंग की संसद

ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद द्वारा संसद

भंग करने और प्रधानमंत्री को पद से हटाने के बाद सैनिकों ने संसद को घेर लिया है। राष्ट्रपति सईद द्वारा लिए गए निर्णय का प्रदर्शनकारियों ने हॉर्न बजाकर और देश के झंडे लहराकर स्वागत किया। जबकि सईद के आलोचकों ने उन पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। ट्यूनीशिया में 2011 में अरब क्रांति का आगाज हुआ था।

कनाडाई यूट्यूबर ने

सबसे चमकदार एलईडी टॉर्च बनाई

कनाडा के यूट्यूबर जेम्स हॉब्सन और उनके सहयोगियों

ने मिलाकर दुनिया की सबसे चमकदार एलईडी टॉर्च बनाकर नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम नाइटब्राइट 300 है। यह टॉर्च स्टेडियम को रोशन करने की क्षमता रखती है। इस अविष्कार के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हॉब्सन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसे शेयर भी किया है। इसमें 50 बोर्ड हैं जिनमें से प्रत्येक में 6 एलईडी बल्ब लगे होते हैं।

रोबो कैसी

पांच किलोमीटर चलने वाली पहली रोबोट

रोबो कैसी ने 5 किलोमीटर की दूरी 53 मिनट में तय

कर इतिहास रच दिया है। पहली बार कोई रोबो खुली सड़क पर इतना चला। कैसी को चलते हुए कम्प्यूटर ओवर हीट होने से 2 ब्रेक लेने पड़े। स्पीड से चलते मोड़ पर वह गिर भी गई। इसे ओरेगोन स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इसका इस्तेमाल सामान पहुंचाने या वेयर हाउस में किया जायेगा।

जूलियन असांजे

इक्वाडोर की अदालत ने रद्द की नागरिकता

इक्वाडोर ने विकीलीक्स के संस्थापक और वर्तमान

में ब्रिटेन की जेल में बंद जूलियन असांजे की नागरिकता रद्द कर दी है। इक्वाडोर की न्याय प्रणाली ने दक्षिण अमेरिकी देश के विदेश मंत्रालय द्वारा दायर एक दावे के जवाब में एक पत्र में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे को उनकी नागरिकता रद्द किए जाने के बारे में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। इक्वाडोर अधिकारियों ने कहा कि असांजे को दी नागरिकता के संबंध में कई विसंगतियां अलग-अलग हस्ताक्षर, दस्तावेजों से छेड़-छाड़, शुल्क का भुगतान न करना और अन्य समस्याएं पाई गई हैं।

बर्न इंजरी पट्टी

त्वचा बनकर बर्न इंजरी को संक्रमण से बचाएगी

जलने पर मरीज के सामने सबसे बड़ा खतरा

संक्रमण का होता है। कई बार संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि मरीज की जान पर बन आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में घाव में संक्रमण नहीं फैलेगा और वह तेजी से ठीक भी होगा।

स्मृति शेष

बहुभाषी प्रसिद्ध अभिनेत्री जयंती का निधन

प्रसिद्ध बहुभाषी अभिनेत्री जयंती का 76 वर्ष

की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अभिनय शारदे के तौर पर जानी जाने वाली अभिनेत्री ने अपने पांच दशक के कॅरियर में विभिन्न भाषाओं में 500 से अधिक फिल्में की हैं।

भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन

भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू

नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। अपने कॅरियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले नाटेकर दुनिया के पूर्व नंबर 3 खिलाड़ी थे।

मशहूर हास्य कलाकार जैकी मेसन का निधन

यहूदी विषयों और सरकार की राजनीतिक

गलतियों को रोचक तरीके से उठाने वाले मशहूर हास्य कलाकार जैकी मेसन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1980 के दशक में मेसन अपने प्रसिद्ध वन मैन शो द वर्ल्ड एकॉर्डिंग टू मी से लोकप्रिय हुए थे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कोरोना को मारने के तीन हथियार, हाथ धुलायी, मास्क और वैक्सीन का वार।

कार्यालय संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
विभाग इंदौर संभाग इंदौर
विज्ञापन

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जिला इन्दौर मध्यप्रदेश जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु विभिन्न पद स्वीकृत किये गए हैं। इन पदों पर मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्रमांक/एफ-3,7/12/26-2 दिनांक 17.12.2014 के क्रम में पदपूर्ति की जाना है। अतः निम्न पदों की पूर्ति हेतु योग्य तकनीकी उम्मीदवार से बायोडाटा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पद	योग्यता	पद संख्या	मानदेय
1.	सीनियर फिजियोथेरापिस्ट/ ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 5 वर्ष का अनुभव।	01	रु. 20500 प्रतिमाह
2.	क्लीनिकल, साईकोलॉजिस्ट	एम. फिल क्लीनिकल साईकोलॉजी/एम.ए. साईकोलॉजी दिव्यांग के क्षेत्र में 2 वर्ष अनुभवी को प्राथमिकता। भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन होना अनिवार्य।	01	रु. 20500 प्रतिमाह
3.	अस्थिबाधितार्थ निःशक्तता में सीनियर प्रोस्टेटिस्ट/ आर्थोटिस्ट	स्नातक उपाधि प्रोस्टेटिक एवं आर्थोटिक नेशनल इंस्टीट्यूट से स्नातक को प्राथमिकता फील्ड में 5 वर्ष का अनुभव या प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक में डिप्लोमा के साथ 6 वर्ष का अनुभवी।	01	रु. 20500 प्रतिमाह
4.	सीनियर स्पीच थेरापिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट	फील्ड में स्नातकोत्तर/बी.एस.सी. (स्पीच एण्ड हियरिंग)	01	रु. 20500 प्रतिमाह
5.	प्रोस्थेटिस्ट/आर्थोटिस्ट (टेक्नीशियन)	आई.टी.आई. ट्रेण्ड एवं 2/3 वर्ष का अनुभवी।	01	रु. 14500 प्रतिमाह
6.	हियरिंग असिस्टेंट/जूनियर स्पीच थेरापिस्ट	डिप्लोमा इन स्पीच एण्ड हियरिंग के साथ हियरिंग रिपेयरिंग व ईयर मोल्ड का अनुभवी।	01	रु. 14500 प्रतिमाह
7.	फिल्ड एण्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट	स्नातक 1 वर्ष का अनुभवी।	01	रु. 14500 प्रतिमाह
8.	वोकेशनल काउन्सलर/ कम्प्यूटर असिस्टेंट	स्नातक (कम्प्यूटर डिप्लोमा पी.जी.डी.सी.ए.) 1 वर्ष का अनुभवी।	01	रु. 14500 प्रतिमाह
9.	मल्टीपर्पल रिहेब्लीटेशन वर्कर	10+2 के साथ डिप्लोमा इन सी.बी.आर./एम.आर.डब्ल्यू कोर्स या एक वर्षीय डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड हुड स्पेशल एजुकेशन के साथ 2 वर्ष का अनुभव।	01	रु. 14500 प्रतिमाह
10.	मोबिलिटी इनट्रक्टर	मेट्रीकुलेशन सर्टिफिकेट/डिप्लोमा इन मोबिलिटी।	01	रु. 14500 प्रतिमाह

नियम व शर्तें :- 1. सभी पदों हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में समस्त सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के नाम से बंद लिफाफे में नवीन प्रशासनिक संकुल **कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग नवीन प्रशासनिक संकुल कलेक्टोरेट जी-6, मोती तबेला इन्दौर-452010** में समाचार प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह तक प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने का समय (शासकीय आवकाश छोड़कर) 11:00 बजे से 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। 2. उपरोक्त सभी पद अस्थाई एवं पूर्णतः निश्चित मानदेय के होकर एक माह की सूचना पर समाप्त किये जा सकते हैं तथा पुनः नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करना। आवश्यक होगा। योग्यता के साथ आर.सी.आई. (भारतीय पुनर्वास परिषद्) में पंजीकृत उम्मीदवार को प्राथमिकता। 3. निःशक्त सम्मीदवार को शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जाना अनिवार्य होगा। आवेदकों को नियमानुसार पात्रता दी जावेगी। 4. समिति के समक्ष उपस्थित होने पर किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को आने-जाने का किसी प्रकार का व्यय नहीं दिया जावेगा। 5. आवेदन पत्र अध्यक्ष, जिला प्रबंधन समिति, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र इन्दौर के नाम से उपरोक्त पते पर लिये जावेंगे। आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में उपरोक्त कार्यालय में ही जमा करावें। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे। 6. सभी पदों हेतु आवेदनकर्ता निर्धारित योग्यतानुसार आवेदन पत्र पृथक-पृथक आवेदन करेंगे। यदि एक आवेदन पत्र में उससे दो या अधिक आवेदन पत्र भरेंगे तो निरस्त कर दिया जावेगा। 7. सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई है तथा शासकीय सेवा के अंतर्गत नहीं है। 8. चयन प्रक्रिया में चयन समिति का अंतिम निर्णय होगा तथा किसी भी प्रकार का प्रतिवाद स्वीकार नहीं होगा। 9. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ लंग्गन करें। 10. योग्य द्विव्यांगों को प्राथमिकता। 11. संविदा कर्मचारी की संविदा की अधिकतम कालावधि दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर संविदा बढ़ाई जावेगी। 12. नियुक्ति उपरोक्त सेवा से त्याग पत्र देने पर एक माह की मानदेय राशि जमा करना होगी। 13. कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर केन्द्र के समन्वयक/अध्यक्ष/कलेक्टर जिला प्रबंधन समिति द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर सेवाएं समाप्त की जावेंगी। 14. उम्मीदवार का चयन गठित चयन समिति द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप किया जावेगा।

संयुक्त संचालक
जी-15365/45783/2021 सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, इंदौर संभाग इंदौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-01, होशंगाबाद
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 27/2021-22/e-Tender/Hbad **दिनांक : 27.07.2021**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्यों का विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 1. रेस्टहाउस आंवलीघाट में घाट स्टेप, प्लेटफार्म एवं पुलिया का निर्माण।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्रमांक	कार्य की अनु. राशि (लाख में)
2021_PWDRB_152928	होशंगाबाद	निर्माण कार्य	द्वितीय	19.94/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 2. श्री जादोन अतिरिक्त आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के सी-1 टाइप क्वाटर 5 बंगला में कार्य।

2021_PWDRB_152930	होशंगाबाद	भवन कार्य	प्रथम	3.58/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 3. सिवनीमालवा उपसंभाग के विभिन्न मार्गों पर बीटी पेच रिपेयर, सामग्री संग्रहण कार्य।

2021_PWDRB_152931	होशंगाबाद	मटेरियल संग्रहण	प्रथम	17.78/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 4. होशंगाबाद उपसंभाग के बाबई सेक्शन में विभिन्न मार्गों पर बीटी पेच रिपेयर सामग्री संग्रहण कार्य।

2021_PWDRB_152932	होशंगाबाद	मटेरियल संग्रहण	प्रथम	14.93/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 5. साकेत नगर होशंगाबाद में एफ-3 क्वाटर में रूम एवं शेड का निर्माण।

2021_PWDRB_152933	होशंगाबाद	भवन कार्य	प्रथम	7.28/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 6. सिविल हॉस्पिटल होशंगाबाद में एम.ओ.डब्ल्यू. एंड एम.आर. कार्य।

2021_PWDRB_152934	होशंगाबाद	एम.ओ.डब्ल्यू.एस.आर. कार्य	प्रथम	19.95/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 7. केसता- ताकू मार्ग, रेहडा पहुंच मार्ग, पिपलिया कला पहुंचमार्ग, बी जमानी से महुआखेड़ा मार्ग, सिवनी मालवा से सामरधा मार्ग, सिवनीमालवा सामरधा मार्ग से बांकाबैड़ी मार्ग एवं इटारसी जमानी रोड से छापर रोड़ पर बी.टी. रिनिवल कार्य।

2021_PWDRB_152935	होशंगाबाद	बी.टी. रिनिवल	चतुर्थ	187.57/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 8. निमसाड़िया से पांजरा मार्ग बी.टी. रिनिवल कार्य।

2021_PWDRB_152936	होशंगाबाद	बी.टी. रिनिवल	प्रथम	19.09/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 9. मालाखेड़ी से रायपुर मार्ग पर बी.टी. रिनिवल कार्य।

2021_PWDRB_152938	होशंगाबाद	बी.टी. रिनिवल	प्रथम	19.09/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 10. इटारसी सेक्शन के मार्गों पर पुलिया एवं शेल्डर का मरम्मत कार्य।

2021_PWDRB_152939	होशंगाबाद	मरम्मत कार्य	प्रथम	19.11/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 11. वेटनरी हॉस्पिटल पंचमढ़ी में ए ब्लॉक, गेस्ट हाउस एवं किचिन में रेनोवेशन कार्य।

2021_PWDRB_153601	होशंगाबाद	मरम्मत कार्य	प्रथम	7.71/-

संख्या क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 12. पिपरिया उपसंभाग के सोहागपुर सेक्शन के विभिन्न मार्गों पर बी.टी. पेच रिपेयर सामग्री संग्रहण कार्य।

2021_PWDRB_153702	होशंगाबाद	मटेरियल संग्रहण	प्रथम	19.73/-
			योग	**355.76/-**

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 16.08.2021 सायं 17:30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी15371/45784/2021 लो.नि.वि. संभाग होशंगाबाद

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सागर (म.प्र.)

दूरभाष : 07582 - 224269, E-mail : eephe_sagar@yahoo.co.in

क्र. ...../निविदा प्रकोष्ठ/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड सागर, दिनांक : .....

संक्षिप्त निविदा सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अध्यक्ष जिला जल एवं स्व. मिशन सागर से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर ई-टेंडरिंग लिफाफा पद्धति से सागर जिले के विकासखण्ड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग शालाओं/आंगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु ऑनलाइन निविदा **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। ये मात्र संक्षिप्त सूचना है। निविदाकार को सलाह दी जाती है कि निविदा में भाग लेने के पूर्व विस्तृत निविदा सूचना का अवलोकन भी कर लें :-

सं. क्र.	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	ई-टेण्डर क्रमांक	ब्लॉक	कार्य की अनु. लागत रुपये (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति समूह	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि
1.	क्र.198/30.07.2021	2021_PHED_153280_1	बण्डा	53.50	53500/-	रु. 10000/-	
2.	क्र.199/30.07.2021	2021_PHED_153281_1	देवरी	53.50	53500/-	रु. 10000/-	**17.8.21**
3.	क्र.200/30.07.2021	2021_PHED_153282_1	केसली	53.50	53500/-	रु. 10000/-	**सायं**
4.	क्र.201/30.07.2021	2021_PHED_153283_1	रहली	53.50	53500/-	रु. 10000/-	**5:30**
5.	क्र.202/30.07.2021	2021_PHED_153284_1	सागर	53.50	53500/-	रु. 10000/-	**बजे तक**
6.	क्र.203/30.07.2021	2021_PHED_153285_1	शाहगढ़	53.50	53500/-	रु. 10000/-	

समस्त विवरण **http://www.mptenders.gov.in** वेबसाइट पर/अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन ही क्रय व प्रस्तुत करनी होगी। समस्त प्रक्रिया 'की-डेट्स' अनुसार होगी। भविष्य में यदि कोई निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन होता है तो वह ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होंगे अर्थात समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित नहीं होंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-15379/45785/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सागर

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जबलपुर

डुमना एजरपोर्ट रोड आई.आई.टी.डी.एम. के पास, पी.ओ. खमरिया : 482005, जबलपुर
Website : sihmjbp.mp.gov.in, E-mail : principal.fcijbp@mp.gov.in
Phone : 0761-2639400, Mobile : 9407124391

No./326/SIHM/JBP/2021 **Jabalpur, Date : 05.08.2021**

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT (SHORT TERM CONTRACT)

State Institute of Hotel Management, Jabalpur invites application from eligible candidates for Academic posts on Short Term Contract basis -

No.	Post	No. of Post/ Category	Consolidated Fix pay	Maximum Age	Eligibility Criteria (Education Qualifications & Experience etc.)
1.	Lecturer (On Contract)	03 UR-01 OBC -01 ST-01	Consolidated Pay Rs. 45,000/- per month (on contract basis)	Not exceeding 40 years as on 23.08.2021	Please visit website www.sihmjbp.mp.gov.in for more detail.
2.	Assistant Lecturer (On Contract)	03 UR-01 OBC -01 ST-01	Consolidated Pay Rs. 35,000/- per month (on contract basis)	Not exceeding 35 years as on 23.08.2021	
3.	Teaching Associates (On Contract)	02 UR-01 OBC -01	Consolidated Pay Rs. 25,000/- per month (on contract basis)	Not exceeding 30 years as on 23.08.2021	

Note : 1. Last date of application is 23.08.2021, 2. Send your Application in the prescribed format (which is available on our website **www.sihmjbp.mp.gov.in)** along with passport size photo and self-attested copies of certificates on or before 23.08.2021 to The Principal / Secretary, State Institute of Hotel Management (Formerly Food Craft Institute), Near IIITDM College, Dumna Airport Road, P.O. Khamaria, Jabalpur- 482005 Madhya Pradesh by speed post only.

Secretary/Principal

R-45789/2021

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

बैचलर/डिप्लोमा फार्मेसी (B. Pharmacy/D. Pharmacy) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में एवं अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय एवं निजी संस्थान में संचालित)
ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021-22

प्रथम चरण

अर्हकारी परीक्षा (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं पीसीएम/पीसीबी विषय सहित उत्तीर्ण) के आधार पर

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	10.08.2021 से 01.09.2021 सायं 3:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	02.09.2021 से 03.09.2021
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।	26.08.2021 से 08.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	09.09.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	14.09.2021 से 20.09.2021 सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण

अर्हकारी परीक्षा (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं पीसीएम/पीसीबी विषय सहित उत्तीर्ण) के आधार पर

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	20.09.2021 से 26.09.2021 सायं 3:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	27.09.2021 से 28.09.2021
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।	23.09.2021 से 30.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	01.10.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	06.10.2021 से 12.10.2021 सांय 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
13.10.2021 से 14.10.2021 सायं 3:00 बजे तक	16.10.2021 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में **प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक** उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुउपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(कोविड-19 के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिये, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/101565/आर-45803/2021 अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड सीधी (म.प्र.)

सम्राट चौराहा के पास, ई-मेल : eephedsid@nic.in, फोन नम्बर : 07822-252296

निविदा सूचना क्रमांक 04/नि.प्र./व.ले.लि./का.य./लो.स्वा.यां.वि./21-22 सीधी, दिनांक : 05.08.2021

निम्न कार्यों हेतु निविदा का ऑनलाइन वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19.08.2021 सायं 5:30 बजे तथा निविदा खुलने की तिथि 23.08.2021 को 11:00 बजे से 5:30 शात तक है। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

Name of work : construction of Retrofitting Existing Revised cm Piped Water Supply Scheme including installation of electric submersible/motor pump, construction of brick masonary pump house, electrification work, laying and jointing of rising main and distribution pipeline system, making household connection including cost of material and labour with 90 days trial run period after successful completion of work.

S. No.	Tender ID	Name of Scheme	Block	PAC (Rs. in Lakh)	E-EMD in Rs.	Cost of Tender	No. of Calls
1.	PHED/EE/153865_1	महराजपुर, पडारियाकला पिपरोहर खाम्ह, बढ़ौरा ऐंठी	सीधी	156.19	156190/-	12500/-	First Call
2.	PHED/EE/153866_1	भितरी, उकसा, गोडाही	सिहावल	66.17	66170/-	10000/-	First Call
3.	PHED/EE/153867_1	सहिजनहा, शिकरा, सिलवार भदौरा, कोटा	मझौली एवं कुसमी	198.34	198340/-	12500/-	First Call
4.	PHED/EE/153869_1	झाला, कुशमहर, भोलगढ़	रामपुर	139.37	139370/-	12500/-	First Call
5.	PHED/EE/153871_1	पडुखुरी 587, पडुखुरी 588, मऊ, मढा	रामपुर नैकिन	152.81	152810/-	12500/-	First Call

कार्यपालन यंत्री

जी-15405/45798/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड सीधी (म.प्र.)

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.) पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

मध्यप्रदेश के अनुदान प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों में संचालित
ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021-22

नाटा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं) के घोषित परिणामों की संयुक्त मेरिट के आधार पर

प्रथम चरण

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	15.08.2021 से 01.09.2021
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	02.09.2021 से 03.09.2021
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	26.08.2021 से 08.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	09.09.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश	14.09.2021 से 20.09.2021 सांय 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	20.09.2021 से 26.09.2021
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	27.09.2021 से 28.09.2021
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	23.09.2021 से 30.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	01.10.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थित एवं प्रवेश	06.10.2021 से 12.10.2021 सायं 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
13.10.2021 से 14.10.2021 सायं 3:00 बजे तक	16.10.2021 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुउपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441 ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति

म.प्र. माध्यम/101566/आर-45804/2021 एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन कार्य समय-सीमा में किया जाये - राज्यपाल

भोपाल, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों में कोविड सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त कुलपतियों को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आवास में रहने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने संबंधी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी की जाए। राज्यपाल ने राजभवन में बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, पं. एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल और अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपतियों के साथ विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के दौरान निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा है कि विशेषज्ञ कोविड की तीसरी लहर की आशंका बता रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आए। लेकिन सावधानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोविड सेल द्वारा स्थिति की निरंतर निगरानी की जाए और आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। ऐसा करने से तीसरी लहर का सामना करने के लिए व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करें। आवश्यकता होने पर तकनीकी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को विश्वविद्यालय परिसर स्थित आवास में ही रहना चाहिए, इससे परिसर की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी भी होती रहेगी। उन्होंने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय और समाज के प्रेरणा के केंद्र होते हैं, उनका कार्य व्यवहार आदर्श और पारदर्शी होना चाहिए।

श्री पटेल ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य के नागरिक हैं। उन्हें पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं बनाया जाए। उन्हें सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग किया जाए। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को सामाजिक सरोकारों के संस्कार विद्यार्थियों में अपने अनुभवों और अपने व्यवहार से प्रवाहित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति से पहले परिवार फिर समाज और इसी क्रम से प्रदेश, देश शिक्षित होते हैं। अतः छात्रों को शिक्षा अर्जित कर सामाजिक उत्थान के प्रयासों में योगदान की प्रेरणा भी देनी चाहिए। उन्होंने कुलपतियों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी पाठ्यक्रम, विषय, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के कोर्स चलाये जा रहे हैं, उनमें छात्रों की अभिरुचि का भी अध्ययन किया जाए। यह जानकारी नियमित आधार पर संचालित की जाए। इससे छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप कोर्स संचालित किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी नए कोर्स शुरू किए जाएं। उनकी व्यावसायिक उपयोगिता, शोध, अनुसंधान के क्षेत्र में भविष्य और व्यवहारिक महत्ता आदि के संबंध में जानकारियों का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि विद्यार्थी को विषय का चयन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करने में सुविधा हो।

कोरोना से बचने की तीन बातें बहुत जरूरी
टीका लगवाना, मास्क पहनना और अपनाना दो गज दूरी।

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

डिप्लोमा–नॉन पीपीटी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय पोलीटेक्निक संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021–22

प्रथम चरण

अर्हकारी परीक्षा की मेरिट पर आधारित

सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	**10.08.2021** से **24.08.2021** सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	**25.08.2021** से **26.08.2021** सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	**16.08.2021** से **28.08.2021** रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	**29.08.2021** सायं 5:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**03.09.2021** से **10.09.2021** सायं 5:00 बजे तक
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	**11.09.2021** से **19.09.2021** सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	**20.09.2021** से **21.09.2021** सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	**13.09.2021** से **23.09.2021** रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	**24.09.2021** सायं 5:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**27.09.2021** से **03.10.2021** सायं 5:00 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।**
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
04.10.2021 से **07.10.2021** रात्रि 11:45 बजे तक	**09.10.2021** प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
11.10.2021 से **14.10.2021** रात्रि 11:45 बजे तक	**16.10.2021** प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय–सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तद्उपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यताः–

- **एप्लाइड वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम हेतु** : समस्त उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा (न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ) उत्तीर्ण होने के साथ विज्ञान एवं गणित विषय के साथ दसवीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण हो।
- **मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं ब्यूटी कल्चर एण्ड कॉस्मेटोलाजी पाठ्यक्रम हेतु** : समस्त उम्मीदवारों को माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा किसी भी विषय समूह के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(कोविड–19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्कः–0755-6720205, 2660441
ईमेलः–dte.helpcenter@mp.gov.in

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

म.प्र. माध्यम/101568/आर-45806/2021

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी क्षेत्र के पोलीटेक्निक संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021-22

प्रथम चरण

अर्हकारी परीक्षा (हाई स्कूल 10वीं विज्ञान/गणित विषय सहित उत्तीर्ण) की मेरिट पर आधारित सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	10.08.2021 से 24.08.2021 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	25.08.2021 से 26.08.2021 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	16.08.2021 से 01.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता एवं बी.पी.एल./चतुर्थ श्रेणी कट ऑफ सूची।	02.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	06.09.2021 से 11.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	12.09.2021 से 21.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	22.09.2021 से 23.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी	14.09.2021 से 25/09/2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता एवं बी.पी.एल./चतुर्थ श्रेणी कट ऑफ सूची।	26.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	29.09.2021 से 04.10.2021 सायं 5:00 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
05.10.2021 से 07.10.2021 रात्रि 11:45 बजे तक	09.10.2021 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
11.10.2021 से 14.10.2021 रात्रि 11:45 बजे तक	16.10.2021 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- मध्यप्रदेश शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एवं मध्यप्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के पाल्य वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तद्उपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को विज्ञान (भौतिक एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषय का बंधन लागू नहीं होगा।

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441 ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

म.प्र. माध्यम/101569/आर-45807/2021

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में प्रभावी बदलाव करें - राज्यपाल

भोपाल, शिक्षा को और अधिक समाजोपयोगी बनाया जाए। हमारे युवाओं को जीवन मूल्यों, मानकों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति सजग बनाने और राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम को ज्ञान विज्ञान भवन में संबोधित करते हुये कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में प्रभावी बदलाव करें, जिससे विद्यार्थियों में मौलिकता का विकास हो। उन्हें नये प्रयोगों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर, अपनी क्षमता एवं योग्यता से देश के विकास में सक्रिय योगदान देने में सक्षम हो।

देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन मध्यप्रदेश में हुआ

श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा के प्रसार के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्तव्यबोध, नैतिक मूल्य, सेवा और स्वावलंबन के भावों को विकसित करना चाहिए, ताकि आगे चलकर वे राष्ट्र एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रभावी योगदान दे सकें।

उन्होंने देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन मध्यप्रदेश में होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सरकार और समाज की सहभागिता से प्राप्त सफलता का शानदार उदाहरण है। राज्य को प्रोत्साहन के रूप में 14 लाख वैक्सीन की डोज़ अतिरिक्त देने लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति भी आभार और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों की वैक्सीनेशन कार्य सहयोग के लिए सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैचारिक विमर्श के कार्यक्रमों में छात्रों की सहभागिता की जरूरत बताई।

शोध और अनुसंधान के प्रयासों को बढ़ाने की है जरूरत

राज्यपाल ने ऑनलाइन शिक्षण से समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों, महिलाओं में शिक्षा प्रसार के प्रयासों पर बल देने के लिए कहा है। उन्होंने उपलब्ध तकनीक को निरन्तर अद्यतन करने के साथ ही शोध और अनुसंधान के प्रयासों की भी जरूरत बताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों को आगामी शिक्षण सत्र को ध्यान में रखते हुए संभावित चुनौतियों का सामना करने की विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना आज संकल्प में परिवर्तित हो गया है। युवाओं का आव्हान किया कि वे आत्मनिर्भरता को दिल और दिमाग में बैठा लें। आत्मनिर्भरता के खुद प्रयास करने के साथ ही उन्हें दूसरों के प्रयासों में भी मदद करनी चाहिए।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नये आयाम दिलाने के प्रयास

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय हो। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से सबक लेते हुए चिकित्सा के प्रचलित दायरे से बाहर आने की आवश्यकता महसूस की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जो अवसर मिला है। उसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में नया आयाम दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता के प्रयासों में कदम से कदम मिलाकर चलेगी।

उन्होंने संसाधनों के पारस्परिक उपयोग की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के पास इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के पूंजीगत संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन मानव संसाधन की कमी है। जबकि विश्वविद्यालय के पास मानव संसाधन है, पूँजीगत संसाधन नहीं हैं। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय और स्मार्ट सिटी ने पारस्परिक समन्वय कर, इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू किया है, जिसका संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के नवाचारों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु (मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेक्निक संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2021-22

प्रथम चरण

अर्हकारी परीक्षा की मेरिट पर आधारित

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	10.08.2021 से 24.08.2021 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	25.08.2021 से 26.08.2021 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।	16.08.2021 से 28.08.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	29.08.2021 सायं 5:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	03.09.2021 से 10.09.2021 सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	11.09.2021 से 19.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	20.09.2021 से 21.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।	13.09.2021 से 23.09.2021 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	24.09.2021 सायं 5:00 बजे तक
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	27.09.2021 से 03.10.2021 सायं 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।

उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये

04.10.2021 से 07.10.2021 रात्रि 11:45 बजे तक	09.10.2021 प्रातः 10:30 बजे

उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये

11.10.2021 से 14.10.2021 रात्रि 11:45 बजे तक	16.10.2021 प्रातः 10:30 बजे

उपलब्ध संस्थाएं/पाठ्यक्रम, पात्रता, शैक्षणिक अर्हताएं एवं उपलब्ध सुविधाएं

क्र.	संस्था का नाम	उपलब्ध ब्रांच	सीट	आरक्षित श्रेणी
1.	शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना। (डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार (छात्र) जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार से अधिक न हो।
2.	शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर (डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम) 2. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग	60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार (छात्राएं) जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार से अधिक न हो।
3.	शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, लटेरी (सह-शिक्षा) (डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संचालित)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार से अधिक न हो।
4.	शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, झाबुआ (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग 4. सिविल इंजीनियरिंग	60 60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवार (छात्र) जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार से अधिक न हो।
5.	शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, मण्डला (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग 2. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन 3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	60 60 60	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार (छात्राएं) जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार से अधिक न हो।
6.	शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा) (एकलव्य योजनान्तर्गत संचालित)	1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग 3. सिविल इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	30 30 30 30	मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जिनकी परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये एक लाख अस्सी हजार से अधिक न हो।

प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता

स.क्र.	पाठ्यक्रम/ब्रांच	अवधि	प्रवेश हेतु पात्रता के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
समूह 'अ' के पाठ्यक्रम :-			
1.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान (भौतिक एवं रसायन) तथा गणित विषयों के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
2.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	
3.	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग	3 वर्ष	
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	3 वर्ष	
5.	सिविल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	
समूह 'ब' के पाठ्यक्रम :-			
1.	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम)	3 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा किसी भी विषय समूह के साथ न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

एकलव्य योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं, डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेश नियम में दिये गये विहित उपबंधों/प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जावेंगी :-

क्र.	मद	सुविधा
1.	शिक्षण शुल्क	निरंक
2.	छात्रवृत्ति	रुपये 1,000/- प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा
3.	निःशुल्क स्टेशनरी, ड्रॉइंग एवं अन्य सामग्री	उपसत्र अधिकतम रुपये 2,000/- मूल्य की प्रति छात्र/छात्रा
4.	पाठ्य पुस्तकें	निःशुल्क प्रति उपसत्र की प्रति छात्र/छात्रा
5.	निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन	छात्र/छात्राओं को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जावेगी।
6.	निःशुल्क परीक्षा	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की वास्तविक परीक्षा शुल्क राशि की सीमा तक

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में **प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक** उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तद्उपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/101570/आर-45808/2021

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE, KRISHI UPAJ MANDI SAMITI DEVENDRA NAGAR DISTT. PANNA (M.P.)

No./Mandi/Nirman/21-22/59 Devendra Nagar, Dated : 06.08.2021

NOTICE INVITING TEDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) **for System Tender Number 154228, Construction of 33 Nos Sundary Shop at Mandi yard Devendra Nagar Dist. Panna (M.P.),** Hard copies of technical bid documents with EMD & Financial offer as per Detailed NIT to be received online 27.08.2021 up to 17:30 Hrs. and Only online Portal and It is to be Submitted physically at the time of Agreement in original. Bidders are required to offer their bids exclusive of applicable GST. the GST shall be paid by the department, to contractor separately.

The tender documents can be obtained online on the **http://mptender.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note :- Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or other wise. Other details of Construction/ Development works and locations & key dates can also be seen on our website **www.mpmandiboard.gov.in**

M.P. Madhyam/101553/R-45799/2021 **SECRETARY**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462 011

(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 158/MTN/2021

No. 11190 /22/D-12/NIT-Maint./2021 Bhopal, Dated : 05.08.2021

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

1. Table No. 1 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA (POST 5 YEAR).

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Bhopal	1	9178000.00
2	Datia	2	13276000.00
3	Dewas	8	53596000.00
4	Harda	2	14864000.00
5	Hoshangabad	1	9203000.00
6	Katni	3	23755449.49
7	Narsinghpur	2	20945000.00
8	Shajapur	1	8980000.00
9	Sidhi	1	7038000.00
10	Singrauli	3	12443000.00
11	Ujjain	2	14992000.00
12	Vidisha	1	5309000.00

2. Table No. 2 : Name of Work – REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA (POST 10 YEAR).

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Ashoknagar	1	17550000.00
2	Bhind	1	4531000.00
3	Bhopal	1	3238000.00
4	Dewas	2	5358000.00
5	Harda	2	17365000.00
6	Indore	1	9105000.00
7	Narsinghpur	1	14135180.00
8	Sidhi	1	1895000.00
9	Singrauli	3	27909000.00
10	Ujjain	1	2834000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **12.08.2021** from **17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P.M./101564/R-45800/2021 **(T & E-G)**

जल जीवन मिशन है भागीरथी प्रयास

भोपाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने एक अगस्त को प्रदेश के हर जिले के अधिकारी से जल जीवन मिशन के संचालित कार्यों की वन-टू-वन चर्चा की। श्री यादव ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना मानव के लिये सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। इस पुनीत कार्य की जिम्मेदारी निभाना हम सबके लिये सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति व्यक्ति की इच्छाशक्ति के रहते बड़े से बड़े जन-कल्याण कार्य की राह बनती है। श्री यादव ने विभागीय अधिकारियों और कार्य से जुड़ी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करके दिखलायें।

विश्व आदिवासी दिवस - 09 अगस्त

विविधता का अनोखा खजाना है आदिवासी समुदाय

प्राचीन ग्रंथों और लेखों में आदिवासियों को अत्विका तथा वनवासी कहा गया है। वहीं संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। आदिवासी शब्द का संधि विच्छेद करने पर हम पाते हैं कि आदिवासी शब्द आदि + वासी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अनादि काल से भौगोलिक स्थान पर निवास करने वाले व्यक्ति या समुदाय से है। ऐसे ही लोग या समुदाय को मूलवासी या आदिवासी कहा जाता है। अति पिछड़ा और मुख्यधारा से दूर माने जाने वाले आदिवासी समाज को सही मायने में देखा जाए तो हम पायेंगे कि यह समुदाय प्रकृति के रक्षक हैं और कुदरती हैं। इस वर्ग के लोग प्रकृति के सबसे नजदीकी माने जाते हैं, इनके कार्य और व्यवहार में प्रकृति अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। आदिवासी प्रकृतिक तत्वों को ही देवी-देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में दिखती है जैव विविधता

आदिवासी समाज की सेहत हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी सूचक है। उनकी खुशहाली का मतलब है कि हमारे जंगल और पर्यावरण सुरक्षित हैं। इसलिए दुनिया की आबादी बढ़ना जितना गंभीर मुद्दा है, उतना ही चिंताजनक विषय आदिवासियों की आबादी का घटना है। लंबे समय से आदिवासियों का मानना है कि यदि हम प्रकृति से छेड़-छाड़ करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम दुनिया के सामने आते हैं। आदिवासी प्रकृति में पाये जाने वाले सभी जीव-जंतु, पर्वत, नदियां, नाले, खेत इन सभी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति की हर एक वस्तु में जीवन होता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 86 फीसदी से अधिक आदिवासी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं, जबकि गैर आदिवासी लोगों के लिये यह संख्या घटकर 66 प्रतिशत रह जाती है। वैश्विक स्तर पर इस वर्ग के लोगों की शिक्षा पर नजर डालें तो रोज़गार से जुड़े 47 प्रतिशत आदिवासियों के पास किसी तरह की शिक्षा नहीं है, वहीं गैर आदिवासियों में ये आंकड़ा 17 फीसदी का है। महिलाओं के लिए यह अंतर और भी व्यापक है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लगभग 37 करोड़ आदिवासी निवास कर रहे हैं। लेकिन हजारों वर्ष से अपनी दुनिया में मस्त और कम जरूरतों में खुश रहने वाले आदिवासियों को आधुनिकीकरण का दंश झेलना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आदिवासियों के परिवेश में अन्य दूसरे समुदायों के दखल की वजह से उनका विस्थापन तो हो ही रहा है, साथ ही उनमें कई आधुनिक बीमारियों का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के आत्मसम्मान और उन्हें खास पहचान दिलाने के लिये घोषित किया यह दिवस

पूरी दुनिया में 9 अगस्त का दिन विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय के लिये किये जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकार को स्थायी रूप से दिए जाने और इस वर्ग की विशेष पहचान, संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता और हमेशा आत्मसम्मान दिये जाने की व्यापक जनजागृति के लिए 23 दिसम्बर 1994 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस (इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल) मनाया जाने लगा। इस दिवस को हर वर्ष विशेष थीम के साथ मनाया जाता है इस वर्ष की थीम "Leaving no one behind : Indigenous peoples and the call for a new social contract" निर्धारित की गई है। यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब

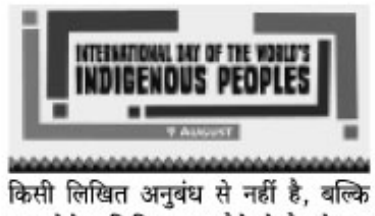

किसी लिखित अनुबंध से नहीं है, बल्कि एक ऐसे अलिखित समझौते से है जो इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए सहयोग कर सके। इसकी मूल भावना यह है कि कोई भी पीछे न छूटने पाए। इस बार कोरोना महामारी के कारण इस दिवस का मुख्य कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया जाएगा।

आदिवासियों के मानवाधिकारों को लागू करने के लिए 1982 में विश्व स्तर पर यूएनडब्ल्यूजीईपी नामक विशेष कार्यदल का गठन किया गया। वर्ष 1992 में ब्राजील में आयोजित 'विश्व पृथ्वी दिवस' के अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में विश्व के आदिवासियों की स्थिति की समीक्षा तथा चर्चा कर इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया।

वर्ष 1993 में यूएनडब्ल्यूजीईपी के 11वें अधिवेशन में प्रस्तुत आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र के प्रारूप को मान्यता मिलने पर 9 अगस्त 1994 को यूएन की जेनेवा महासभा में सर्वसम्मति से इसे पूरी दुनिया के देशों में लागू करने का फैसला किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अब तक दो दशक आदिवासियों के लिये घोषित किये जा चुके हैं। पहला दशक वर्ष 1995 से 2004 तक था और दूसरा दशक 2005 से 2014 तक था।

आदिवासियों की स्थिति

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनियाभर में लगभग 476 मिलियन यानी 47.6 करोड़ लोग आदिवासी समुदाय के हैं, ये संख्या दुनिया के विभिन्न 90 देशों में निवास करती है। ये आबादी दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 6.2 फीसदी हिस्सा है, लेकिन दुनिया की कुल गरीबी में इनका हिस्सा 15 प्रतिशत का है। सन् 2011-12 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में आदिवासियों की संख्या लगभग 12 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 9.92 प्रतिशत है। वर्तमान में हमारे देश में 700 से अधिक प्रकार के आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिसमें अलग-अलग तरह की धार्मिक परंपराएं हैं। ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के 705 अनुसूचित जाति के आदिवासियों में से सबसे ज्यादा तादाद मध्यप्रदेश में रहती है, इसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान आते हैं। देश भर की दो तिहाई आदिवासी जनजाति मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान में रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख (1 करोड़ 53 लाख 16 हजार 784) है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21.10 प्रतिशत हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति बहुल मध्यप्रदेश राज्य में जनजातीय समूह निवास करते हैं, जो कि मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का पाँचवा हिस्सा हैं।

मध्यप्रदेश में प्रमुख जनजातियों की आबादी

क्र.	जनजाति का नाम	वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार आबादी
1	भील-भिलाला	59,93,921
2	गोंड	50,93,124
3	कोल	11,67,694
4	कोरकू	7,30,847
5	सहरिया	6,14,958
6	बैगा	4,14,526

मध्यप्रदेश में आदिवासियों के लिए हो रहे हैं सराहनीय कार्य

मध्यप्रदेश सरकार ने सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजातियों को अलग से नौकरी देने की व्यवस्था की है और आदिवासी बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही उच्च शिक्षा के लिये फीस की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षण के साथ निःशुल्क आवास, भोजन, स्वच्छ पेयजल, विद्युत आदि की सुविधा देने के उद्देश्य से आश्रम शालाएं, जूनियर, सीनियर, सीनियर-उत्कृष्ट, महाविद्यालयीन छात्रावासों तथा विशिष्ट आवासीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाखों विद्यार्थी लाभांवित हो रहे हैं। जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियंत्रण के लिये लागू किये जाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि एक भी पात्रताधारी वन निवासी या आदिवासी वनाधिकार से वंचित न रहे। अधिकार धारकों को कृषि प्रयोजन संबंधी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर भी प्रदेश सरकार अग्रसर है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन कर 2 लाख 21 हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग दावेदारों के अधिकार मान्य किये गये हैं। मध्यप्रदेश में सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिससे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों तक उनकी तरक्की के लिए राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी सहजता से पहुंचाई जा सके। जनजातीय परम्परागत संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये राज्य स्तरीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण भोपाल में कराया गया है।

- रश्मि रंजन
(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान - खेल

1. इनमें से किस खिलाड़ी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है?
(अ) मेजर ध्यानचंद
(ब) के.डी. जाधव
(स) कैप्टन रूप सिंह
(द) इनमें से कोई नहीं

2. भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलिंपिक खेलों में पहली बार हिस्सा कब लिया था?
(अ) वर्ष 1956
(ब) वर्ष 1972
(स) वर्ष 1980
(द) वर्ष 2012

3. हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी नंदू नाटेकर किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं?
(अ) कुश्ती (ब) बैडमिंटन
(स) हॉकी (द) टेनिस

4. वर्ष 2019-20 में सी.के. नायडू ट्रॉफी किस टीम ने जीती है?
(अ) दिल्ली (ब) कर्नाटक
(स) बड़ोदरा (द) विदर्भ

5. अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन (फिना) का मुख्यालय किस शहर में है?
(अ) ताशकंद (उज्बेकिस्तान)
(ब) लुसाने (स्विट्जरलैंड)
(स) ओटावा (कनाडा)
(द) जाग्रेब (क्रोएशिया)

6. फ्रैंक लैंपार्ड किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं?
(अ) आयरलैंड
(ब) चेक रिपब्लिक
(स) इंग्लैंड
(द) ब्राजील

7. वर्ष 2016 में टी-20 विश्वकप जीतने वाली वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान थे?
(अ) ड्वेन ब्रावो
(ब) मार्लोन सैमुअल्स
(स) कीरोन पोलार्ड
(द) डेरेन सैमी

8. इस वर्ष फ्रैंच ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस किस खिलाड़ी ने जीती है?
(अ) मैक्स वर्स्टापेन
(ब) लुईस हैमिल्टन
(स) चार्ल्स लेकलर्क
(द) इनमें से कोई नहीं

9. विंटर ओलिंपिक-2018 में कौन-सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था?
(अ) जर्मनी (ब) कनाडा
(स) अमेरिका (द) नॉर्वे

10. इनमें से किस निशानेबाज ने लंदन ओलिंपिक-2012 में भारत के लिए रजत पदक जीता था?
(अ) अभिनव बिंद्रा
(ब) जीतू राय
(स) विजय कुमार
(द) जसपाल राणा

11. इस वर्ष आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए एंडी फ्लॉवर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) जिम्बाब्वे
(ब) दक्षिण अफ्रीका
(स) न्यूजीलैंड
(द) आयरलैंड

12. सनथ जयसूर्या ने वन-डे क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं?
(अ) 25 (ब) 28
(स) 29 (द) 32

13. इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता था?
(अ) रोजर फेडरर
(ब) राफेल नडाल
(स) स्टेन वावरिंका
(द) एलेक्जेंडर ज्वेरेव

14. वाका क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में स्थित है?
(अ) सिडनी
(ब) मेलबर्न
(स) पर्थ
(द) ब्रिस्बेन

15. इनमें से कौन-सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है?
(अ) सुनील छेत्री
(ब) महेश भूपति
(स) बाइचुंग भूटिया
(द) गुरप्रीत सिंह संधू

16. वर्ष 2030 में एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए जायेंगे?
(अ) कजाकिस्तान
(ब) सउदी अरब
(स) कतर
(द) ईरान

17. पर्दापण टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं?
(अ) शैफाली वर्मा
(ब) मिताली राज
(स) स्मृति मंधाना
(द) हरमनप्रीत कौर

18. अमेरिकी खिलाड़ी रॉरी मैक्लेरॉय किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं?
(अ) बास्केटबॉल
(ब) गोल्फ
(स) जिम्नास्टिक
(द) वैडमिंटन

19. इटली ने कितनी बार फीफा वर्ल्डकप का खिताब जीता है?
(अ) दो बार
(ब) तीन बार
(स) चार बार
(द) पांच बार

20. आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण किस देश ने जीता था?
(अ) ऑस्ट्रेलिया
(ब) दक्षिण अफ्रीका
(स) श्रीलंका
(द) वेस्टइंडीज

21. वर्ष 2020 में किस क्लब ने यूएफा वूमेन चैम्पियंस लीग का खिताब जीता था?
(अ) बार्सिलोना
(ब) लियोन
(स) फ्रैंकफर्ट
(द) आर्सेनल

22. थ्री सेकेंड रूल इनमें से किस खेल का एक नियम हैं।
(अ) बास्केटबॉल
(ब) बेसबॉल
(स) आईस हॉकी
(द) स्कीइंग

23 इनमें से किस गेंदबाज के नाम वन-डे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है?
(अ) मिशेल स्टार्क
(ब) जसप्रीत बुमराह
(स) इमरान ताहिर
(द) राशिद खान

24. ट्रायथलॉन स्पर्धा में इनमें से कौन-सा खेल शामिल नहीं है?
(अ) साइक्लिंग
(ब) लंबी कूद
(स) तैराकी
(द) दौड़

25. इगोर स्टिमैक किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच हैं?
(अ) भारत (ब) नीदरलैंड
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) जापान

उत्तरमाला

1. (अ),	2. (स),	3. (ब),
4. (द),	5. (ब),	6. (स),
7. (द),	8. (अ),	9. (द),
10. (स),	11. (अ),	12. (ब),
13. (अ),	14. (स),	15. (ब),
16. (स),	17. (अ),	18. (ब),
19. (स),	20. (ब),	21. (ब),
22. (अ),	23. (द),	24. (ब),
25. (अ)		

- पुष्पेन्द्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये उपयोगी

मध्यप्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2020-2021

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा आर्थिक समीक्षा - 2020-2021 का प्रकाशन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा प्रदान करता है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों (मूल्यों) पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 315562 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2019-20 (त्वरित) एवं 2020-21 (अग्रिम) में बढ़कर क्रमशः 580406 करोड़ रुपये तथा 560845 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हुई यह वृद्धि आधार वर्ष के क्रमशः 83.93 एवं 77.73 प्रतिशत अधिक है।

प्रचलित कीमतों या भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में 937405 करोड़ रुपये तथा 2020-21 में 917555 करोड़ रुपये रहा। सकल घरेलू उत्पाद में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 3.37 प्रतिशत की गिरावट रही।

सकल घरेलू उत्पाद में प्रारंभिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था, जो 2020-21 में 34.59 प्रतिशत (प्रचलित कीमतों पर) तथा 36.82 प्रतिशत स्थिर कीमतों में रहा।

सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 में तृतीय क्षेत्र का अंश 39.06 प्रतिशत था जो वर्ष 2020-21 में 37.56 (स्थिर कीमतों) प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 में द्वितीयक क्षेत्र का अंश 27.09 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020-21 में 25.62 प्रतिशत रहा।

प्रति व्यक्ति आय

स्थिर मूल्यों पर (2011-12 आधार वर्ष) वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय रु. 58425 होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में यह 32236 रुपये थी। इस तरह वर्तमान वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 6.12 प्रतिशत की कमी हुई।

प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में 103288 रुपये तथा 2020-21 में 98418 रुपये रही। वर्तमान वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 4.71 प्रतिशत की कमी रही।

याद रखने योग्य तथ्य	वर्ष 2019-20	राशि करोड़ रुपये में 2020-21
राजस्व आधिक्य/घाटा	-2697.77	-17514.01
राजकोषीय घाटा	32693.78	47359.63
राजकोषीय घाटे का प्रतिशत जीएसडीपी से	3.61%	4.99%
राजस्व प्राप्तियां	148561.30	136596.36
शुद्ध लोक ऋण	23681.58	47101.54
राजस्व व्यय	151259.06	154110.37
ऋण एवं अग्रिम	877.17	1536.41

*** स्त्रोत आर्थिक समीक्षा 2020-21**

राज्य की मुख्य कर राजस्व मंदों में भू-राजस्व, स्टाम्प व पंजीयन, राज्य उत्पाद शुल्क, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, माल तथा यात्रियों पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं। इनमें सबसे अधिक योगदान बिक्री व्यापार आदि पर कर से है।

बैंक शाखायें

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने के लिये तथा उद्योगों को वित्त उपलब्ध करावाने में बैंकों की महती भूमिका होती है। प्रदेश में विभिन्न बैंकों की स्थित सितम्बर 2020 तथा मार्च 2019 में निम्नानुसार रही।

	मार्च-19	मार्च-20	सितं.-20
वाणिज्यिक बैंक	5296	5427	5414
सहकारी बैंक	877	877	877
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1320	1320	1320
स्माल फायनेंस बैंक	191	292	341
आई.पी.पी.वी.	-	42	42
कुल	**7684**	**7958**	**7994**

प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी जिला बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सलिंग केन्द्र (एफ.एल.सी.सी.) की स्थापना की गई है।

सितम्बर - 2020 तक कुल 62.15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये गये हैं।

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मध्यप्रदेश के चार केंद्रों तथा भोपाल, जबलपुर, इन्दौर तथा छिन्दवाड़ा के साथ-साथ अखिल भारत के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा 2001 को आधार वर्ष मानकर तैयार किये जाते हैं। इसी ब्यूरो द्वारा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी तैयार किये जाते हैं।

आधार आधारित राशन वितरण व्यावस्था (Ae PDS)

प्रदेश की सम्पूर्ण 25236 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाता है।

माह अक्टूबर - 2019 से प्रदेश में Ae PDS का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर कर राशन वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 24 हजार ऑनलाइन उचित मूल्य दुकान के पात्र हितग्राही किसी थी दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में 3.85 लाख परिवार प्रति माह पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

योजना के तहत 71.29 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिये गये हैं।

कृषि

कृषि ग्रामीण जनसंख्या का जीविकोपार्जन का मुख्य स्त्रोत है। वर्ष 2020-21 में कृषि के फसल क्षेत्र में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि 2019-20 में 12.28 प्रतिशत थी। कुल फसलों के उत्पादन में वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की अपेक्षा 23.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में दलहन के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में क्रमशः 25.87 तथा 20.83 प्रतिशत की कमी रही।

लेकिन इसी समयावधि में अनाज व तिलहन के क्षेत्रफल में क्रमशः 25.20 तथा 12.28 प्रतिशत की वृद्धि रही। अनाज का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 में 15063 हजार टन। दलहन का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 में 823 हजार टन, तिलहन का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 में 8159 हजार टन। कुल फसलों का कुल उत्पादन वर्ष 2020-21 में 24795 हजार टन अनुमानित किया गया है।

2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस अवधि में खाद्यान्न के उत्पादन में भी 32.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं (10227 हजार हेक्टर) बोया जाता है।

प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास तथा गन्ना हैं।

बी.टी. कॉटन

मध्यप्रदेश में बी.टी. कॉटन बीज का उपयोग 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तों के साथ प्रारम्भ हुआ। 2020-21 में 644000 हेक्टेयर क्षेत्र में बी.टी. कॉटन का उत्पादन हुआ था।

एफ.पी.ओ.

भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2020 से Formation and Promotion of farmer producer organization योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 1000 नवीन किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जावेगा। प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम 2 FPO गठित होंगे।

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन "आत्मा" कार्यक्रम

कार्यक्रम 2005-06 में भारत सरकार की सहायता से लागू किया गया है। पूर्व में इसका नाम विस्तार सुधार कार्यक्रम था, जिसे 2014-15 से परिवर्तित किया गया है।

स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना

2019-20 से लागू इस योजना में 313 प्रति विकासखण्ड एक ग्राम का चयन किया गया है। कृषकों के काश्त योग्य 127634 खसरों से, 127585 मृदा नमूना एकत्रीकरण कर विश्लेषण उपरांत 127585 कृषकों को स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये। प्रदेश में 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें संचालित हैं।

कृषि यंत्रीकरण

2019-20 में फार्म पावर की उपलब्धता 2.33 कि. हेक्टेयर थी।

कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण का कार्य मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 149.33 लाख मीट्रिक टन कार्यशील भंडारण क्षमता है।

पशुधन

2019 की पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 4.06 करोड़ पशुधन तथा 166.60 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में आठ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। इन प्रक्षेत्रों पर साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के साँड पाये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 से प्रदेश में भारत सरकार द्वारा नील क्रान्ति योजना लागू की गई है। योजना में तालाब निर्माण केज कल्चर, मत्स्य बीज उत्पादन हेतु डेयरी निर्माण आदि सम्मिलित हैं।

वन

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत (94.69 वर्ग किलोमीटर) वनों से आच्छादित है। राज्य के वन क्षेत्र का 65 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत अवर्गीकृत क्षेत्र है।

बांस मिशन

बांस क्षेत्र के विकास के लिये वर्ष 2013 में बांस मिशन का गठन किया गया था। बांस मिशन का उद्देश्य बांस के मूल्यवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। इस मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 11 वनमण्डलों में 83 स्व-सहायता समूह के माध्यम से कुल 1020 हेक्टेयर क्षेत्र वन भूमि में बांस का वृक्षारोपण किया गया।

वन्य प्रणी संरक्षण

प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य हैं। 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य 16.79 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जिसमें से वन क्षेत्र 14.85 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसुचित वन क्षेत्र है।

उद्योग

वर्ष 2019-20 में 2.88 लाख उद्योग पंजीकृत हुये, जो कि पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में 3.35 प्रतिशत कम हैं। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों में 2019-20 में 19242 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया, जिसमें 9.94 लाख रोज़गार का सृजन हुआ। रोज़गार सृजन की पिछले वर्ष की तुलना में 3.52 प्रतिशत कम रहा।

पर्यटन

पर्यटन कार्यक्रम विस्तार के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन फरवरी, 2017 में किया गया। 2016 में पर्यटन नीति बनाई गई, जिसमें 2019 में संशोधन करके सी-प्लेन, एमफीबियन पर्यटक वाहन, होटल, रिसोर्ट, कन्वेंशन सेंटर, हेरिटेज होटल, हाट एयर बैलूनिंग, वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आदि को पर्यटन परियोजनाओं की सूची में जोड़ा गया।

खनिज

हीरा एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला उत्पादन में मध्यप्रदेश का स्थान चौथा है। 2019-20 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 1798.30 करोड़ रुपये रहा। जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.4 प्रतिशत कम है।

विद्युत उपलब्धता

दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के कारण प्रदेश में विद्युत उपलब्धता नवम्बर-2020 में 21220 मेगा वॉट रही।

सड़कें

राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 70961 किलोमीटर है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 8858 किलोमीटर राज्यीय राजमार्ग 11389 किलोमीटर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसम्बर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है।

सिंचाई

राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घनमीटर पानी उपलब्ध रहता है, जिसमें से मध्यप्रदेश को 56800 मिलियन घनमीटर पानी मिलता है, जो कुल उपलब्ध जल का 69.7 प्रतिशत है।

वर्ष 2018-19 में सिंचित क्षेत्र 11356.2 हजार हेक्टेयर है, जो गत वर्ष से 7.48 प्रतिशत अधिक है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूप से (76.13%) होती है। उसके बाद नहरों एवं तालाब (22.37%) से सिंचाई होती है 2018-19 में समस्त फसलों का 12687 हजार हेक्टयर भूमि सिंचित थी, जिसमें से गेहूं के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक था।

महत्वपूर्ण जानकारियां

- वर्ष 2020 के अंत में कुल बेरोज़गारों की संख्या 24.72 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.95% कम थी।
- प्रदेश की 1.29 लाख बसाहटों में लगभग 5.57 लाख हैण्डपंपों, एवं 16.38 हजार नल-जल प्रदाय योजनायें हैं, जिसके माध्यम से 1.08 गांव बसाहटों में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल के मान से जल उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य 44 जिलों में 150 दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित हैं।
- प्रदेश में 11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 सबजेल एवं 06 खुली जेल हैं।

- डॉ. माया राठी
(लेखिका, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में अर्थशास्त्र की प्राध्यापक हैं।)

छिंदवाड़ा में 4146 दिव्यांगजन को सहायक उपकरणों का वितरण

छिंदवाड़ा, हमारा लक्ष्य दिव्यांगजन को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। 'मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दिव्यांजनों के प्रति मानवीय संवेदना को नमन करता, जिन्होंने विकलांगता को दिव्यांगता में बदलकर लोगों की सोच को ही बदल दिया।' ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 4146 दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित करते हुये कहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने की।

चार करोड़ 32 लाख रुपये के सहायक उपकरण वितरित

भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में दिव्यांगजन को आवश्यकता अनुसार मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, सरवाइकल कॉलर ट्राइसिकिल, व्हील चेयर, सीपी चेयर, क्रच एक्सिला, वॉकिंग स्टिक, रोलेटर, एनएसआई किट, वीटीई डिजिटल टाईप हियरिंग, ब्रेल केन फोल्डिंग, एडीएल किट, सेल फोन, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, डेजी फ्लेयर जैसे 7 हजार 368 उपकरण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन उपकरणों की सहायता से न केवल विकलांगता का प्रभाव कम होगा, अपितु शारीरिक दक्षता में वृद्धि होगी।

श्री चौहान ने कहा कि इस धरती पर उपलब्ध संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसा वातावरण और एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सच्ची सरकार वही है जो दिव्यांग, निराश्रित, वृद्धजन आदि को साथ लेकर चले और उनके कल्याण में कोई कसर न छोड़े। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन के लिए निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 1246 हितग्राहियों को 22 करोड़ 67 लाख की राशि से लाभान्वित किया गया है।

दिव्यांगजन को दें कौशल विकास की ट्रेनिंग

श्री चौहान ने कहा कि दिव्यांगजन को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की भारत सरकार की योजना का मैं स्वागत करता हूँ। दिव्यांगजन को ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो वे कर सकें।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

हिन्दी आलोचना का विकास क्रम

किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उनके गुण-दोषों का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परम्परा 'काव्य शास्त्र' के रूप में विद्यमान थी, कालान्तर में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रन्थों की रचना की। कवियों की तुलनात्मक श्रेणियां निर्धारित करने की जो प्रवत्ति तत्कालीन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है और जिसके आधार पर 'सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास' जैसी उक्तियां कही गयी हैं। वे भी आलोचना पद्धति के प्रारंभिक बीज को लिए हुए हैं। रीतिकाल में समीक्षा का अधिक प्रौढ़ रूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय तक गद्य का पूर्ण विकास न हो सका था।

भारतेन्दु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार 'हिन्दी समीक्षा' का प्रारम्भ भी इसी काल में हुआ। पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिन्दी समालोचना के द्वार खोल दिये। **'हिन्दी प्रदीप'** में अपेक्षाकृत गम्भीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थीं।

भारतेन्दु जी ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान किया, उसी प्रकार समालोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने **'नाटक'** नामक एक ग्रन्थ भरत मुनि के 'नाट्य शास्त्र' के अनुकरण पर लिखा। यह सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रौढ़ ग्रन्थ है जिसकी प्रशंसा करते हुए डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त' ने लिखा है **"यह ग्रन्थ एक अत्यन्त प्रौढ़ रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिन्दी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं।"**

इस ग्रंथ की रचना सन् 1883 ई. में हुई है। इस काल में आलोचना के तीन रूप मिलते हैं।

1. सैद्धांतिक आलोचना

2. टीका अथवा भाष्य

3. इतिहास ग्रन्थों में लिखे हुए कवि परिचय

सैद्धांतिक आलोचना में भारतेन्दु कृत 'नाटक' के अतिरिक्त **जगन्नाथ दास कृत 'छन्दप्रभाकर' मुरारि दान कविराज कृत 'जसवन्त जसो भूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत 'रस कुसुमा कर' आदि ग्रन्थ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रन्थ हैं।** टीका पद्धति के अन्तर्गत लिखे गए आलोचना ग्रन्थों में बिहारी सतसई पर **'लल्लूलाल कृत' लाल चन्द्रिका,** का संशोधित रूप ग्रियर्सन ने सन् 1896 ई. में प्रकाशित करवाया। कवियों के जीवन परिचय एवं उनके साहित्य की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में भी मिलती है। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा में तत्कालीन आलोचना का बीज विद्यमान है। भारतेन्दु काल के समालोचकों में बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेम धन लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनन्द कादम्बिनी में की। बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र 'हिन्दी प्रदीप' में सच्ची आलोचना शीर्षक से 'संयोगिता स्वयंवर' की आलोचना की। इसी प्रकार उन्होंने भारतेन्दु के नाटक 'नीलदेवी' की और श्रीनिवास दास के उपन्यास 'परीक्षा गुरू' की भी समीक्षा लिखी। भट्टजी की आलोचना शैली में सरसता, भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता का पुट विद्यमान है।

द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतेन्दु युग की तुलना में अधिक निखरा है। साथ ही इस काल में आलोचना की विभिन्न पद्धतियां भी विकसित हुईं। एक ओर तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रन्थ लिखे गए यथा लाला भगवान दीन कृत 'अलंकार मंजूषा' जगन्नाथ प्रसाद भानु कृत 'काव्य प्रभाकर' आदि, तो दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात पद्मसिंह शर्मा ने 'बिहारी' और 'सादी' की तुलना करके किया। इसी परम्परा में बन्धुओं ने 'हिन्दी नवरत्न' लाला भगवान दीन ने 'बिहारी और देव तथा कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'देव और बिहारी' नामक पुस्तकें तुलनात्मक आलोचना की पद्धति पर लिखीं। तुलनात्मक आलोचना का आधार परम्परागत शास्त्रीय विवेचना ही रही।

परिचयात्मक आलोचना के अन्तर्गत विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन इस काल में अधिक विकसित हुआ। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश परिचयात्मक आलोचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गयीं। ऐसी आलोचनाओं में पुस्तक का संक्षिप्त परिचय, उसकी विषय वस्तु की निन्दा या प्रशंसा तथा लेखकीय दृष्टिकोण का उद्घाटन किया जाता था। द्विवेदी जी के अनुसार "समालोचक का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं उसमें किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं उससे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है या नहीं लेखक ने कोई नयी बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय नियम है।"

द्विवेदी जी ने एक ओर भाषा संस्कार के द्वारा लोगों को शुद्ध हिन्दी लेखन की ओर अग्रसर किया तो दूसरी ओर कवियों और लेखकों को उनके कर्तव्य का बोध भी कराया। आलोचना क्षेत्र में उनका महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने नवीन एवं प्रचीन का समन्वय किया तथा आगे के आलोचकों को दिशा-निर्देश दिया। उनकी शैली सरल, व्यावहारिक एवं सरस है, जिसमें व्यख्यात्मक पुट भी देखा जा सकता है।

इस काल में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों का अनुवाद भी हिन्दी में किया गया। पोप के ऐलोआन क्रिटिलिज्म' का हिन्दी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 'समालोचनादर्श' नाम से किया आगे चलकर शुक्ल जी ने एलोआन इमेजिनेशन का अनुवाद 'कल्पना का आनन्द' नाम से किया। द्विवेदी जी के कुछ निबंधों में भी पाश्चात्य समालोचकों के विचारों की झलक विद्यमान है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद भारतीय (हिन्दी) आलोचना का स्वर बदला है। संस्कृत पद्धति से जहां केवल शास्त्रीय आलोचना होती थी, वहां अब आलोचना के नए मानदण्ड निर्धारित किए गए और कृति के सामान्य गुण दोषों की विवेचना के अतिरिक्त कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत् तत्वों की विवेचना की जाने लगी।

हिन्दी आलोचना को विकसित करने में 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्यामसुन्दर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिन्दी के आलोचना साहित्य की पर्याप्त वृद्धि की है। उन्होंने 'हिन्दी भाषा और साहित्य' 'साहित्यालोचन' 'भाषा रहस्य' जैसी कृतियों की रचना करके हिन्दी का महान उपकार किया। साहित्यालोचन में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को समन्वित करने का स्तुत्य प्रयास किया है।

हिन्दी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आलोचक सम्राट 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को है। उनसे पूर्व जिस 'तुलनात्मक आलोचन' का सूत्रपात हुआ था। उसमें न तो कोई आदर्श था और न कोई सिद्धांत आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। निश्चित रूप से तुलनात्मक आलोचना के स्वस्थ्य प्रतिमानों का निर्धारण तब तक नहीं हो सका था। शुक्ल जी ने 'आलोचना के नवीन मानदण्डों की स्थापना की और समीक्षा पद्धति का सुनिश्चित पथ निर्मित किया।' ये युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही किसी कृति की समीक्षा करने पर बल देते हैं। निश्चित रूप से हिन्दी आलोचना में शुक्ल जी का अवदान महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी को भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पद्धति का विकास करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति विश्लेषणात्मक थी, परिणामतः वे रचना के गुण-दोष कथन तक ही सीमित न रहकर रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अन्तः प्रवृति की छानबीन भी करते थे। हिन्दी के अन्य अनेक आलोचकों पर जहां एकांगी दृष्टि रखने का आरोप लगाया जा सकता है, वहीं शुक्ल जी इस आरोप से बरी हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि कुछ मूल्यों पर आधारित है जैसे कि लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत प्रबन्धात्मकता और विरोधों का सामंजस्य आदि। शुक्ल जी ने एक ओर तो चिन्तामणि के सैद्धांतिक समीक्षा सम्बन्धी निबंधों में अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया दूसरी ओर उन सिद्धांतों के व्यावहारिक उदाहरण देकर अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कवियों और लेखकों के साहित्य के विषय में जो आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किए वे इस इतिहास ग्रंथ का सर्वाधिक सशक्त पक्ष हैं। 'रस-मीमांसा' में उन्होंने रस' के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन मौलिक ढंग से किया। जायसी ग्रन्थावली भ्रमरगीत सार' गोस्वामी तुलसीदास में शुक्ल जी ने भक्ति काल के इन तीन प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं का मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण किया। कुछ लोगों ने शुक्ल जी पर यह आरोप भी लगाया है कि वे तुलसी को पैमाना बनाकर अन्य कवियों को नापते हैं। इसी कारण कबीर के प्रति वे न्याय नहीं कर सके हैं। वे प्रबंध काव्य को अधिक श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए मुक्तकों के प्रति भी वे उतने आकृष्ट नहीं हुए। यही नहीं अपितु हिन्दी काव्य की श्रेष्ठतम धारा 'छायावाद' की अन्तरात्मा को न समझ पाने का आरोप भी उन पर लगाया गया है। इस सम्बंध में यही कहना पर्याप्त है कि शुक्ल जी नैतिकतावादी लोक मंगलकारी आदर्शवादी सिद्धांतों के पोषक थे अतः उनकी आलोचनाएं अपने सिद्धांतों के अनुरूप हैं, किन्तु उन पर संकीर्णता का आरोप लगाना नितान्त असंगत है।

शुक्ल जी की परम्परा को आगे बढ़ाने का श्रेय पं. कृष्णशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चन्द्रबली पाण्डेय रमाशंकर शुक्ल जैसे कतिपय आलोचकों को दिया जा सकता है। पं. कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और 'कविकर रत्नाकर' नामक कृतियों में केशव और रत्नाकार इन दो प्रमुख कवियों पर समीक्षाएं प्रस्तुत कीं। पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी, घनानंद को अपने अध्ययन का आधार बनाया।

हिन्दी समीक्षकों में शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, वे हैं, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी। उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं 'आधुनिक साहित्य' नया साहित्य-नये प्रश्न, कवि निराला' प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य आदि। वे काव्य में सौन्दर्य विधायक तत्वों के उद्घाटन पर विशेष बल देते हैं। कथा साहित्य और नाटक की आलोचना वे इनके प्रभावकारी पक्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। प्रसाद जी के नाटकों को वे स्वच्छन्दतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरूत्थानवादी कहना उपयुक्त मानते हैं। वे मूलतः छायावादी एवं स्वच्छन्दतावादी समीक्षक के रूप में हिन्दी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए हैं।

पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परम्परा के आलोचक हैं किन्तु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं हैं। वे कबीर को एक उच्चकोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर भी उन्होंने ही पहली बार विचार किया है। 'हिन्दी साहित्य, की भूमिका, नाथ सम्प्रदाय, हिन्दी साहित्य, सूर साहित्य कबीर आदि कृतियां उनके गंभीर चिन्तन, मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना और तद्युगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है।

डॉ. नागेन्द्र ने व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है। वे 'रसवादी' आलोचक माने जाते हैं। उनका ग्रंथ 'रससिद्धांत' रस के सांगोपांग विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। 'कामायनी के अध्ययन की समस्यायें 'सुमित्रानन्दन पन्त, साकेत - एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिन्दी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां आदि उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। डॉ. नागेन्द्र ने अपनी कृतियों में कवि की सौन्दर्यानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति सामर्थ्य का सुन्दर विशलेषण किया है। रसवाद को व्यापक आयामों की ओर ले गये हैं। किन्तु वे परिष्कृत आनन्दानुभूति को ही काव्य लक्ष्य मानते हैं।

बाबू गुलाबराय ने सैद्धांतिक एवं व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। सैद्धांतिक आलोचना के उनके दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। समीक्षात्मक निबंधों का संकलन उन्होंने अध्ययन और अस्वाद नामक रचना में किया है।

मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में भी हिन्दी के कई आलोचकों का नाम लिया जाता है। डॉ. रामविलास शर्मा इनमें शीर्षस्थ हैं। 'प्रगति और परम्परा' प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौन्दर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण, आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं इसके अतिरिक्त वे 'निराला की साहित्य साधना' के द्वारा निराला जी को प्रतिष्ठित करने में भी सफल रहे हैं। 'भाषा और समाज' उनके भाषा वैज्ञानिक रूप को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण रचना मानी गयी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मार्क्सवादी दृष्टि होने से उनकी आलोचना दृष्टि निश्चित रूप से सीमित हो गयी है। इस वर्ग के अन्य आलोचक हैं- शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चन्द्र गुप्ता, नामवर सिंह, अमृतराय आदि। शिवदान सिंह चौहान की समीक्षा कृतियों में प्रगतिवाद' साहित्य की परख, "आलोचना के मान" साहित्य की समस्याएं और साहित्यानुशीलन का नाम लिया जा सकता है। प्रकाश चन्द्रगुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं 'आधुनिक हिन्दी सहित्य', हिन्दी सहित्य की जनवादी परम्परा, आदि। डॉ. नामवर सिंह की इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य, की प्रवृत्तियां, दूसरी परम्परा की खोज आदि कृतियां प्रकाश में आयी हैं।

मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी एवं देवराज उपाध्याय का नाम लिया जा सकता है। जोशी जी ने विश्लेषण, विवेचना, साहित्य चिन्तन, साहित्य सन्तरण में संकलित निबंधों में मनो विश्लेषण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। अज्ञेय के 'त्रिशंकु' पर फ्रॉयड, एडलर एवं युग के सिद्धांतों की छाप है।

हिन्दी की आधुनिक समीक्षा विविध आयामों को लेकर विकसित हो रही है। शैली विज्ञान पर भी इधर कई पुस्तकें प्रकाश में आयी हैं। डॉ. विद्यानिवास मिश्र की रीतिविज्ञान, भोलानाथ तिवारी की शैली विज्ञान रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव कृत शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका इस विषय की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। विभिन्न विषयों पर होने वाले शोध कार्यों ने भी हिन्दी समीक्षा की श्रीवृद्धि की है आजकल अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। जो आलोचना को समृद्ध कर रही है। यथा आलोचना, समीक्षा प्रतीक, वार्षिकी, माध्यम आदि। हिन्दी की नवीन आलोचना तभी अधिक सुसंगत होंगी, जब हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय कर सकें।

- डॉ. राममनोहर उपाध्याय
(लेखक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के जनसंचार विभाग में अतिथि शिक्षक हैं)

कोरोना को मारने के तीन हथियार, हाथ धुलायी, मास्क और वैक्सीन का वार।

खेल चर्चा

सौ मीटर दौड़ के नए चैम्पियन बने मार्सेल

टोक्यो, इटली के फर्राटा धावक मार्सेल जैकब पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के नए चैम्पियन बन गए हैं। मार्सेल ने 100 मीटर दौड़ 9.80 सेकेंड में पूरी की। मार्सेल यह रेस जीतने वाले पहले इटैलियन धावक हैं। रेस में अमेरिका के फ्रेड कार्ले दूसरे तथा कनाडा के आंद्रे डिग्रासी तीसरे स्थान पर रहे। डिग्रासी ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उल्लेखनीय है कि 100 मीटर फर्राटा दौड़ में पिछले कुछ दशकों से जमैका के धावकों का दबदबा रहा है। जमैका के महान धावक यूसेन बोल्ट ने बीजिंग ओलिंपिक, लंदन ओलिंपिक और रियो ओलिंपिक में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस बार टोक्यो ओलिंपिक में जमैका का एक भी धावक 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह नहीं बना पाया।

स्पेन ने जीता स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का स्वर्ण पदक

टोक्यो, ओलिंपिक खेलों में पहली बार शामिल किए गए स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का पहला स्वर्ण पदक स्पेन के नाम रहा। स्पेन ने एल्बर्टो लोपेज ने पुरुष कम्बाइंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। लोपेज ने स्पर्धा के तीनों राउंड (स्पीड, लीड और बोल्डरिंग) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 18 वर्षीय लोपेज ने स्पीड राउंड में पहला, बोल्डरिंग राउंड में चौथा तथा लीड राउंड में सातवां स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा का रजत पदक अमेरिका के नेथानियल कोलमैन ने जीता, वहीं कांस्य पदक ऑस्ट्रिया के जैकब स्कबर्ट के नाम रहा।

भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को क्रिकेट मैच

दुबई, भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप में भिडंत होगी। यह सुपर मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि अभी आईसीसी ने आधिकारिक रूप से ट्वेंटी-20 विश्वकप का शेड्यूल घोषित नहीं किया है। आईसीसी ने ट्वेंटी-20 विश्वकप में भारत और पाकिस्तान को ग्रुप-2 में रखा है। इस ग्रुप में इन दोनों टीमों के अलावा न्यूजीलैंड अफगानिस्तान और दो क्वालिफायर टीमें भी हैं। विश्वकप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2012 से द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। दोनों देश आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट्स में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई के मुख्य चयनकर्ता बने जॉर्ज बेली

सिडनी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। वे ट्रेवर होन्स की जगह लेंगे। 67 वर्षीय होन्स क्रिकेट गतिविधियों से रिटायर हो रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा कि आगामी आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप और एशेज सीरीज के मद्देनजर बेली को मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। बेली को फरवरी 2020 में चयन पैनल में शामिल किया था। बेली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 90 वन-डे मैचों में 3044 रन, 30 ट्वेंटी-20 मैचों में 473 रन और 5 टेस्ट मैचों में 183 रन बनाए हैं।

टोक्यो ओलिंपिक

भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जीता पदक

टोक्यो, भारतीय हॉकी टीम ने ओलिंपिक खेलों में 41 वर्षों से चले आ रहे पदक के सूखे को समाप्त कर दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में लंदन ओलिंपिक की चैम्पियन जर्मनी को 5-4 से हराया।

जर्मनी ने ली शुरुआती बढ़त

मैच में जर्मन टीम ने शुरुआत से ही भारतीय गोलपोस्ट पर धावा बोलकर भारतीय डिफेंडरों को दबाव में ला दिया। जर्मनी की टीम को शुरुआत में ही बढ़त मिल गई। जर्मनी के टिमुर ओरूज ने दूसरे मिनट में ही गोल कर दिया। जर्मनी को पहले क्वार्टर में चार पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय टीम ने उन्हें रोक दिया। मैच के दूसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर पलटवार किया। सिमरनजीत सिंह ने मैच के 17वें मिनट में भारत के लिए गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद जर्मनी की टीम ने भी आक्रमण तेज कर दिया और 24वें और 25वें मिनट में दो गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया। जर्मनी के लिए निकलास वेलेन और बेनेडिक्ट फुरक ने गोल दागे।

सात मिनट में भारत के चार गोल

मैच में 3-1 से पिछड़ रही भारतीय टीम ने मैच जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बचा रखा था। भारतीय टीम ने सात मिनट के अंतराल में चार गोल दाग कर जर्मन टीम के होश उड़ा दिए। भारत को 27वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत सिंह के शॉट को गोलकीपर ने रोक दिया, लेकिन हार्दिक सिंह ने रिबाउंड पर गोल करने में सफल रहे, इसके दो मिनट (29वें मिनट) में एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर हरमनप्रीत ने करारा गोल दागा। भारत को 31वें मिनट में जर्मन टीम की गलती से पेनाल्टी कॉर्नर मिला। इस बार रूपिंदर सिंह ने गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया।

लगातार तीन गोल खाने के बाद जर्मन टीम दबाव में आ गई। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाया और सिमरनजीत ने 34वें मिनट में गोल कर भारत को 5-3 से आगे कर दिया।

मैच के चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला हुआ। मैच के 48वें मिनट में जर्मनी के लुकास विंडफीडर ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल का स्कोर 5-4 कर दिया। जर्मनी को मैच खत्म होने से छह सेकेंड पहले भी पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन पीआर श्रीजेश ने इसे नाकाम कर भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया।

महिला टीम कांस्य पदक से चूकी

भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी टोक्यो ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम चार में जगह बनाई है। भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ उतरी। ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय महिला टीम को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीता।

- भारतीय हॉकी टीम ने ओलिंपिक खेलों में अब तक 12 पदक जीते हैं।
- भारतीय हॉकी टीम के नाम 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक हैं।
- भारतीय टीम ने इससे पहले वर्ष 1980 में मॉस्को ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।
- भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलिंपिक में 25 गोल दागे हैं।

चीन की क्वान ने डायविंग में जीता स्वर्ण पदक

टोक्यो, टोक्यो ओलिंपिक में डायविंग खेल में चीन के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। चीन की 14 वर्षीय क्वान हॉंगचन ने डायविंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हॉंगचन ने डायविंग की 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हॉंगचन ने इस स्पर्धा में 466.20 अंक अर्जित कर ओलिंपिक खेलों में नया रिकॉर्ड दर्ज किया। स्पर्धा के दौरान हॉंगचन ने 3 बार परफेक्ट 10 स्कोर हासिल किये। स्पर्धा का रजत पदक हॉंगचन की हमवतन चेन युक्सी ने जीता। युक्सी ने कुल 425.40 अंक अर्जित किए। युक्सी का यह इस ओलिंपिक में दूसरा पदक है। इससे पहले युक्सी ने 10 मीटर सिंक्रोनाइज्ड प्लेटफॉर्म स्पर्धा में झांग जियाकी के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्पर्धा का कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया की मेलिसा वू ने जीता। उल्लेखनीय है कि चीन ने डायविंग में 8 में से 6 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं।

जमैका ने 100 मीटर दौड़ में किया क्लीन स्वीप

टोक्यो, फर्राटा दौड़ में पूरे विश्व में दबदबा बनाने वाले जमैका ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में क्लीन स्वीप किया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में जमैका की एलिन थॉम्पसन हेराह ने स्वर्ण, शैली एन फ्रेजर प्राइस ने रजत तथा शेरिका जैक्सन ने कांस्य पदक जीता। एलिन थॉमसन ने 10.61 सेकेंड में नया ओलिंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। एलिन ने इसके अलावा महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता है। एलिन ने 200 मीटर की दौड़ 21.53 सेकेंड में पूरी की, जो कि एलिन का नया नेशनल रिकॉर्ड है।

अन सान ने तीरंदाजी में बनाई स्वर्णिम हैट्रिक

टोक्यो, दक्षिण कोरिया की युवा तीरंदाज अन सान ने टोक्यो ओलिंपिक में बेहतरीन

प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम हैट्रिक लगाई है। अन सान ने इस ओलिंपिक में महिला व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। अन सान ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में रूसी ओलिंपिक समिति की एलिना ओसिपोवा को हराया। वहीं महिला टीम स्पर्धा में अनसान, जांग मिन ही और कांग चाए यंग की तिकड़ी ने रूसी ओलिंपिक समिति को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मिश्रित टीम स्पर्धा में अन सान और किम जे डियोक की जोड़ी ने नीदरलैंड्स की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

चार सौ मीटर हर्डल रेस में चैंपियन बनीं मैक्लॉफलिन

टोक्यो, अमेरिकी एथलीट सिडनी मैक्लॉफलिन ने टोक्यो ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 400 मीटर हर्डल रेस में स्वर्ण पदक जीता है। मैक्लॉफलिन ने इस स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल की। 23 वर्षीय मैक्लॉफलिन का यह पहला ओलिंपिक पदक है। मैक्लॉफलिन ने 400 मीटर हर्डल रेस 51.46 सेकेण्ड में पूरी की। इससे पहले महिलाओं की 400 मीटर हर्डल रेस में मैक्लॉफलिन ने वर्ष 2018 में 53.60 सेकेंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस स्पर्धा में रजत पदक मैक्लॉफलिन की हमवतन दालिलाह मोहम्मद ने जीता, वहीं नीदरलैंड्स की फेम्के बोल ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

ओकेन ने जीती हंगरियन ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस

बुडापोस्ट, फ्रांस के युवा कार रेसर एस्टाबेन ओकेन ने हंगरियन ग्रांप्री फॉर्मूला वन रेस का खिताब अपने नाम किया है। यह ओकेन के फॉर्मूला-वन रेसिंग कॅरियर की पहली जीत है। ओकेन ने 70 लैप की इस रेस को 2 घंटा 4 मिनट 43.199 सेकेंड में पूरा किया। रेस में जर्मनी के सबेस्टियन वेटल दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन रेस के दौरान लिए गए फ्यूल सैंपल की जांच के बाद वेटल को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। लुईस हैमिल्टन को दूसरा स्थान दिया गया। रेस में कार्लोस सेंज तीसरे, फर्नांडो अलोंसो चौथे तथा पियरे गेस्ली पांचवें स्थान पर रहे।

लवलीना ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक

टोक्यो, भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलिंपिक में यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। लवलीना ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारवर्ग वेल्टवेट में यह पदक जीता। इस भारवर्ग के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार से लवलीना के स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया, लेकिन कांस्य पदक पर उन्होंने कब्जा जमाया। इसी के साथ लवलीना ओलिंपिक खेलों में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। लवलीना ने सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व की नंबर वन मुक्केबाज बुसेनाज के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। पहले राउंड में लवलीना आक्रमक रणनीति के साथ उतरीं। लवलीना ने पहले राउंड में सॉलिड लेफ्ट और राइट अपर कट जड़े। बुसेनाज लवलीना की रणनीति को जल्द ही समझ गईं। बुसेनाज ने लवलीना पर तगड़ा काउंटर अटैक किया, जिसका लवलीना के पास कोई जवाब नहीं था। बुसेनाज ने दूसरे और तीसरे राउंड में भी शानदार प्रदर्शन कर मैच अपने नाम किया।

- लवलीना ओलिंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं।
- लवलीना से पहले विजेंदर सिंह (2008) और मैरीकॉम (2012) में ओलिंपिक पदक जीत चुकी हैं।

रवि ने कुश्ती में जीता रजत पदक

टोक्यो, भारत के अनुभवी पहलवान रवि कुमार दाहिया ने टोक्यो ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। रवि ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में यह पदक हासिल किया। इस स्पर्धा के फाइनल मैच में रवि को रूस के पहलवान जवुर युगेव ने 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

युगेव को विश्व कुश्ती के बेहतरीन पहलवानों में गिना जाता है। युगेव ने फाइनल में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार खेलते हुए मैच की शुरुआत से ही रवि के खिलाफ आक्रामक दाव खेलते हुए दो अंक अर्जित किये। इसके बाद रवि ने भी युगेव से दो अंक अर्जित किए। पहले राउंड में युगेव 4-2 से आगे रहे। दूसरे राउंड में भी युगेव ने आक्रामक रुख बनाए रखा। इस राउंड में रवि ने युगेव पर बढ़त बनाने की कई कोशिशें की, लेकिन युगेव ने बेहतरीन रक्षात्मक खेल दिखाकर रवि को बढ़त लेने से रोके रखा। युगेव ने अंत में मैच 7-4 से अपने नाम किया।

कांस्य से चूके दीपक

टोक्यो ओलिंपिक में पदक के दावेदार माने जा रहे दीपक पूनिया बेहद नजदीकी अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। दीपक ने 86 किलोग्राम भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। सेमीफाइनल में दीपक अमेरिकी पहलवान डेविड टेलर के हाथों 10-0 से हार गए। इसके बाद दीपक को कांस्य पदक जीतने के लिए सेन मेरिनो के मायल्स अमीन से रेपचेज मैच खेलना पड़ा। इस मैच में अमीन ने दीपक को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता।

- रवि कुमार ओलिंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं।
- रवि से पहले सुशील ने लंदन ओलिंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था।
- पिछले चार ओलिंपिक खेलों में भारतीय पहलवान लगातार पदक जीत रहे हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

ग्लोबल स्टूडेंट पोर्टल
विदेश में पढ़ाई की जानकारी देगा

केंद्र सरकार विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों को एक ग्लोबल पोर्टल के जरिये समग्र जानकारी उपलब्ध कराएगी। ग्लोबल इंडियन स्टूडेंट पोर्टल (जीआईएसपी) विकसित किया जा रहा है। जिससे छात्रों को सभी जरूरी जानकारी एक जगह मिल सके। साथ ही छात्र विदेश में पढ़ाई के नाम पर होने वाले फ्रॉड से बच सकें। पोर्टल में पाठ्यक्रम, विदेशी विश्वविद्यालयों की पूरी जानकारी, नोडल अधिकारियों के नाम व मान्यता से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

भारत कर रहा इस माह की अध्यक्षता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान एक अगस्त से एक महीने के लिए भारत के हाथों में आ गयी। यूएनएससी

- **यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति, रक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा।**

की अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति, रक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा। इन मुद्दों पर उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेगा और ठोस रणनीति बनाने पर जोर देगा। सुरक्षा परिषद का हर सदस्य देश, एक महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। अगस्त, 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के

पास रहेगी। जुलाई महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें से पांच स्थाई हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने अध्यक्षता संभालने की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में कहा कि जब हम अगस्त में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसी महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करना हमारे लिए एक सम्मान की बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर अध्यक्ष भारत का पहला कार्य दिवस 2 अगस्त रहा।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक कार्यक्रम के अनुसार, तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए एक ब्रीफिंग भी प्रदान करेंगे। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के दौरान यह भारत की पहली अध्यक्षता है।

म्यांमार

लोकतंत्र को लेकर कोई समझौता मंजूर नहीं

म्यांमार में कोविड-19 संक्रमण इन दिनों तेजी के साथ फैल रहा है। जुंटा जनरल मिन आंग हलिंग ने बीते दिनों संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी अपील की थी, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद देश में लोकतंत्र के समर्थकों का विरोध कम नहीं हो रहा और मांडले में सैन्य शासन के खिलाफ छात्रों के एक समूह ने प्रदर्शन किया।

मानवाधिकार समूहों की खरी-खरी : न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स समूह के मुताबिक, जुंटा ने म्यांमार में तख्तापलट का विरोध करने वाले लोगों के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए, गैरकानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें यातनाएं दीं और उनकी हत्या तक कर डाली।

विश्वविद्यालय छात्रों का प्रदर्शन

मांडले में मोटरबाइक पर सवार विश्वविद्यालय छात्रों के बैंड ने लाल और हरे झंडे लहराते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देश में जुंटा शासन के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि, लोकतंत्र की वापसी को लेकर वो जुंटा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। वहीं, मानवाधिकार समूहों ने फरवरी में जुंटा द्वारा किए गए तख्तापलट के छह महीने होने से पहले, उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं।

भारत के साथ मजबूत संबंध अमेरिकी हित में : राजनयिक

अमेरिका के शीर्ष राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत के साथ तेजी से बढ़ते सामरिक, आर्थिक संबंधों

- **बाइडेन ने डोनाल्ड लू को दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री के पद के लिए नामित किया है।**

को मजबूत करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड लू को दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री के पद के लिए नामित किया है।

लू ने उनके नाम की पुष्टि के लिए हो रही सुनवाई के दौरान 'सीनेट फॉरेन रिलेशन्स कमेटी' के सदस्यों से कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दो महाशक्तियों के तौर पर 'हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे एशियाई भागीदार संप्रभु एवं स्वतंत्र रहे और किसी एक का प्रभुत्व न हो।

उन्होंने कहा, 'यह हमारे राष्ट्रीय हित में है कि हम भारत के साथ अपने तेजी से बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना जारी रखें, साथ ही मानवाधिकारों और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में भी खुलकर बात करें। दो बड़े लोकतंत्रों के रूप में, हमें यह उदाहरण पेश करना चाहिए कि लोकतंत्र शांति, स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्यों बढ़ावा देता है। विदेश विभाग में अपनी 30 वर्ष की सेवा के दौरान, लू ने भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया में काम किया है।

फिलीपींस अपने देश में कायम रखेगा अमेरिकी सैनिक अड्डे

फिलीपींस में राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की सरकार अपने देश में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बनाए रखने पर सहमत हो गई है। गुजरे वर्षों में दुतेर्ते ने कई बार धमकी दी थी कि वे अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से निकाल देंगे। लेकिन फिलीपींस के रक्षा मंत्री देलफिन लोरेंजाना ने ऐलान किया कि अब दुतेर्ते सरकार ने ये इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन की दुतेर्ते से हुई बातचीत के बाद कही।

ऑपरेशन एलीज रिफ्यूज

अट्ठारह हजार लोगों को बचाएगा अमेरिका

अफगानिस्तान से उन लोगों को अमेरिका ने देश से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिन्होंने युद्ध के समय उसकी

- **ये लोग वर्जिनिया के फोर्ट ली पहुंचे, यहां वे बीजा आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा करेंगे।**
- **इससे पहले होमलैंड के उप सुरक्षा सलाहकार रेस ट्रैवर्स ने कहा कि ऑपरेशन एलीज रिफ्यूज के तहत अफगान विशेष प्रवासियों के लिए अमेरिका हर पल मदद करेगा।**

मदद की थी और अब तालिबान के खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे करीब 18 हजार लोगों की मदद की जाएगी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने 200 से ज्यादा लोगों के पहले समूह को अफगानिस्तान से निकाल लिया है।

अमेरिकी सेना ने लगभग 20 वर्षों के बाद अफगानिस्तान से अपनी लगभग 95 प्रतिशत सेना को वापस बुला लिया है।

बाइडेन ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एलीज रिफ्यूज

पहली उड़ान 2,500 अफगानों के एक बड़े समूह का हिस्सा है, जिसमें करीब 700 लोग जिन्होंने, ट्रांसलेटर के रूप में अमेरिकी सेना की सेवा की थी। उन्होंने अपने परिवार समेत एक विशेष अप्रवासी वीजा (एसआईवी) की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन्हें कुछ हफ्तों में स्थानांतरित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस महीने की शुरुआत में ऑपरेशन एलीज रिफ्यूज को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था।

अमेरिका आने से पहले होगी कोरोना जांच

विदेश विभाग के लिए ऑपरेशन एलीज रिफ्यूज की देखरेख कर रहे ट्रेसी जैकबसन ने कहा कि अमेरिका आने से पहले इन अफगानों का कोविड टेस्ट किया गया था, काबुल में कोविड वैक्सीन देने की व्यवस्था थी और फोर्ट ली में भी इन्हें फिर से टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उड़ान भरने के लिए सभी अफगानों ने फिटनेस चिकित्सा परीक्षा भी पूरी की।

सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित

भारत-चीन सेना में होगी सीधी बातचीत

भारत और चीनी सेना के बीच फोन पर सीधे बातचीत करने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में नई हॉटलाइन स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन एक अगस्त को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) दिवस पर किया गया। इसमें दोनों सेनाओं के सैन्य कमांडरों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दर्जोंग में पीएलए के बीच है।

इसका उद्देश्य "सीमा पर विश्वास और सौहार्द्रपूर्ण संबंधों की भावना" बढ़ाना है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में पहले ही हॉटलाइन सेवा है। पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच यह हॉटलाइन दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास बहाली में उपयोगी साबित हो सकती है।

रूसी शोध संयंत्र में आग

नासा के नियंत्रण से बाहर रहा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब यह स्टेशन कुछ समय के लिए वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो गया। नासा और खबरों के मुताबिक अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद सभी सातों अंतरिक्ष यात्रियों पर किसी तरह का खतरा नहीं है। सभी सुरक्षित हैं। यह हादसा तब हुआ जब हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे रूसी शोध मॉड्यूल के जेट थ्रस्टर में गलती से आग लग गई। इसके कारण अंतरिक्ष स्टेशन 45 डिग्री पर घूम गया। हालांकि, नासा के नियंत्रण कक्ष में मौजूद टीम ने स्पेस स्टेशन को उसकी कक्षा में पहुंचा दिया, जिससे बड़ा

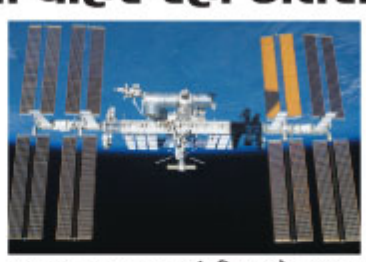

हादसा टल गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूदा वक्त में सात क्रू सदस्य मौजूद हैं। इनमें दो रूसी, तीन अमेरिकी, एक जापानी और एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉट शामिल हैं।

45 मिनट तक नासा के नियंत्रण से बाहर

घटना रूसी बहुउद्देशीय नौका मॉड्यू को अंतरिक्ष स्टेशन में सेट करने के तीन घंटे बाद हुई। जानकारी के मुताबिक, अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर कुछ ही घंटे पहले रूस का रिसर्च मॉड्यूल तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि उसने अचानक बैकफायर कर दिया, जिससे आईएसएस अपनी कक्षा से हट गया और करीब 45 मिनट तक नासा के नियंत्रण से बाहर रहा। मामले की जानकारी मिलते ही नासा में हड़कंप मच गया। स्पेस एजेंसी के नियंत्रण कक्ष में मौजूद फ्लाइट टीम ने कंट्रोल थ्रस्टर्स की मदद से स्टेशन को उसकी जगह पर पहुंचा दिया।

भारत-रूस की नौसेनाओं ने किया युद्धाभ्यास

भारत और रूस ने बाल्टिक सागर में दो दिवसीय नौसैनिक युद्धाभ्यास किया, जिसमें समुद्री संचालन के क्षेत्र में कई जटिल

- **यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच मित्रता का दीर्घकालीन संबंध मजबूत करने में एक और मील का पत्थर है।**

अभ्यास और व्यापक गतिविधियां की गईं। भारतीय नौसेना ने 28-29 जुलाई को इंद्र अभ्यास के 12वें संस्करण को द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग मजबूत करने में मील का पत्थर' बताया। उसने कहा कि इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच मित्रता का दीर्घकालीन संबंध और मजबूत हुआ है।

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, '2003 में शुरू हुआ इंद्र अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच सामरिक संबंधों की गहराई का प्रतीक है।' उन्होंने कहा कि रूसी नौसेना के 325वें नौसैन्य दिवस के समारोहों में भाग लेने के लिए भारतीय युद्धपोत आईएनएस तलवार के सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा करने के तौर पर यह अभ्यास किया गया। कमांडर मधवाल ने कहा, 'इस अभ्यास में बेड़े के संचालन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि हवा रोधी गोलीबारी, हेलीकॉप्टर अभियान, बोर्डिंग अभ्यास और नाविक विकास का प्रदर्शन किया गया।'

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

भीड़-भाड़ से रहेंगे दूर, कोरोना भागने को हो जायेगा मजबूर।

खेल और युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र. का संयुक्त प्रयास

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए
सुनहरा अवसर

राज्य खेल अकादमियों में
चयन हेतु आवेदन आमंत्रित

आवेदन प्रक्रिया सिर्फ़ ऑनलाइन उपलब्ध।
रजिस्ट्रेशन लिंक- https://dsywmp.gov.in/TalentSearch2021

ऑनलाइन आवेदन की तिथि- 9 से 18 अगस्त 2021

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

"प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभा चयन ट्रायल में आएँ और खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्ज्वल करें।"

यशोधरा राजे सिंधिया
माननीया मंत्री, खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मुस्कान किरार, तीरंदाजी

ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शूटिंग

हर्षिता तोमर, सेलिंग

अकादमी में चयनित खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएँ-

- 17 खेल विधाओं में उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण
- निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधा
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट एक्सपोज़र
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना एवं उपकरण
- उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट
- उच्च स्तरीय योग्य प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण

अकादमी का नाम	संचालन स्थल
एथलेटिक्स, शूटिंग, वॉटर स्पोर्ट्स (कयाकिंग-कैनोइंग, रोइंग, सेलिंग, स्लालॉम), मार्शल आर्ट्स (कराते, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो), घुड़सवारी, पुरुष हॉकी, ट्रायथलॉन	भोपाल
महिला हॉकी, बैडमिंटन	ग्वालियर
तीरंदाजी	जबलपुर
पुरुष क्रिकेट	शिवपुरी
योग, मल्लखंभ	सम्बंधित जिले का फीडर सेंटर

महत्वपूर्ण बिंदु-

1. वांछित आयु 12 से 18 वर्ष के मध्य। आयु की गणना 01 जुलाई 2021 से की जाएगी।
2. खिलाड़ी को जिला एवं संभाग स्तरीय ट्रायल के लिये स्वयं के साधन से आना होगा।
3. चयन ट्रायल के समय खिलाड़ी को आधार कार्ड एवं जन्मतिथि का प्रमाण साथ लाना अनिवार्य होगा।
4. सभी खिलाड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रथम चरण (जिला स्तर)

- रजिस्ट्रेशन उपरांत चयनित खिलाड़ियों को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा।
- 24 अगस्त से 4 सितम्बर 2021 के मध्य आपके जिला मुख्यालय पर चयन स्पर्धा में भागीदारी करनी होगी।
- जिला स्तरीय चयन में खिलाड़ियों को निम्न 7 फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने होंगे-

Body Composition (BMI) | Balance (Flamingo Test) | Flexibility (Sit & Reach Test) | Speed (50 M-Dash) Abdominal Strength (1 min. Sit-ups) | Muscular Endurance- Push-ups for boys (1 min.), Modified Push-ups (1 min.) Aerobic Endurance (600 M. Run/Walk)

द्वितीय चरण (संभागीय स्तर)

- द्वितीय चरण सितम्बर 2021 माह में संभाग स्तर के जिले पर आयोजित होगा।
- जिला स्तर से मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को द्वितीय चरण में स्किल टेस्ट देना होगा।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी सीधे संभागीय स्तर पर स्किल टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उन्हें भी समय सीमा 18 अगस्त से पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

तृतीय चरण (राज्य स्तर)

- संभाग स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर 5 से 7 दिवस तक राज्य स्तरीय शिविर में स्किल टेस्ट के साथ-साथ आधुनिक मशीनों द्वारा फिटनेस टेस्ट में भी परखा जाएगा।
- मेरिट आधार पर चयनित खिलाड़ियों को मेडिकल उपरांत अकादमी में एक वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा।

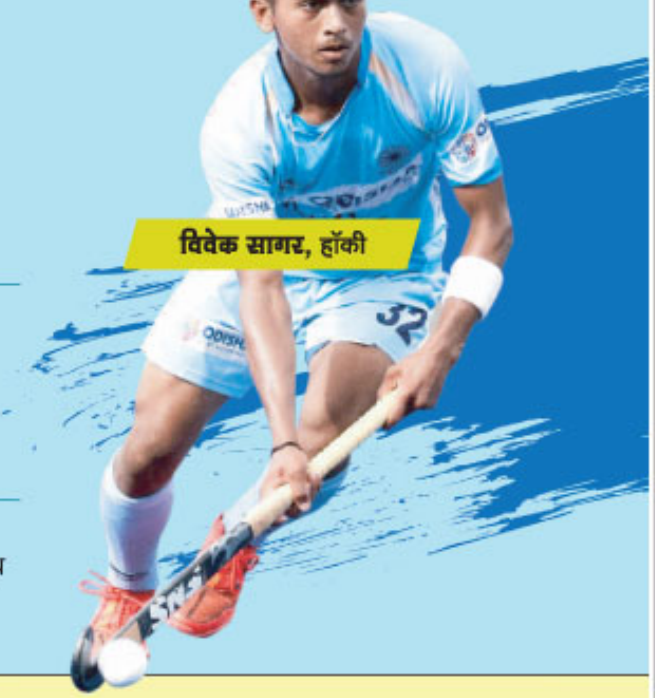

विवेक सागर, हॉकी

Helpline No. 9111883421 (11 am to 6 pm)

चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी www.dsywmp.gov.in पर उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिये निकटतम जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश

M.P. Madhyam/101571/2021
R-45802

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाडे, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.बी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।